खण्ड-269, अंक-1
मंगलवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1888
(9 अगस्त, 1966 ई0)

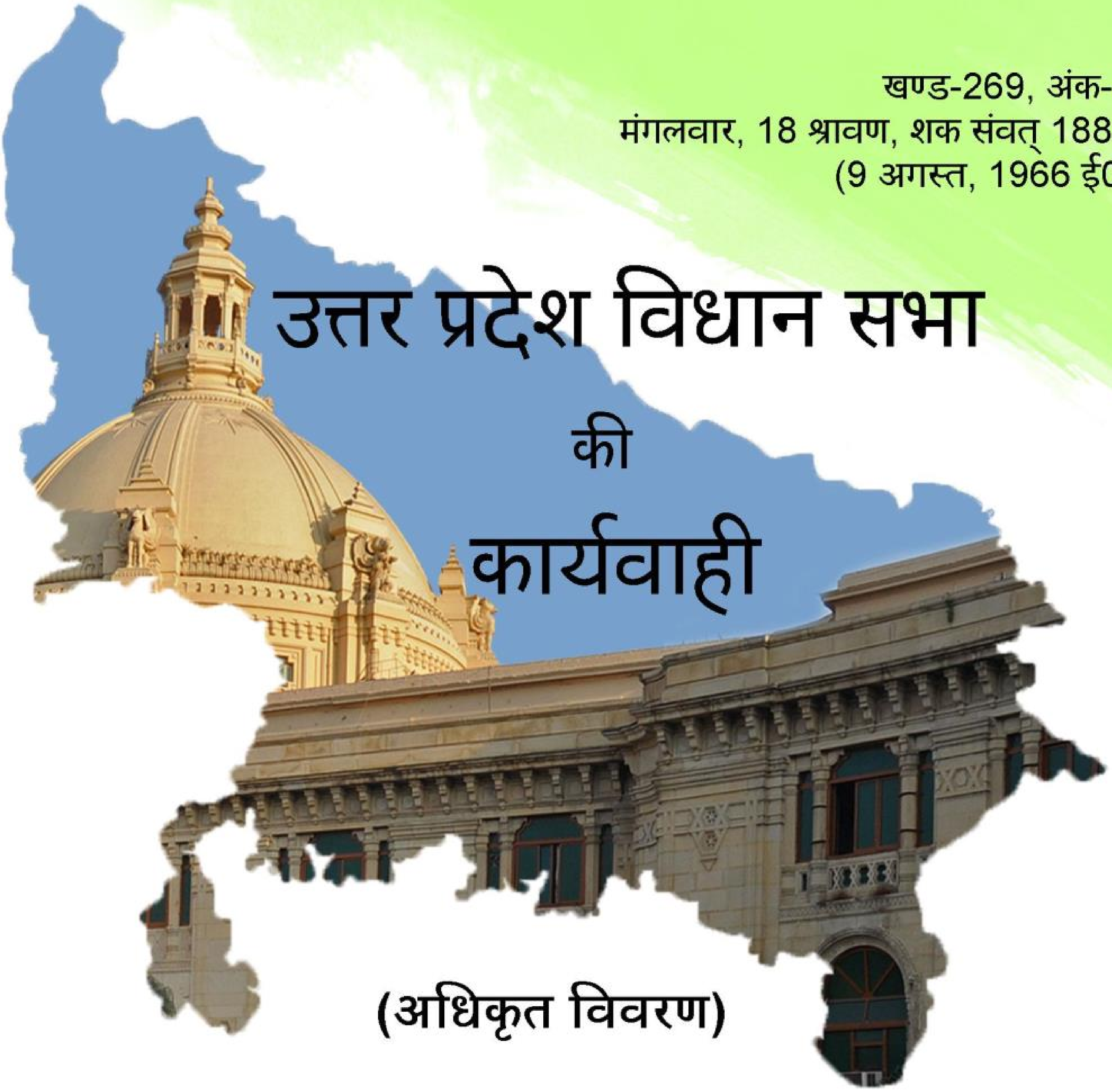

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 269 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२६
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२७
विशेषाधिकार की अवहेलना तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२७–३०
बदायूं तथा एटा जिलों में गंगा नदी पर बने बांधों के अकस्मात फट जाने से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	३१
लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनिवार्य रूप से अरहर की दाल बेचे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (जारी) ..	३१
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	३२
लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनिवार्य रूप से अरहर की दाल बेचे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३२
लखनऊ में गिरफ्तार व्यापारियों को छोड़ दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३२–४१
विधान सभा के मुद्रण कार्य को राजकीय मुद्रणालय द्वारा बिलम्ब से सम्पादित करने के संबंध में सरकार से प्राप्त नोट (श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को जानकारी कराई गयी)	४१–४२
विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर विवाद के विषय में जानकारी	४२
मंत्रियों के आचारण कोड को सदन में रखने के संबंध में वक्तव्य की मांग ..	४२–४३
फीरोजाबाद में मजदूरों की हड़ताल के कारण चूड़ी उद्योग में उत्पन्न संकट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४३–४४
जे० के० काटन मिल्स, कानपुर के मजदूरों को बोनस न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४४–४५
राम गंगा परियोजना, कालागढ़ के कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन से संबंधित १६ मार्च, १९६६ को नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४५
मंत्रियों के आचरण कोड को सदन में रखने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	४५–५३
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—(जारी) ..	५३–७७
अवमूल्यन का उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	७७–९९
नत्थियां	१००–१०३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरी लाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्प्रेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयारामशाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधनसिंह, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टूनूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास वरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भोमप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)

सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र त्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री कैलाशप्रकाश, माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह बिसेन तथा गृह उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ अगस्त, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ट्रक मालिकों की हड़ताल

*१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० जून से लेकर दिनांक १८ जुलाई, सन् १९६६, तक उत्तर प्रदेश के ट्रक मालिकों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

ट्रक मालिक १ जुलाई से १६ जुलाई तक हड़ताल पर रहे। उनकी मांगें निम्न प्रकार थीं :—

(क) गाड़ियों पर माल लादने की निर्धारित सीमा २०० मन से बढ़ कर २५० मन कर दी जाय।

(ख) मालकर किराये के ८ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत ही रखा जाये जैसा कि दिसम्बर, १९६५, तक था।

(ग) चुंगी कर को समाप्त कर दिया जाय।

(घ) गाड़ियों के चलने का क्षेत्र बढ़ा दिया जाय।

**२—श्री रतीपाल तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि सरकार और ट्रक मारिकों में समझौता हो गया और सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों की पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगें पूरी की या नहीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उन्हें केवल इतना ही आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर जो शासन के विचाराधीन है सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा। इस पर ट्रक मालिकों ने हड़ताल खत्म कर दी।

उनकी मांगों पर विचार हो रहा है।

**३—श्री रतीपाल तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि ट्रक मालिकों की मांगें पूरी न होने के कारण उनमें महान असन्तोष व्याप्त है और वे फिर से ३० अगस्त से हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रतीपाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आपके परिवहन विभाग की तरफ से मोटर मालिकों को पत्र दिया गया है आपने उसमें से क्या-क्या बातें मानी हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं कह चुका हूं कि उनको यह आश्वासन दिया गया कि सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार किया जायगा और विचार हो रहा है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी उस पूरे मांग पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे क्योंकि उनके मांग पत्र में १४ मांगे हैं जबकि मंत्री जी ने ३ मांगे ही बतायी हैं, तो पूरा मांग पत्र पढ़ेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मांग पत्र मेरे पास नहीं है । उसके आधार पर जो मेरे पास सूची है वह मैंने संक्षेप में बता दिया ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

प्रश्न में था कि पूरी मांगें क्या हैं, हमने संक्षेप में मांग नहीं की है । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन मांगों के अलावा जो मांगें मांग पत्र में सम्मिलित हैं जैसे उन की यूनियन का नामीनेटेड आदमी ट्रांसपोर्ट अथारिटी में रखा जाय, जैसे कि जो चालान है कोर्ट का रीजन रखा जाय स्टेट इंटेरिम टैक्स है वह बिल्कुल हटा दिया जाय और गुड्स टैक्स की दरें कम कर दी जायें, ये जो मांगें हैं जिनका जिक्र मंत्री जी ने यहां किया उसके बारे में उनका क्या कहना है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मोटर चालकों के प्रतिनिधियों की जो मांगें थीं उन पर विचार करने के लिये कहा गया है और तमाम डिटेल की बातें मैं एकाएक नहीं बता सकता । विचार होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

यह देखते हुये कि ट्रक के मालिक एक बार हड़ताल कर चुके हैं और ३० अगस्त के लिये नोटिस दिये हुये हैं, इसको आवश्यक सेवा समझ करके इसका राष्ट्रीयकरण करने का विचार हो रहा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

३० अगस्त से हड़ताल करने की कोई सूचना हमारे पास नहीं है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई ऐक्शन वह नहीं लेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जब ट्रक मालिकों के प्रतिनिधियों से सरकार की बात हुई उसमें आप के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मौजूद थे और उन्होंने उनकी मांगों पर एक लिस्ट तैयार की जिसके अन्दर यह बताया गया कि फलां फलां डिमांड आप की ऐक्सेप्ट की गई है, बाकी पर विचार किया जायगा । यदि हां, तो वह क्या थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

छोटी-मोटी दो मांगें उनकी मान ली थीं। एक तो जिन गाड़ियों का चालान होता है उसमें अदालती कार्यवाही की जाय, आर० टी० ओ० के यहां न हो तो यह बात मान ली गयी कि अदालती कार्यवाही की जायेगी। दूसरे, गाड़ियां जो पकड़ी जाती हैं टैक्स न देने की सूरत में, टैक्स वसूली के लिये वह केसेज आर० टी० ओ० के पास भेजे जायं न कि अदालत के पास। तो उसे भी मान लिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

जब मांगें ऐक्सेप्ट कर ली गयीं और उन पर अमल भी हो रहा है, तो फिर उनको ३० तारीख को नोटिस देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इसकी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने ३० तारीख को नोटिस दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

ट्रक वालों से जब बातें हुईं तो सरकार के तथा ट्रक वालों के कौन-कौन प्रतिनिधि थे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर से बातचीत करके वे लोग हमारे पास आये थे। उस बातचीत में मैं थी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थे और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर थे। उनकी तरफ से ४, ५ आदमी थे जिनके नाम मैं नहीं जानती। उनकी छोटी-मोटी मांगें तो मान ली गयी थीं, लेकिन दो बड़ी बड़ी मांगों को नहीं माना गया था। एक तो यह कि टैक्स को कम कर दिया जाय, उसे नहीं माना गया। दूसरे जो लोड होता है २०० मन उसको बढ़ा दिया जाय और उस पर रेट न बढ़ाया जाय, इसे भी नहीं माना गया। यह भी तय हुआ था कि आइन्दा झगड़ा बचाने के लिये आपस में बैठ कर बातचीत कर ली जाय।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

ट्रक वालों से यह तय हुआ था कि छमाही टैक्स न लेकर प्रति मास लिया जायगा और प्रत्येक जिले में आर० टी० ओ० का दफ्तर खोला जायगा ? यदि ऐसा था, तो आर० टी० ओ० के यहां कोई नोटिस गया या नहीं और यदि नहीं गया तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

ट्रक मालिकों तथा सरकार के बीच जो यदाकदा झगड़े चल रहे है और फिर वह धमका रहे हैं तो परिवहन विभाग को यातायात को नेशनलाइज कर लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह बात कहने में आसान है, करने में आसान नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं जानना चाहता हूं कि दिक्कतें क्या है नेशनलाइज करने में।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन नेशनलाइज करने में बहुत पैसे की जरूरत होगी।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्रीजी ने अभी बताया कि जो भी ट्रक मालिकों की मांगें हैं वह शासन के विचाराधीन हैं और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि जितनी छोटी-मोटी मांगें हैं वह तो कंसीड कर ली गई हैं, सिर्फ दो प्रश्नों को कंसीड नहीं किया गया है, एक तो लोड बढ़ाने का प्रश्न और दूसरे टैक्स घटाने की बात। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात की आशंका को देखते हुए कि जो आश्वासन सरकार ने ट्रक मालिकों को दिया है उससे अप्रसन्न हो कर पुनः हड़ताल न शुरू कर दें क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कुछ भी उनकी मांगें सरकार के विचाराधीन हैं उन पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उसमें कुछ मांगें ऐसी हैं जो आल इंडिया इम्पार्टेन्स की हैं जिसमें सेन्टर से भी सलाह करने की आवश्यकता है। एक-आध मांगें ऐसी हैं जिन पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की केसकर कमेटी विचार कर रही है। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कितने समय के अन्दर निर्णय हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या ट्रक मालिकों की शिकायत में एक यह भी शिकायत है कि जब वह परमिट आदि प्राप्त करने के लिए आर०टी०ओ० के आफिस में जाते हैं तो वहां उन्हें क्लर्क और अन्य अधिकारी अनावश्यक ढंग से परेशान करते हैं और उनसे अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह तो एक मामूली बात है। सरकार ऐसा नहीं चाहती है और उनसे कह दिया गया है कि इस प्रकार की दिक्कत उनके सामने नहीं आने पाएगी और आर० टी० ओज० को उचित आदेश दे दिए गए हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी किन-किन मांगों के लिए आश्वासन दिया गया है और उनके बारे में क्या पोजीशन है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि दो बातों को नहीं माना और बाकी छोटी-मोटी बातों पर विचार कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या उनकी डिमांड के अन्दर कोई ऐसी शिकायत भी आयी थी कि आगरा के आर० टी० ओ० ने गुप्ता फंड के लिए जबर्दस्ती रुपया इकट्ठा किया ? यदि हां, तो सरकार और उनके बीच में क्या बात हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या उन आश्वासनों में यह आश्वासन भी सम्मिलित है कि भविष्य में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जायगा और दूसरे चुंगियों को सिंगिल प्वाइन्ट कर दिया जायगा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

टैक्स बढ़ाने की बात तो हुई नहीं। वह तो टैक्स घटाने की बात करते थे, जिस पर मुख्य मन्त्री ने प्रकाश डाल दिया और चुंगी वाली बात एग्जामिन की जा रही है। इसी पर तो केसकर कमेटी में विचार हो रहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं। यह फेडरेशन की तरफ से प्रसारित किया गया है:

"Similarly, taxes, as desired by the operators would be accepted by the RTOs for one calendar month instead of the present quarterly system."

श्रीमन्, मैंने कहा था कि जो प्रचलित टैक्स तिमाही जमा किया जाता है इसके बारे में सरकार ने तय किया है कि जब आपरेटर्स चाहें तो माहवारी टैक्स जमा कर सकते हैं। क्या यह सही है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

माहवारी टैक्स जमा किया जायगा, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गाड़ियों के क्षेत्र बढ़ाने में क्या एतराज है. इससे तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और बढ़ेंगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इस पर तो विचार हो रहा है।

जिला परिषद् के कर्मचारी संघ की मांगें

**४--सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद), दौलतलाल (जिला आजमगढ़), भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़), मंगलदेव (जिला आजमगढ़), केशरीप्रसाद पांडेय, नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी), शिव नाथसिंह (जिला कानपुर), गयाप्रसाद (जिला वाराणसी), काशीनाथ मिश्र तथा रतीपाल--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ जून, १९६६, का प्रेषित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी संघ कार्यालय बिजनौर संघ के महामन्त्री, श्री रमेशचन्द्र शर्मा, द्वारा कोई स्मृति-पत्र ४ पन्नों का, जिसमें जिला परिषद् के लगभग ९ हजार कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता एवं वेतन-क्रम राज्य कर्मचारियों के अनुसार देने की मांग की गई है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

जी हां, मांग शासन के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बताएगी कि नियोजन कार्यालय और कलेक्टरेट के कर्मचारियों का वेतन-क्रम क्या है और जिला बोर्ड के कर्मचारियों का क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। लेकिन जो महा मन्त्री, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् इम्प्लाइज एसोसिएशन. ने प्रतिवेदन दिया है उसमें है कि १०, १५, १६, १९, २०, २७ और ४० रुपए विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के भत्ते में अन्तर है।

श्री रामसुन्दर पांडे—

नियोजन कार्यालय और कलेक्टरेट के कर्मचारी उसी तरह का काम और श्रम करते हैं, तो उनके मंहगाई भत्ते और वेतन-क्रम का निर्णय कब तक हो जाएगा जो विचाराधीन है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जिला परिषद् स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं। वे अपने-अपने साधन इकट्ठा करते हैं। इसलिए सरकार को कठिनाई होती है कि वह सामान्य रूप से जिला परिषद् को निदेश करे। यह बात जरूर है कि सरकार ने उनसे आंकड़े मांगे हैं। उसके बाद जिला परिषद् के लोगों से बात करके अगर कुछ हो सकेगा तो किया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि माननीय राममूर्ति ने इस सदन में एक बार इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि सरकार ने एक मीन्स कमेटी बनायी है जो जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के बारे में विचार कर रही है, उसने अपना कार्य समाप्त करके कोई रिपोर्ट सरकार के सामने उपस्थित की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह जिला परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में नहीं थी। वह शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में रिसोर्सेज कमेटी थी।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मंहगाई भत्ते का निर्धारण जिला परिषद् पर है, लेकिन वेतन-क्रम का निर्धारण सरकार द्वारा होता है। उनके पिछले वेतन-क्रमों का परिवर्तन १५ वर्ष पूर्व हुआ था, उसके बाद हर विभाग का वेतन क्रम बढ़ा लेकिन जिला परिषद् के कर्मचारियों के १५–१६ पुराने वेतन-क्रम चले आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री नवीन वेतन-क्रम के निर्धारण के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और जब तक उपाय नहीं हो जाता कोई इंटेरिम राहत जिला परिषद् के कर्मचारियों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह बात तो विचाराधीन है, मैंने पहले कह दिया। जहां तक इंटरिम सहायता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सरकार ने राजाज्ञा निकाल दिया है कि परिषदें अपने साधनों के बल पर पांच रुपया डिस्कृशनरी अलाउन्स और ५ और १० रुपए इंटेरिम सहायता दे सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में सहायता नहीं दे सकती।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जिला परिषद् के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन क्या है और उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जो जिला परिषद् के कर्मचारियों को उन्होंने वेतन दिया है उसमें आफिस सुपरिंटेंडेंट २१०–२५० रु०.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

पहले न्यूनतम बताएं।

श्री बंशीधर पांडेय---

जो लिखा है उन्होंने उसको बता रहा हूं। प्रथम ग्रेड क्लर्क ७५-१५०, सेकेन्ड ग्रेड क्लर्क ५०-१००, चपरासी और अर्दली इत्यादि २२-२७।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि जिला परिषद् के सारे कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त करें?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह सरकार के स्वयं विचाराधीन है। समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या आदरणीय मन्त्री को जानकारी है कि जिला परिषद् के कर्मचारी पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी थे और अब पंचायत राज के अन्तर्गत आ गए हैं? लोकल बाडीज के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है। तो वह कर्मचारी जो पहले लोकल बाडीज के कर्मचारी थे उनके वेतनों को पुनः निर्धारित करने के लिए सरकार समिति क्यों नहीं नियुक्त कर रही है?

श्री बंशीधर पांडेय---

लोकल बाडीज स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत थे। लेकिन पंचायत राज विभाग बन गया। इसमें ८-९ हजार कर्मचारी अलग-अलग तरह के हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है। आवश्यक समझेगी तब विचार होगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

मन्त्री जी ने जवाब दिया कि विचार हो रहा है। आपने यह भी कहा कि बोर्ड अपने रिसोर्सेज से भत्ते और वेतन देंगे, इसके लिए भी सरकार ने कहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार फिर किस बात पर विचार कर रही है?

श्री बंशीधर पांडेय---

विचार का सवाल इसलिए उठता है कि जो परिषदें देने की क्षमत रखती हैं उन लोगों से बातचीत की जाय कि वे राज्य कर्मचारियों के स्तर पर अपने कर्मचारियों को भी वेतन तथा मंहगाई भत्ता दें जबकि अन्य परिषदों ने दिया है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

७ या ८ परिषदों ने मंहगाई भत्ता दिया है, सरकार ने बताया। तो क्या जो बकिया परिषदें हैं उनसे भी उसी के अनुसार भत्ता दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय---

हमने तो दो चिट्ठियां लिख दी हैं कि आप दे सकते हैं, लेकिन यह तो परिषदों के ऊपर है। माननीय सदस्य वहां बैठकर उन पर जोर डालें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

जिला परिषद् के कर्मचारी दो वर्ग के हैं, एक तो जिला बोर्ड के और दूसरे पूर्व नियोजन विभाग के। दोनों के महंगाई तथा वेतन-क्रमों में अन्तर है। एक को राज्य कर्मचारियों के स्तर का माना जाता है और दूसरों को स्वायत्त शासन का कर्मचारी माना जा रहा है। तो क्या सरकार दोनों में एकरूपता लाने का प्रयास करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय---

इन्हीं बातों को तो उनक महा मन्त्री ने लिखा है और उस पर विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सरकार इस प्रकार के आदेश समस्त जिला परिषदों को देगी कि जिस प्रकार ७-८ परिषदों ने राज्य कर्मचारियों के स्तर पर मंहगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को दिया है और दे रहे हैं उसी प्रकार से और भी जिला परिषदें दें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि सरकार जिला परिषदों को इस सम्बन्ध में आदेश नहीं दे सकती। उनका अपना अधिकारक्षेत्र है, लेकिन उनसे कह दिया गया है कि आप ५ रुपये से १० रुपये तक विवेक भत्ता दे सकते हैं अगर देना चाहें, हमें कोई इतराज नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

यह गलत कह रहे हैं। जो मांग-पत्र है उसकी इस मांग के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को जिला परिषदों को इस प्रकार का आदेश देने में क्या परेशानी है कि जो जिला परिषदें आवश्यक समझें वे इस मांग-पत्र के अनुसार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें।

श्री बंशीधर पांडेय---

कितना भ्रमात्मक प्रश्न है ! जब हम विचार कर रहे हैं उस समय तक आर्डर कैसे दे दें ?

श्री मंगल देव---

क्या सरकार कोई इस तरह का आदेश निकालेगी कि आजमगढ़ की जिला परिषद् ने आज से ३ वर्ष पहले प्रस्ताव पास किया था और कमिश्नर ने मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस पर मंजूरी नहीं दी है, तो क्या अब मंजूरी के आदेश निकालेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

५ अगस्त, १९६६ के स्थगित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*३१---श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या बित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में माननीय वन मन्त्री, चौधरी चरण सिंह, ने उन्हें क्या और कब रिपोर्ट दिया है ?

वित्त उप मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---

माननीय वन मन्त्री ने मन्त्रि परिषद् को दिनांक ३०-६-६६ को दी गयी अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए थे। रिपोर्ट की हिन्दी †प्रतिलिपि संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

*३२—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बालोजी अग्रवाल, श्री विजयप्रतापसिंह तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्ट पर मन्त्रि-परिषद् द्वारा कब और क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री जयराय वर्मा—

राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के मामले में निर्णय हो चुका है जिसकी घोषणा सदन में की जा चुकी है।

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय, हरीशकुमार गंगवार, श्री बालोजी अग्रवाल, विजयप्रतापसिंह तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में उनके द्वारा भारत सरकार को कब-कब और क्या-क्या पत्र लिखे गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

२३ अप्रैल, १९६६, को वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री को और १७ जुलाई, १९६६, को मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए लिखा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या वित्त मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वन मन्त्री, चौधरी चरण सिंह, ने अपनी संस्तुति में जो सरकार को परामर्श दिया था कि ३०० रुपये तक पाने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें १० रुपया या ७।। रुपया दिया जाय और ३०० रुपये से अधिक पाने वाले जो कर्मचारी हैं उन को ५ रुपया दिया जाय तो इस परामर्श को मानने में सरकार के सामने क्या दिक्कत हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन्होंने यह परामर्श जरूर दिया था फिर मन्त्रि-मण्डल ने सोच-विचार कर के तथा अपने साधनों की तरफ ध्यान रखते हुये यह निर्णय किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि उपरोक्त मंहगाई-भत्ता तथा वन मन्त्री, चौधरी चरण सिंह, की सिफारिश के अनुसार मान लिया जाता तो सरकार को कितना वित्तीय आयोजन उसके लिए करना पड़ता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

५ रुपया पाने वाले कर्मचारी ९७.५ प्रतिशत हैं। अब उनके फिगर को देखा जाय तो यह करीब सब मिलाकर ४ करोड़ के होंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मंहगाई-भत्ता सरकार ने अनाउन्स किया था कि २९९ तक ५ रुपया और ३०० से ९०० तक ८ रुपया, तो यह निर्णय लेते हुये इस बात को सरकार ने ध्यान में रखा है कि जो लोग हड़ताल पर थे उन को कम और जो लोग हड़ताल पर नहीं थे उनको ज्यादा, यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

यह बात तो सही है कि २९९ तक कम और ९०० तफज्यादा दिया गया, किन्तु जो क्रम बना हुआ है और अभी तक चलता आया है, उसी के मुताबिक यह भी दिया गया है। माननीय

सदस्य को ज्ञात होगा कि ९९ तक एक भत्ता दिया जाता था, १०० से २९९ तक दूसरा दिया जाता था और ३०० से ९०० तक तीसरा क्रम था। इन क्रमों में पहले से दूसरा क्रम अधिक है और दूसरे से तीसरा अधिक है, यानी १५ रुपया, २५ रुपया और ३५ रुपया मंहगाई भत्ता दिया जाता था। यह प्रणाली अभी तक चली आ रही थी। इसी के मुताबिक यह दिया गया। इसमें कोई नयी बात नहीं की है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम पाने वालों को जो यह ५ रुपया मंहगाई-भत्ता दिया गया है वे कौन से फैक्टर थे जिनको कन्सीडर किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसमें कोई और बात नहीं है जो अपने कर्मचारियों की मांग थी और जो उचित प्रतीत होती थी, जिसका जिक्र इस सदन में कई बार आ चुका है और दूसरी तरफ अपने साधन, इन चीजों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय किया गया।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पत्र उन्होंने प्रधान मन्त्री और भारत सरकार के वित्त मन्त्री को लिखा उस के बारे में अभी तक क्या उन्होंने जवाब दिया वित्तीय सहायता के बारे में जिस से कर्मचारियों की मांग को पूर किया जा सके या मिल कर उन्होंने बातचीत इस सम्बन्ध में की, यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन से मिलकर बातचीत की और पत्र भी लिखा था। अभी वह सोच-विचार कर रहे हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या वित्त मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ९९ रुपये तक ७॥ रुपये और १०० से ३०० तक ५ रुपये देने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उसके मुताबिक सरकार ने क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—]

यह तो उन्होंने बतला दिया कि अपने साधनों के मुताबिक किया गया।

श्री कैलाश प्रकाश—

जो माननीय चरण सिंह जी ने रिपोर्ट दी थी वह माननीय सदस्यों के सामने है और जो फैसला किया गया वह बता दिया गया।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी डाक्टर (जिला इलाहाबाद)—

सरकार ने इस डी० ए० के लिए एलान किया था कि यह ऐडहाक इन्क्रीज है। तो क्या केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल जाने पर सरकार पुनः इस ऐड हाक इन्क्रीज को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिस दिन हमने ऐसा न किया था उस दिन कहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं और कोई न कोई स्कीम काट कर यह किया जायगा। अगर केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल जाती है तो हमारा सब से पहला काम होगा कि उस स्कीम को रिइंस्टेट कर दिया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

जो अतिरिक्त व्यय हो रहा है इस मंहगाई-भत्ते पर, उस के सम्बन्ध में जनता पर कोई कर भार तो नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---

अभी तो इसका कोई इरादा नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने अपने उत्तर में अपने सीमित साधनों की चर्चा की और वन मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में केवल तीन सौ या साढ़े तीन सौ तक वेतन पाने वालों का मंहगाई-भत्ता बढ़ाने की बात कही थी, तो सीमित साधनों के रहते हुये और अपना कैबिनेट के एक प्रमुख सदस्य की रिपोर्ट के रहते हुये ९ सौ रुपये तक वेतन पाने वालों का महंगाई-भत्ता क्यों बढ़ाया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---

शासन को सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखना पड़ता है और जब शासन ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर रखा था कि ९०० तक वेतन प्राप्त करने वालों को महंगाई-भत्ता मिलना चाहिए तो उनका ध्यान उसे रखना ही था ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

शासन की महंगाई-भत्ता देने की जो प्रणाली है कि कम वेतन पाने वालों को कम और अधिक वेतन पाने वालों को अधिक मंहगाई-भत्ता, इस से समाजवाद की आत्मा को ठेस लगती है। क्या सरकार इस प्रणाली में संशोधन करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---

जहां तक शासन का प्रश्न है और यह सैद्धान्तिक प्रश्न की बात है ये चीजें आती ही रहती हैं और उन में परिवर्तन होते ही रहते हैं और यह भविष्य की बात है। इसके बारे में अभी से क्या कहा जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या वित्त मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा तथा मुख्य मन्त्री जी द्वारा भारत सरकार के पास इन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में कितने रुपये की मांग की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हम लोगों ने उनसे लगभग यह कहा है कि जो सरकारी कर्मचारियों को देना पड़े और उस के साथ-साथ और भी बातें जिन की ओर आप ने ध्यान दिलाया, वह सब आ जायं, इसके लिए हमने साढ़े सात करोड़ रुपया कल्कुलेट किया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

भड़कऊ ग्राम में कुलाबों की बारबंदी

*१---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजबहा शाखा, बहादुरगढ़, गंगा नहर, मेरठ डिवीजन, के कुलाबा संख्या ६१ तथा ५८ जो कि ग्राम भड़कऊ, जिला बुलन्दशहर में स्थित हैं, की बारबन्दी अब से पूर्व कौन-कौन से वर्ष में हुई थी और क्या उन उक्त कुलाबों की बारबन्दी की प्रतिलिपि नक्शा सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)—

रजबहा बहादुरगढ़ गंगा नहर मेरठ डिवीजन के कुलाबा न० ६१ तथा ५८ जो कि ग्राम भड़कऊ, जिला बुलन्दशहर में स्थित है कि वारबन्दी सन् १८८६ व १९०७ ई० में क्रमशः हुई थी। उपरोक्त कुलाबों को बारबन्दी के उपलब्ध कागजों को सदस्य महोदय मेरे कमरे में देख सकते हैं।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जो उक्त कुलाबों की वारबन्दी हो रही है उस में पिछली वारबन्दी के कागजात को किन कारणों से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस के अतिरिक्त क्या कारण है कि इस समय जो वारबन्दी हो रही कुलाबा नं० ६१ पर बहुत थोड़ा रकबा और कुलाबा नं० ५८ पर बहुत अधिक रकबा सम्मिलित किया जा रहा है जबकि दोनों कुलाबों का दहन ४ इंच ही है?

श्री गिरधारीलाल—

पुरानी अथवा पिछली वारबन्दी के कागजात को अध्ययन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी गयी क्योंकि मौजूदा चकबन्दी के पूर्व ही से पुरानी ओसराबन्दी के अनुसार सिंचाई नहीं हो रही थी। ओसराबन्दी कुलाबों पर लगे हुये वर्तमान कमान्ड के आधार पर की जा रही है। उन दोनों कुलाबों पर लगे हुये क्षेत्र में कोई विशेष रद्दोबदल नहीं की जा रही है। सिर्फ दो एकड़ भूमि कुलाबा नं० ६१ से कुलाबा नं० ५८ पर ली जा रही है।

सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, हाइडिल गंगा सर्किल कार्यालय, रुड़की का स्थानान्तरण

*३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, हाइडिल गंगा सर्किल के दफ्तर को रुड़की से हटाने की स्कीम से कितना नया खर्चा सरकार को मेरठ में इमारतें बनवाने की तैयारी में करना होगा?

श्री गिरधारी लाल—

सर्किल आफिस को रुड़की से मेरठ स्थानान्तरित किये जाने पर दफ्तरों के लिये भवन बनाने पर खर्चा करने का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का कोई विचार नहीं है।

सहकारी नलकूपों को सरकारी प्रबन्ध में लेना

*४—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सहकारी नलकूप सरकार ने अपनी नीति के कारण ले लिये हैं तथा कितने अभी नहीं लिये गये हैं तथा न लेने के कारण क्या हैं?

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

१२४ सहकारी नलकूप लिये जाने की योजना बनायी गयी थी, जिस में से ७८ नलकूप लिये जा चुके हैं। अब और सहकारी नलकूप लिये जाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से इनका लिया जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सहकारी नलकूपों में जब सरकारी पूंजी लगी हुई है और लघु सिंचाई योजना जो हम चलाने वाले हैं उसे ध्यान में रखते हुये सरकार ने इन नलकूपों को लेना निश्चय कर लिया है, तो फिर उस निश्चय में परिवर्तन क्यों किया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी विभाग से बलताया गया है कि इनको लेना उचित नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि इनमें से बहुत से नलकूपों की बोरिंग सरकारी एजेंसियों द्वारा करायी गयी थी और अब सरकार को बहुत से नलकूपों का पता भी नहीं है कि वह कहां स्थित हैं? तो जो रुपया उन पर सरकार का खर्च हुआ, उसको वसूल करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ये तो सहकारी नलकूप थे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा कहना यह है कि सरकारी एजेंसी द्वारा बोरिंग हुई है और सहकारी नलकूप में सरकारी वित्तीय सहायता २०–२५ हजार तक यानी जो अनुपात होता है उससे अधिक रहती है। इस बात को देखते हुये जो रुपया सरकार ने ऐडवांस किया उसके रिकवर करने के लिए कौन-सी योजना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो सरकार का विभाग देखेगा। यह सहकारी नलकूप एक घंटे में ४ हजार गैलन पानी देता है और नहर विभाग के १६ हजार गैलन देते हैं। हम उनको कैसे चला सकते हैं?

श्री ऊदल—

सिंचाई विभाग द्वारा सहकारी नलकूपों की बोरिंग हुई जोकि हर तरीके पर विचार करके और सर्वेक्षण करके हुई होगी, क्या वह वैसे ही करा दी गयी, उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सहकारी विभाग ने कहा तो किसी ने बोरिंग किया होगा, इसमें कौन कसूर हो गया?

श्री रघुनाथसिंह—

कुछ नलकूप लिये गये, कुछ नहीं लिये गये, यह किस आधार पर सिंचाई विभाग ने निर्णय लिया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

निर्णय तो सरकार ने लिया। ऐसे ही थोड़ा लिया करती है? कुछ न कुछ आधार तो होगा ही।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी जांच करने को तैयार हैं कि जो नलकूप खराब पड़े हुये हैं वह किस की जिम्मेदारी है और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नहीं, साहेब!

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ये नलकूप कहां-कहां स्थित हैं और पर-आवर डिस्चार्ज इनका क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसकी विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास है, आप देख लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

और जिनको नहीं लिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनकी भी सूचना हमारे पास है, मैं दिखा दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उनको बताना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि सूची आकर देख लें।

श्री रघुनाथसिंह—

उत्तर में मन्त्री जी ने बताया कि आधार कुछ होंगे। तो वह आधार क्या इस समय आपके पास नहीं हैं या किन्हीं कारणों से बताना नहीं चाहते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास सब तैयार हैं, आप चाहेंगे तो बता दूंगा। सरकारी नलकूपों का डिस्चार्ज ज्यादा होता है, बिजली लगी हुई होती है। सहकारी नलकूप बहुत पुराने हो गये। अगर पैसा देकर उनको लें, उसके बजाय यह हमने उचित समझा कि अगर सरकार को ही बनाने हैं तो नये बनायें, पुराने से काम चलने वाला नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन नलकूपों को लिया गया वह अपेक्षाकृत अच्छे थे, इसलिए लिया और पुरानों को छोड़ दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक स्कीम पहले बनी थी और यह समझा गया था कि इन नलकूपों को लेकर, चला कर देखेंगे कि चल सकते हैं या नहीं। जब देखा गया कि काफी परेशानी है चलाने में, तो यह स्कीम बनायी गयी कि आगे नहीं लेंगे।

गांव ऊंचे करने का कार्य

*५—सर्वश्री टम्बेश्वरप्रसाद, हरीसिंह (जिला मेरठ), रियासतहुसैन, रघुवीरसिंह (जिला एटा), अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका ध्यान उत्तर प्रदेश आश्वासन समिति के तीसवें प्रतिवेदन के पृष्ठ संशोधन (ग) तथा (घ) में उल्लिखित निम्नलिखित टिप्पणी की ओर गया है ? "इस प्रकार सिंचाई विभाग एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने माननीय अध्यक्ष के निर्देश की अवहेलना कर के अपने कर्त्तव्यों के प्रति अनउत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का परिचय दिया है, वह अत्यन्त निन्दनीय एवं अशोभनीय है", उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए बाढ योजना के अन्तर्गत ऊंचे किये जाने वाले गांवों की सूची तैयार करने के संबंध में आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, गांवों की सूची तैयार कराने का कार्य हो रहा है। कुछ सिंचाई खण्डों में गांवों की सूचियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं और जो सूचियां प्राप्त हो गई हैं उनकी जांच हो रही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैंने कुछ पूछा है और उत्तर कुछ और दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न में जो लिखा है उस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने तुरन्त यह आदेश दिया कि जल्दी सूची तैयार की जाय। मगर, मान्यवर, बहुत से खन्डों तथा उप खन्डों से यह सूची आनी थी। बहुत से खन्ड टूट चुके हैं और उनके कागजात उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये कुछ देर लगी है। फिर भी ५ हजार में से ४,२६६ गांवों की सूची आ गयी है, करीब दो ढाई सौ की बाकी रह गयी है। उसको भी जल्दी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो मूल प्रश्न है जिसमें यह पूछा गया है कि ऊंचे किये जाने वाले गांवों की सूची तैयार करने के संबंध में आज तक क्या कार्यवाही की, इस बारे में क्या कहना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, हमने डिपार्टमेन्ट को बार बार लिखा है। उन्होंने दिक्कतें यह बतायी हैं कि बहुत से खन्ड और उप खन्ड चूंकि टूट गये हैं, इसलिये उनके कागजात उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये उनका ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी हमने उनको ताकीद की है और उसके फलस्वरूप, जैसा मैंने कहा, करीब ४,२६६ गांवों की सूची आ भी गयी है। दो, ढाई सौ गांवों की सूची रह गयी है, जैसे ही वह आ जायेगी मैं आपके सामने रख दूंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कदाचित् इस प्रश्न को पढ़ा नहीं। इस आश्वासन समिति की जो रिपोर्ट थी उसको भी उन्होंने नहीं पढ़ा। मेरा निवेदन यह है कि इस आश्वासन के प्रति विशेष रूप से विभाग ने लापरवाही की है। सरकार यहां तो आश्वासन दे देती है, मगर बाद को उसको पूरा नहीं करती। तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में दिये गये आश्वासनों की ओर विशेष रूप से स्वयं ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मुझे इसका दुःख है कि जो सूचना मांगी गयी उसको अभी तक हम सदन के सम्मुख नहीं रख सके। उसके लिये हमने विभाग को ताकीद भी की है, लेकिन जो दिक्कतें इंजीनियर्स ने बतायी हैं उनको भी नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। आने से पहले मैंने मालूम किया था कि कितने गांवों की सूची आ गयी है, तो मुझे मालूम हुआ कि ४,२६६ गांवों की सूची आ गयी है और जो दो ढाई सौ गांव ऐसे हैं जिनकी सूचना नहीं आई है उनकी सूचना भी हम जल्दी से जल्दी मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई इरादा इस आदरणीय सदन का अपमान करने का नहीं है और किसी का हो भी नहीं हो सकता। यह आदरणीय सदन सबसे बड़ा है। जो दिक्कतें इस संबंध में हैं उसके लिये मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे उनको भी देखें।

चिल्लूपार क्षेत्र में नलकूप तथा टेढ़िया बांध पर व्यय

*६—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चिल्लूपार निर्वाचन क्षेत्र, जिला गोरखपुर में कुल कितने नलकूप और लगाने की योजना है और किस-किस स्थान पर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

४ नलकूप जिनके स्थान हैं कोइरारी, बघौर, झुमना और रानीपुर ।

*७—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के टेढ़िया बांध पर १९६४–६५ में और १९६५–६६ में क्या व किस कार्य के लिये कुल कितना रुपया खर्च हुआ और क्या-क्या बचाव कार्य किये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

टेढ़िया बांध पर १९६४–६५ तथा ६५–६६ में हुए खर्च और कराये गये कार्य का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०० पर)

*८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले के टेढ़िया बांध को घाघरा नदी के कटाव से खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो उसे रोकने के क्या-क्या उपाय अमल में लाये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

घाघरा नदी की एक छोटी धारा द्वारा बांध पर कटाव हो रहा है । इसको दूर करने के लिये पूरा ब्यौरा रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट को अध्ययन के लिये भेज दिया गया है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र के सिलसिले में सिंचाई विभाग कौन सी योजना के अन्तर्गत वर्ल्ड बैंक से जो ट्यूबवैल मिले हुए हैं, कितने ट्यूब वेल देने का विचार कर रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो आपने आगे की बात पूछी परन्तु अभी तक चार नलकूप देने की बात है । ३१ ट्यूबवैल लग चुके हैं और चार इस साल बनाने की योजना है । आगे वहां सर्वेक्षण होगा और जैसा उचित पाया जायेगा वैसा किया जायेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में और वर्ल्ड बैन्क के जरिये से कितने नलकूप इस एरिया में सरकार लगाने जा रही है । इसका जवाब नहीं आया है । यह बताने में दिक्कत हो तो मैं कुछ गांवों का नाम बताऊं । उन गांवों का पर्वेक्षण कराकर मंत्री जी ट्यूबवैल लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब तक सर्वेक्षण हुआ नहीं उसके पहिले यह कहें कि कितने नलकूप लगे हैं यह बताना संभव नहीं है और हो भी नहीं सकता । आप गांवों का नाम बता दें तो आपको मैं बता दूंगा

और आपके क्षेत्र में भी हम सर्वेक्षण कर लेंगे और जहां उचित होगा वहां ट्यूबवैल लगाने की व्यवस्था कर देंगे ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, आज यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री भी मौजूद हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि २६ + ५ हुए ३१ और उसके बाद चार और होने से ३५ हो गये । गोरखपुर के एक छोटे से हिस्से में ३५ परन्तु हरदोई जिले को केवल १० ट्यूबवेल तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिले थे और उसमें भी चार गड्ढे अब तक खुदे हैं। इनको तो पटेल कमीशन, वर्ल्ड बैंक, सुचेता कमीशन और राममूर्ति कमीशन से अरबों रुपया एक ही तरफ प्राप्त हो रहा है । क्या हरदोई का बदकिस्मत जिला इस स्टेट में नहीं है ?

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, इनको इस प्रकार आक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं इनसे नहीं कह रहा हूं । मैं मंत्री जी से कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप से सब सहानुभूति रखते हैं । यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी अविलम्ब कटाव रोककर पच्चासों गांवों की रक्षा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसकी नोक थोड़ी कट गयी है । उसे देख लिया जायगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी अविलम्ब आदेश देंगे कि कटाव रोकने का पूरा इन्तजाम तुरन्त किया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वहां बालू ज्यादा होने से दिक्कत है । हम विभाग के लोगों से कहेंगे कि अगर ऐसा इन्तजाम हो सके तो करें ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मंत्री जी जिलाधीश को कोई सुझाव ऐसा देंगे कि कटाव को रोकने के साथ गांवों के लोगों की सुरक्षा का भी प्रबन्ध करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जरूर कह देंगे ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या यह सही है कि सरकार रुड़की के इंजीनियरों की सलाह पर कार्य नहीं करती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सलाह हो और रुपया न हो, तब दिक्कत हो जाती है ।

श्री रामायण राय—

कटाव की रिपोर्ट किसी बड़े इंजीनियर के यहां से भेजकर मंगावेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रिपोर्ट तो हमारे पास डिटेल्ड हैं, चाहें तो बता सकता हूं।

सिंचाई विभाग, देवरिया से सीमेंट की बिक्री

*९—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री काशीनाथ मिश्र, श्री उग्रसेन तथा श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या पूर्ति मंत्री को देवरिया के विधायकों का जून, १९६६ के दूसरे सप्ताह में इस आशय का पत्र मिला है कि सिंचाई विभाग (ट्यूबवेल) देवरिया के इंजीनियरों ने मई, १९६६ में ३५,००० बोरे सीमेन्ट देवरिया के कुछ लोगों को अधिक दाम पर बेच दिया ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

टेहरी के निकट बस दुर्घटना

*१०—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ३० मई, १९६६ को एक यात्री मोटर गाड़ी के टेहरी के पास ७०० फीट नीचे मिलंगना नदी के खड्ड में गिर जाने से लगभग ५० यात्री मर गये ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

३८ यात्रियों की मृत्यु घटनास्थल पर हुई, ३ व्यक्ति लापता हैं।

*११—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार इस भयंकर मोटर दुर्घटना का पूरा विवरण सदन को बतायेगी और यह भी सूचित करेगी कि इस मामले में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक ३० मई को एक प्राइवेट गाड़ी तीसरे गेट से घनसाली को टेहरी के लिये ३.२० अपरान्ह रवाना हुई थी और यह ७ मील ३ फर्लांग ३०० फीट की दूरी पर प्रायः ६०० फीट नीचे खड्ड में गिर पड़ी। गाड़ी पर उस समय प्रतीत होता है ४२ सवारियां बैठी थीं। एक यात्री गाड़ी गिरते समय निकलकर झाड़ियों में फंस गया। उसने जाकर प्रधान तथा पुलिस चौकी में खबर की। पुलिस ने तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुंचकर यात्रियों की लाशों को बाहर निकाला। ३८ लाशें पाई गईं, ३ लापता हैं। दुर्घटना की जांच करने पर उप परिवहन आयुक्त इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि न गाड़ी में और न ड्राइवर ही में कोई खराबी थी, बल्कि ड्राइवर के झपकी आ जाने के कारण ही यह दुर्घटना हुई।

प्रतापपुर ब्लाक में नलकूप

*१२—श्री वैजनाथ पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिला अन्तर्गत ब्लाक प्रतापपुर में ग्राम पिलखिनी, भुलेन, पूराम्मठोई, चौका, नेवादा, जंघई, नेवादा, महरछा, पूरेडेह और ब्लाक धनूपुर में वाऊपुर और पिपरी, सतभामाकपूरा, कोट दक्खिन, सहरोबोझ, सिरसा, धनूपुर, बाकूपुर तथा ब्लाक सैदाबाद में गांव बझहा, मिश्रान, अवरता, तथा ब्लाक हंडिया में बमैला, जतोगोपुर, झिरी हरी बगहा, पृथ्वीपुर, नाहरपुर, जबाराडीह, पूरागो कई, चकपाली, रामनगर,

---

नोट—तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बीरापुर, झिणीभेससी, महकरा, पूरा, मथुराबास मीढी में नलकूप लगवाने की योजना है ? यदि है, तो कब तक लगेंगे ।

श्री गिरधारीलाल—

इलाहाबाद जिलान्तर्गत ब्लाक धामपुर के ग्राम पिपरी में एक राजकीय नलकूप प्रस्तावित है जिसका निर्माण चालू वित्तीय वर्ष १९६६–६७ में हो जायेगा। प्रश्न में कथित शेष ग्रामों में से इस समय कोई नलकूप प्रस्तावित नहीं है ।

हाहा नाला बांध

*१३—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाहानाला बांध जिला आजमगढ़ को घाघरा नदी के कटाव से बचाने के लिये वित्तीय वर्ष १९६६–६७ में कौन-सा कार्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बदायूं जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध शिकायत

*१४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६६ में आनरेरी मैजिस्ट्रेट कमेटी, बदायूं ने कलेक्टर तथा न्याय मंत्री से जिले के किन-किन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध शिकायत की है ? वह शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जिला बदायूं में सन् १९६६ में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की चुनाव कमेटी के कुछ सदस्यों ने सर्वश्री राम गोपाल वैश्य तथा हर बिलाश गोयल, अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध दो शिकायती पत्र भेजे थे जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं। आरोपों की जांच की गई किन्तु उक्त मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं पाये गये ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०१—१०३ पर)

नरौरा बांध पर मृत श्री नरेन्द्रबिहारी मिश्र तथा श्री लक्खी के परिवारों को मुआवजा

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री नरेन्द्र बिहारी मिश्रा, वर्क चार्ज मुंशी, तथा श्री लक्खी बेल्डर ११ नवम्बर, १९६४ को नरौरा बांध (बुलन्दशहर) पर सरकारी काम करते हुये प्रातः १० बजे गंगा में डूब गये और लक्खी बेल्डर की लाश भी न मिल पाई ? यदि हां, तो फैटल एक्सीडेंट ऐक्ट के अनुसार उनके परिवारों को अब तक मुआवजा न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

जिलाधीश, बुलन्दशहर ने स्वर्गीय श्री नरेन्द्र बिहारी मिश्र की पत्नी को ६,००० रु० तथा स्वर्गीय श्री लक्खी बेलदार की पत्नी को ३,६०० रु० वर्क्समेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट, १९२३ के

अन्तर्गत मुआवजा देना निश्चित किया है। इसके भुगतान के लिये मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को लिखा जा रहा है। श्री लक्खी की विधवा को १०० रु० अन्तरिम मुआवजा दिनांक ४ जून, १९६५ को दिया जा चुका है।

इंडियन फैटल ऐक्सीडेन्ट्स ऐक्ट, १८५५ के अन्तर्गत मृत व्यक्तियों की ओर से मुकदमें द्वारा हरजाना वसूल करने का प्राविधान है। यह अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होता।

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की जान बचाने के क्या प्रयत्न उस समय उपस्थित सरकारी कर्मचारियों ने किये? यदि नहीं तो, सरकार ने दोषी व्यक्तियों को क्या दन्ड दिया?

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के डूबते समय की एकाएक चिल्लाहट को सुनकर एक सरकारी नाविक जो कि वायें किनारे पर विद्यमान था, तुरन्त झपटा परन्तु जब तक वह उस स्थान पर पहुंचा, दोनों व्यक्ति डूब चुके थे। उसके पश्चात् भी पूर्ण संभव प्रयास किये गये और अन्त में एक घंटे के बाद श्री नरेन्द्र बिहारी मिश्र की लाश मिली। श्री लक्खी की लाश भी नहीं मिल पाई।

चूंकि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को बचाने के लिये पूर्ण संभव प्रयास किये गये अतः किसी व्यक्ति के दोषी पाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शोहरतगढ़ में जीप दुर्घटना

*१७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २ मई, १९६६ को बस्ती जिले के शोहरतगढ़ बाजार में जीप से कोई दुर्घटना हुई जिससे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो:

(क) उक्त जीप का मालिक कौन है?
(ख) जीप को कौन चला रहा था?
(ग) उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुजफ्फर हसन—

२ मई को नहीं, ३ मई को दुर्घटना हुई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक लड़की घायल हो गई।

(क) जीप के मालिक श्री मथुरा प्रसाद पांडेय एम०एल०सी० हैं।
(ख) जीप को श्री जलालुद्दीन चला रहे थे।
(ग) श्री जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुकदमा कायम हुआ है।

बस्ती जिले में ट्रांसफारमर जल जाना

*१८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि बस्ती जिले में वित्तीय वर्ष १९६५–६६ तथा १९६६–६७ के प्रथम ढाई महीनों में ३ ट्रांसफारमर जल गये? यदि हां, तो जल जाने के कारणों की जांच सरकार द्वारा कराई गई? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में ट्रक दुर्घटनायें

*१९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने आदमियों की मृत्यु मोटर तथा ट्रक से दबकर १ जनवरी, १९६५ से ३ मार्च, १९६६ में हुई ?

*२०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों की मृत्यु मोटर तथा ट्रक से दबकर हो जाती है उन मोटर तथा ट्रक चलाने वालों को जमानत पुलिस के थानों पर हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कानून में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[५वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

[९ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री कल्पनार्थसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तगत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३-४—श्री रियासत हुसैन—

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५—श्री रियासत हुसैन—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६-७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८-९—श्री झारखण्डेराय—

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मंझनपुर में बस स्टेशन

*१०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर रीजन में प्रयाग नगर से गहेराघाट जाने वाली बस रूट पर तहसील हेड क्वार्टर मंझनपुर में बस स्टेशन की सरकारी इमारत बनाने की कोई योजना बनी है ? यदि हां, तो कब और क्या तथा वह इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है । भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात् योजना तथा इमारत का निर्माण हो सकेगा ।

*११—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहजहांपुर जिले में वोटरलिस्ट उर्दू में बनाने की मांग

*१२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार शाहजहांपुर जिले के लोक सभा क्षेत्र तथा विधान सभा क्षेत्रों में उर्दू में वोटर लिस्ट बनाकर बेचने की क्रिया करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं ।

*१३—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में हिन्दी में वोटर लिस्ट होने की वजह से मुसलमान वोटर्स के नामों में जो तलफ्फुज की भारी गलतियां हो गई हैं और जिन से हजारों वोटर्स का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं लिखा है, उनको सरकार किस तरह ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर—

इस सम्बन्ध में निर्वाचन नामावलियां दावे और आपत्तियों के लिये प्रकाशित कर दी गई हैं ? जिन लोगों के नाम दर्ज नहीं हुये हैं या जिनके नाम में कोई गल्ती है वह लोग दावे या आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में जो शिकायत की गई है उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ध्यान में लाया जायेगा ।

*१४—श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

[६ठें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१६—श्री कल्पनार्थसिंह—

[६ठें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१७—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सिंचाई विभाग में ट्रेसरों की पदोन्नति

*१८—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्य करने वाले वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है और वे दसियों वर्ष से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस समय ट्रेसरों की पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है । परन्तु इनकी पदोन्नति का मामला शासन के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा २६ जुलाई, सन् १९६६ को पारित किया गया था, तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ८ अगस्त, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की सूचनाओं को अभी मैं देख नहीं पाया हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

देवरिया के डी० एम० के खिलाफ तो जुडिशल स्ट्रिक्चर बहुत साफ हैं..

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आचार संहिता के बारे में आइटम नं० २ पर पेश हुआ था..

श्री अध्यक्ष—

मगर वक्तव्य नं० २ पर थोड़े ही हैं।

मेरे पास कई एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया है। सरकार ने गलत कानून बनाकर जुडिशल सर्विस में हस्तक्षेप किया है, जिससे डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है।

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव हाई कोर्ट में कार्य संचालन के बारे में है कि न्याय मूर्ति श्री नसीरुल्ला बेग ने बिना शपथ लिये मुख्य न्यायाधीश का काम शुरू कर दिया। यह विषय हाई कोर्ट के विचाराधीन है, अतः उसे नहीं लिया जा सकता है।

श्री कुमार करुणाकृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

शपथ का इन्तजाम का काम गवर्नर का है। शपथ गवर्नर के सामने या जिसे वह नामिनेट करे उसके सामने ली जाती है। आर्टिकिल २१६ में हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और दूसरे जज होते हैं। चीफ जज न होने से हाई कोर्ट ठीक से गठित नहीं है। शपथ के इन्तजाम की जिम्मेदारी गवर्नर की या सरकार की है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि वह विषय हाई कोर्ट के विचाराधीन यानी सब-जुडिस है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नायर साहेब ने तो कहा है कि हाई कोर्ट ही गठित नहीं है। तो सब-जूडिस नहीं हो सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपने कहा कि यह मामला सबजुडिस है, मैं तो समझता हूं कि मामला सबजुडिस जरूर है, लेकिन यह कि सरकार ने ओथ के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया और वह नहीं ली गई, यह चीज सबजुडिस नहीं है। सरकार ने प्रबन्ध नहीं किया, क्या यह चीज भी सबजुडिस है?

श्री अध्यक्ष—

यह शपथ दिलाने का काम गवर्नर का है। माननीय मुख्य मंत्री ने तो केवल नियुक्ति का काम किया, लेकिन उसके बाद शपथ का दिलाना या न दिलाना यह गवर्नर का काम है।

श्री कुमार करुणाकृष्ण नायर—

मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष—

आप तो वकील हैं जजमेंट के बाद कहीं बहस सुनी जाती है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब तो मुख्य मंत्री कह दें कि इन्तजाम कर देंगी।

श्री अध्यक्ष—

अब यह सब अव्यवस्थित बातें हैं। आप बैठें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह व्यवस्था कर रही हैं या अब भी ऐसा ही रहेगा?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

माननीय माधवप्रसाद जी का एक कार्य स्थगन प्रस्ताव है कि "उत्तर प्रदेश हायर जूडीशियल सर्विस रूल्स के अधीन कुछ जिला एवं सेशन्स न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अवैधानिक एवं गैर कानूनी बता कर सर्वोच्च न्यायालय ने आगे नियुक्तियां न करने का निर्देश दिया है।"

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी से)

आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा कहना यह है कि हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये। इसमें दो बातें थीं, एक तो सिद्धान्त की बात थी कि सरकार ने जुडीशियल सर्विस के लोगों के अप्वाइंटमेंट के विषय में जो हस्तक्षेप किया है वह बहुत ही निन्दनीय है और मैं समझता हूं कि इस कांग्रेस सरकार ने ऐसा करके जनतन्त्र की रीढ़ को ही तोड़ा है।

श्री अध्यक्ष—

आप न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अवैधानिक कह सकते हैं, लेकिन इसमें हस्तक्षेप का सवाल नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप यह देखें जिन लोगों की नियुक्तियां अवैध घोषित की गई हैं उसका नतीजा यह हुआ है कि श्री चन्द्रमा हन का क्लेम सही हो गया और जितने अभी तक के अप्वाइंटमेंट थे वह सब अवैध

हो गये। तो इस तरह से वह ६ आदमी कहां जायंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी जिनकी कि नियुक्ति बराबर चली आ रही है और जो पीछे पड़ गये उनका अब क्या होगा? इसके अलावा जो मुकदमें इन लोगों ने जिला जज और सेशन जज की हैसियत से किये हैं और जो फैसले दिये हैं उनकी क्या पोजीशन होगी? इससे यहां के तमाम न्याय प्रशासन में उथल-पुथल हो गई है। इससे ज्यादा और भ्रामक स्थिति नहीं हो सकती।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैंने भी यही नियम १०६ के अन्तर्गत उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो खत्म हो गया अब।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप जरा सुन लें, यह मैंने दूसरे ढंग से किया है कि सरकार ने और गवर्नर ने जो संविधान की धारा २३७ के विरुद्ध काम किया है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है जस्टिस सुबाराव के फैसले की सीधी मुखालफत की गई है और उसके विरुद्ध कार्य हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

१०६ में कहां आता है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

संविधान की धारा २३७ के विरुद्ध इस सरकार ने काम किया है। इस सरकार को हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन प्रस्ताव का विषय केवल यह है कि अवैधानिक विधि या नियमों के परिणाम-स्वरूप कुछ अनियमित नियुक्तियां हुईं। हमारे यहां जो कानून बनते हैं उनके सम्बन्ध में अदालत अगर फैसला कर देती हैं कि वह अल्ट्रावायरस है या उनमें कोई कानूनी नुक्स है तो यह अल्ट्रावायरस होना या गैरकानूनी होना एक राय की बात है और उसका उपचार भी है। इस सदन का यह काम होता है कि उन कानूनों को जो अवैध घोषित होते हैं, उनको संशोधित करके ठीक कर लें। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आपने कहा कि यदि अधिनियम में या कानून में कोई गल्ती हो तो उसका एक ही रास्ता है कि नियमों को संशोधित कर लिया जाय। लेकिन यदि किसी कानून के कारण जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया हो तो न्यायपालिका में जो अव्यवस्था हो गयी, उसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

जब कोई कानून अवैध घोषित होता है तब भी यही नतीजा होता है। जब कोई भी कानून अवैध निश्चित होता है या जब कोई भी फैसला उच्च अदालत से निरस्त होता है तो उसका जो परिणाम होता है वही परिणाम इसका भी होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जुडीशियरी पर हावी होना चाहती है। मैंने नियम १०६ में एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि यह काम रोको का विषय नहीं है। और कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है।

श्री झारखंडेराय जी ने एक काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक ५ अगस्त, सन् १९६६ को लगभग १२ बजे दिन में डा० जगरनाथ प्रसाद भारतीय सेक्रेटरी, मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, लखनऊ को ब्रह्म नगर पार्क के पास सब-इंस्पेक्टर श्री गन्धर्वसिंह, थाना कृष्णानगर ने बुरी तरह पीटा।

यह वाकया ५ अगस्त का है। अतः यह विलम्बित है। इसे ५ अगस्त के तुरन्त बाद ही आना चाहिए था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य का मामला है। वाकया यह था कि वहां पर नेशनल फ्लैग लगा था। डा० भारतीय ने यह कहा था कि यह नेशनल फ्लैग का मामला है, लेकिन थानेदार उनको बुरी तरह मारते हुए थाने में ले गये। श्रीमन्, इस प्रकार की घटनायें सारे प्रदेश में होती रहती हैं। अतः आप इस पर व्यवस्था दें कि इस विषय पर बहस होनी चाहिए। इस पर कुछ तो कार्यवाही होनी चाहिए। आप इसे उचित कार्यवाही हेतु सरकार को भेज दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

यह काम रोको का विषय नहीं हो सकता है। जांच होनी चाहिए, मैं आपसे सहमत हो सकता हूं लेकिन इसके दूसरे तरीके हैं।

(श्री शराफत हुसैन रिजवी ने श्री अध्यक्ष की आज्ञा के बिना भाषण देना आरम्भ किया। श्री अध्यक्ष के बार बार आदेश देने पर उन्होंने स्थान ग्रहण नहीं किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने की आज्ञा दी, किन्तु श्री शराफत हुसैन रिजवी नहीं गये। श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल की प्रार्थना पर माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। राष्ट्रीय ध्वज ऐसी महत्वपूर्ण चीज का अपमान किया जाय और उसकी रक्षा करने में एक आदमी को पुलिस द्वारा पीटा जाय और इतना पीटा जाय कि उसकी एक आंख गायब हो जाय, उसके कपड़े फट जाय और उसकी हालत खराब हो जाय तो उसके निवारण के लिये अगर आपके पास कोई कामरोको प्रस्ताव आता है या और किसी जरिये से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही जाती है तो आप उसको इन्कार कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन-सा तरीका है हमारे पास कि इस सदन में आपके माध्यम से हम ऐसी अपमानजनक चीजों का निवारण करा सकें ?

श्री अध्यक्ष—

वही तरीका है जिस तरीके से सूचना देनी चाहिये। इस तरीके से खड़े होकर नियम ५२ में कार्यवाही की मांग नहीं की जा सकती।

बदायूं तथा एटा जिलों में गंगा नदी पर बने बांधों के अकस्मात फट जाने से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक मैंने माननीय वेदराम की सूचना को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है :—

"बदायूं जिले में गंगा नदी पर तहसील दातागंज के विकास खंड उसावा में बने बांध के अकस्मात फट जाने से चारों ओर के लगभग १०० ग्राम जलमग्न हो गये हैं। यह बांध जाटी के पास फटा है। खड़ी फसल नष्ट हो रही है। नर-नारी बे घरबार हो रहे हैं। सरकार द्वारा बांध को ठीक कराने की अभी तक कोई भी समुचित व्यवस्था न किये जाने से जनता में घोर असन्तोष एवं उत्तजना व्याप्त है। स्थिति निरन्तर भयंकर हो रही है।

अस्तु आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

एक दूसरी नियम ५२ की सूचना माननीय गिरवर प्रसाद और माननीय जगन्नाथ राव की है जो इस प्रकार है :—

"एटा जिले में गंगा नदी पर बने उडहर बांध के अकस्मात फट जाने से चारों ओर का क्षेत्र जलमग्न हो गया है। सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी भर गया है। खड़ी फसल नष्ट हो रही है। ग्रामीण घर छोड़ कर भाग रहे हैं। परन्तु सरकार द्वारा कोई भी समुचित व्यवस्था न किये जाने से जनता में घोर असन्तोष एवं उत्तेजना है।

अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

मैं समझता हूं कि इन दोनों को माननीय राजस्व मंत्री १२ अगस्त को दिये जाने वाले वक्तव्य में सम्मिलित कर लेंगे।

लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनिवार्य रूप से अरहर की दाल बेचे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक है माननीय सुखदेव प्रसाद जी का—जिसमें लिखा है कि लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर १ रुपया प्रति किलो की दर से अरहर की दाल अनिवार्य रूप से बेची जा रही है। १ रु० प्रति किलो की दर बाजार भाव से अधिक है। मेरी जानकारी है कि लखनऊ वीमेन कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर की दाल जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दूकानदारों को खरीदने के लिये मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि इसका मूल्य बाजार भाव से अधिक तथा किस्म खराब है। अस्तु जनता में सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। सरकार ने इसे रोकने की कोई कार्यवाही अभी नहीं की है।

अस्तु आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इसको मैं माननीय खाद्य मंत्री की सेवा में विशेष ध्यान और अन्वेषण के लिये भेज रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी है। इलाहाबाद जिले के नैनी औद्योगिक केन्द्र में स्थित श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद कारखाने में मजदूरों की हड़ताल के कारण मालिक ने तालाबन्दी कारखाने में कर दी, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों मजदूर बेरोजगार होकर नैनी क्षेत्र में पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने एक तरफ तो हड़ताल की बात कही है और दूसरी तरफ तालाबन्दी की बात भी कही है। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि यह क्या है। अनिश्चित तथा अस्पष्ट होने के कारण मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैंने जो नियम १०६ के अन्तर्गत दिया है उसे भी पढ़ दीजिये, यह बड़ा ही वैधानिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कौन कहता है कि आपकी बात वैधानिक नहीं होती ?

लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनिवार्य रूप में अरहर की दाल बेचे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

दाल वाला प्रश्न जो आपने सरकार के पास भेज दिया है, मैं समझता हूं कि आप सरकार से यह भी कह दीजिये कि वह सदन को इस बात की भी सूचना दे कि वह दाल जो बिक रही है वह कहां से आयी है ?

श्री अध्यक्ष--

सारी सूचना दे देंगे। अगर आपके पास अधिक सूचना हो तो उसे भी खाद्य मंत्री के पास भेज दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह बात श्रीमन्, मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसमें हमारे मुख्य सचिव, श्री के० के० दास का हाथ है।

लखनऊ में गिरफ्तार व्यापारियों को छोड़ दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

यह सही है कि ४ अगस्त, १९६६ को सन्ध्या के साढ़े ४ बजे तथा साढ़े ६ बजे के बीच खाद्य तथा रसद विभाग के कर्मचारियों व पुलिस ने लखनऊ नगर के लालबाग, नरही, हजरतगंज, आलमबाग, चारबाग तथा डालीगंज बाजारों में छापा मारा। इन छापों की देखभाल करने के लिये ५ मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त (डेप्यूट) किये गये थे। इन छापा मारने वाले दलों ने न केवल उचित मूल्य ग्रहण आदेश, १९६३ के प्राविधान ३, जिसमें मूल्य सूची तथा स्टाक न होने की सूची टांगना था, का पालन ही देखा बल्कि यह भी देखा कि जहां पर मूल्य सूची टंगी है क्या वे

दुकानदार खरीदारों से वही कीमत ले रहे हैं जो सूची में अंकित की गयी है। इन छापों के फलस्वरूप ६४ व्यापारियों को केवल उक्त आदेश के प्राविधान ३ का उल्लंघन करने के लिये पकड़ा गया। टेस्ट परचेज के दौरान में कोई भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें घोषित मूल्य से अधिक मूल्य लेते हुए गिरफ्तारी की जा सकती थी।

उचित मूल्य ग्रहण आदेश, १९६३ के अन्तर्गत किये गये अपराध भारत सुरक्षा कानून के उपनियम ९ (नियम १२५) में दण्डनीय हैं और जमानत का प्राविधान नियम १५५ में है। चूंकि अपराध टेक्नीकल नेचर के थे और इसके अतिरिक्त ये छापे (रेड्स) उक्त आदेश के अन्तर्गत इस नगर में पहली बार ही मारे गये थे और जो व्यापारी पकड़े गये थे उनके विरुद्ध मुकदमा चलेगा ही, जिलाधीश ने यह उपयुक्त समझा कि उन व्यापारियों को जो जमानत के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं और वांछित जमानत दाखिल करते हैं जमानत पर छोड़ दिया जाय। अतः जिलाधीश ने अतिरिक्त जिलाधीश को आदेश दिया कि वह ऐसे व्यक्तियों की जमानत के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करें और आवश्यक आदेश दें। तदनुसार उनमें से २९ व्यापारियों को जिन्होंने जमानत पत्र दाखिल किये थे उसी तारीख को रात्रि में जमानत पर छोड़ दिया गया। मैजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की मंजूरी पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। यह कथन सही नहीं है कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने में किसी का कोई हाथ था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में चारों तरफ से बड़ी गलत हवा फैली हुई है कि किसी वरिष्ठ मंत्री ने प्रभावित किया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और या जो संबंधित मजिस्ट्रेट था उसका हाथ साफ नहीं था। पुलिस स्टेशन पर जाकर के रात को ऐबनार्मल तरीके से जमानत पर छोड़ा। आज कहा गया कि डी० एम० ने ए० डी० एम० से कहा कि अगर वह प्रार्थना-पत्र देते हैं तो छोड़ दें। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या लखनऊ शहर में कभी भी १२ बजे रात को किसी दूसरे केस में संबंधित मैजिस्ट्रेट ने पुलिस स्टेशन पर जाकर के किसी की जमानत ली है? अगर नहीं, तो कौन से कारण थे, किस के आदेश से डी० एम० ने ए० डी० एम० से कहा कि वहां जाकर के जमानत ले लीजिये, जब कि नार्मल कोर्स में ए० डी० एम० के पास पहुंचना उचित था, डी० एम० के पास नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह चर्चा है कि किसी वरिष्ठ मंत्री का हाथ था, और मैं वरिष्ठ मंत्री श्री हुकुम सिंह को समझता हूं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई हुक्म नहीं दिया औरों से मुझे किसी से कुछ मालूम नहीं हुआ। जिलाधीश से मालूम हुआ कि चूंकि उनमें से एक व्यक्ति हार्ट पेशेन्ट था और उसकी हालत कुछ खराब थी और दूसरे टेक्नीकल नेचर का मामला था इसलिये उन्होंने जमानत लेने के लिये कह दिया मैजिस्ट्रेट को कि आप जमानत ले लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। सवाल जुडिशियरी और पुलिस से संबंधित है, न्याय मंत्री से संबंधित है, उनका मैजिस्ट्रेट गैर कानूनी ढंग से पुलिस स्टेशन पर जाकर एक आदमी का जमानत करता है, जिसको पुलिस कानून में पकड़ती है। तो इसका जवाब न्याय मंत्री, पुलिस मंत्री दे सकते हैं या मुख्य मंत्री दें जब मुख्य मंत्री पर यह आरोप है कि उन्होंने छुड़वाया। खाद्य मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

गवर्नमेंट एक है कोई भी जवाब दे सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने पूछा था कि या तो किसी वरिष्ठ मंत्री ने प्रभावित किया या मैजिस्ट्रेट का हाथ सा नहीं था, तो इसका जवाब नहीं आया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था तो हमें दीजिये। यह सारा मामला गैर कानूनी ढंग से हुआ। न्याय विभाग में ऐग्जीक्यूटिव का दखल है। यह कानूनी ढंग से एक्जीक्यूटिव से संबंधित है लिहाजा न्याय मंत्री अथवा चीफ मिनिस्टर इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल समझते हैं कि उसमें कोई तत्व नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सवाल वरिष्ठ मंत्री का नहीं है। सवाल यह है कि कौन सी आवश्यकता पड़ी कि डी० एम० ने ए० डी० एम० से कहा कि जमानत लो जब कि ए० डी० एम० ही जमानत ले सकता था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मुझे जानकारी हुई है किसी बाहर के आदमी ने प्रेशर नहीं डाला। डी० एम० ने देखा कि मामला टेक्निकल नेचर का था और उसमें एक आध आदमी हार्ट पेशेंट था और उन पर केस चलाना ही था लिहाजा उन्होंने जमानत ले ली।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह एबनार्मल तरीका क्यों अख्तियार किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि हार्ट पेशेंट था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जवाब में चूंकि धारा १५५ का जिक्र किया गया है उसे मैं आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं :—

"Notwithstanding anything contained in the Criminal Procedure Code 5 (1898) no person accused or guilty of the contravention of these rules or orders made thereunder shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless prosecution has been given the opportunity to oppose the application for his release."

जिस वक्त ए० डी० एम० ने जा कर रिलीज आर्डर्स किये तो क्या प्रासीक्यूशन को चांस दिया गया और उसे भी सुना गया ? यदि नहीं तो क्या सरकार ए० डी० एम० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार है जिसने तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए रात को एक बजे जाकर जमानत ली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह तो दंडाधिकारी की हैसियत से गया था और वहां पर पुलिस के थाने में गया तो प्रासीक्यूशन तो पुलिस थी ही।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

जब कोई गिरफ्तार होता है तो मैजिस्ट्रेट के सामने रिमांड जाता है । क्या ए० डी० एम० या किसी मैजिस्ट्रेट के पास रिमांड गया रात को, और अगर बगैर रिमांड के छोड़ दिया गया तो यह गैर-कानूनी कार्य कैसे किया गया ? अगर रिमांड गया किसी मैजिस्ट्रेट के पास तो डी० एम० ने उसमें इंटरवेंशन करके क्या कंटेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अगर हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे तो हम भी कंटेम्प्ट आफ कोर्ट करेंगे ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---

जो एक कलप्रिट हार्ट का पेशेंट था, मैं यह जानना चाहता हूं कि पकड़े जाने के पहले मंत्री जी के पास या उनके आफिसर के पास सर्टिफिकेट आया था या पकड़े जाने के बाद सर्टिफिकेट आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरे पास तो कोई नहीं आया, वह तो मैजिस्टट्र के पास गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमानत की दरख्वास्त प्रार्थियों ने कहां, कब, किसको दी और कौन मैजिस्ट्रेट था जिसने जमानत की दरख्वास्त ली और कितने-कितने रुपये की जमानत पर लोग छोड़े गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस डिटेल के लिये सूचना की आवश्यकता होगी । मगर इतना मैं बता दूं कि वह डी० एम० के पास गये और उन्होंने ए० डी० एम० को नियुक्त किया । रात में ११ बजे के करीब कार्यवाही शुरू हुई ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि ये गिरफ्तारियां साढ़े ४ से साढ़े ६ के दरमियान में हुई और इन गिरफ्तारियों को करने के लिये पांच मैजिस्ट्रेट अतिरिक्त तरीके से नियुक्त किये गये और ६४ आदमी विभिन्न स्थानों से पकड़े गये जिनमें से २९ छोड़ दिये गये । २९ आदमियों में से एक हार्ट पेशेंन्ट था और मैजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद था । तो कौन सी परिस्थिति विद्यमान हो गयी कि उस मैजिस्ट्रेट ने उनको हार्ट पेशेंन्ट समझकर नहीं रिलीज किया और बाद में कोई एप्लीकेशन उनके सामने पेश की गयी ? यदि नहीं, तो क्या डी० एम० के सामने कोई ऐसी एप्लीकेशन पेश की गयी ? और फिर एक उस हार्ट पेशेंन्ट को ही क्यों नहीं छोड़ा गया, बाकी लोगों को छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह एक आदमी थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी । अब उन्होंने यह सोचा कि अगर हम एक को छोड़ देते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा (शेम, शेम की आवाजें) ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जो व्यवसायी गिरफ्तार किये गये उनकी जमानत की दरख्वास्त कहां, किस अधिकारी को और कब दी गयी और ये व्यवसायी कितने कितने रुपये की जमानत पर छोड़े गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह डिटेल की बात है, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जमानत की दरख्वास्त दी कहां गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हवालात में दी गयी, उसी पुलिस थाने में । (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी ने यह बताया कि एक आदमी हार्ट पेशेंन्ट था और चूंकि डिस्क्रिमिनेशन न हो इसलिये सब छोड़ दिये गये, सब को हार्ट पेशेन्ट मान लिया गया शायद, तो जो हार्ट पेशेंन्ट था उस व्यापारी का क्या नास था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं, रिपोर्ट में नाम नहीं दिया हुआ है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि और मामलों में भी, जो सत्याग्रह हुये हैं, राजनीतिक उपद्रव हुये हैं, असाधारण परिस्थितियों में रात को कैदी छोड़े जाते रहे हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आप खुद खाद्य आन्दोलन में जेल में थे, तो आपको नहीं छोड़ा गया था ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, जब मुझे राजनीतिक मामले में सजा हुई थी तो हवालात में ही मेरा फैसला सुना दिया था ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एश्योरेंस दिया था कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग नहीं होगा । लेकिन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना आपने डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया और जब आपको गलती मालूम हुई तो उन लोगों को छोड़ दिया गया । क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है पहले यह उचित मूल्य निर्धारण आदेश डी० आई० आर० में था । हम इससे इसको निकाल रहे थे, लेकिन बीच में वैक्यूम नहीं रह सकता और लोगों ने मांग की थी और कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थीं । इसलिये हमने जल्दी से ऐसा कर दिया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, आप व्यवस्था दें जैसा कि माननीय रामायण राय जी ने कहा कि सत्याग्रहियों को छोड़ा गया तो मैं जानना चाहता हूं कि सत्याग्रही और ब्लैक मारकेटियर्स आपकी नजर में और रामायण राय जी की नजर में एक सी मान्यता रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल मंत्री जी से पूछ लेते बजाय मुझ से पूछने के । यह व्यवस्था नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी कहा कि उनको डिटेल्स मालूम नहीं हैं और नाम भी मालूम नहीं हैं और यह मामला लखनऊ शहर का ही है । क्या मंत्री जी सारे डिटेल्स, उस व्यक्ति का नाम और उनका मेडीकल एक्जामिनेशन कराया या नहीं, ये सारी बातें आज या कल बतायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें कोई खास बात नहीं है । टैक्नीकल ग्राउन्ड्स पर उन्होंने किया था ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी असाधारण परिस्थिति थी जिसके अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट को, दुकानदारों के गिरफ्तार होने के बाद, थाने में भेज कर छोड़ने की जरूरत पड़ी और पुलिस से पूछ लिया गया था कि उनको छोड़ने में उसको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक यह प्रश्न है वह जेल में चले गये और डी० एम० को जब रिप्रेजेंटेशन हुआ और देखा कि मामूली टेक्नीकल ग्राउन्ड पर है तो उन्होंने कर दिया । वैसे मेरी राय में उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था । लेकिन वह कर चुके हैं तो अब ज्यादा बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मंत्री जी ने कहा कि जमानत तब ली गई थी जब वे हवालात में थे, तो वह थाने की थी या जेल में भेजे गये थे, जब कि हजरतगंज थाने में ६४ आदमियों को रखने की जगह ही नहीं है तो वे कौन सी हवालात में रखे गये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वे तो आलमबाग और हजरतगंज पुलिस स्टेशन्स में थे ।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि पहले इसकी व्यवस्था डी० एम० द्वारा की गयी, उसके बाद उसमें तब्दीली किसने और किसके अधिकार से की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसमें कोई तब्दीली नहीं है । उन पर डी० आई० आर० के अन्तर्गत मुकदमा चलायेंगे। वह जमानत पर हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री ने कहा कि किसी वरिष्ठ मंत्री ने डी० एम० को फोन नहीं किया और उन्होंने ठाकुर हुकुमसिंह जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया । मैं अपनी जानकारी से बताना चाहता हूं कि डाक्टर ताराचन्द और मिसेज ताराचन्द मुख्य मंत्री से मिलने गये । उनके लड़के मलकानी हैं । मुख्य मंत्री ने डी० एम० को फोन किया और डी० एम० ने ए० डी० एम० को फोन किया । ए० डी० एम० सिनेमा देख रहे थे । तो चपरासी से उन्होंने कहा कि जब सिनेमा देख कर लौटें तो हम से कंटैक्ट करें । ए० डी० एम० ने डी० एम० को कंटैक्ट किया और डी० एम० ने कहा कि जाकर सब की जमानत ले लो, यह बात सत्य है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

यह बात १०० परसेंट गलत है । माधवप्रसाद जी ने भी मेरा नाम लिया । कई दिन से यह बात सुन रही हूं । यह बात १०० परसेंन्ट गलत है । अगर इम्प्रोप्राइटी इसमें कुछ हुई है तो इसको हम देखेंगे ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने बताया कि एक गिरफ्तार आदमी हार्ट पेशेंन्ट था और इसलिये कि डिस्क्रीमिनेशन न हो बाकी को भी छोड़ दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में यदि कोई कैदी पैरोल पर या अस्वस्थता के कारण या किसी दूसरे कारण से छोड़ा जायगा तो क्या इस आधार पर कि डिस्क्रीमिनेशन न हो सब छोड़ दिये जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं कह चुका हूं कि जो डिस्क्रशन उन्होंने यूज किया है, मैंने नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको ऐसा डिस्क्रशन यूज नहीं करना चाहिए था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस कानून कायदे के अन्दर जिलाधीश ने अतिरिक्त जिलाधीश को आदेश दिया कि सब की जमानत ले लो और अतिरिक्त जिलाधीश को जमानत लेने की जरूरत नहीं थी जब कि सिटी मैजिस्ट्रेट जमानत ले सकते थे, अतिरिक्त जिलाधीश कैसे बीच में आ गये, अतिरिक्त जिलाधीश ने किस नियम के अन्तर्गत जमानत मंजूर की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैजिस्टीरियल कार्यों में हम दखल दे सकते हैं या नहीं, यह ला डिपार्टमेन्ट से पूछने की बात है । उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि जांच करेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

डी०आई०आर०के नियम १५५ के अन्तर्गत जमानत ली और उस नियम में साफ व्यवस्था की गयी है कि जब जमानत की दरख्वास्त पड़ेगी तो प्रासीक्यूशन को अपोज करने का मौका दिया जायगा । यह मौका नहीं दिया और न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हुई । तो जिस मैजिस्ट्रेट ने इस तरह की जमानत ली बिना प्रासीक्यूशन को मौका दिये हुये कि वह जमानत की मुखालिफत करे ऐसे मैजिस्ट्रेट के खिलाफ आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो ला डिपार्टमेन्ट से पूछना पड़ेगा ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया था कि जो लोग टेक्निकल आफेंस में पकड़े गये वह छोड़ दिये जायं ऐसा कोई आदेश था या नहीं और क्या उन्होंने इसके भी आदेश दे रखे हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग डिस्क्रीमिनेशन से काम लिया जाय जैसे नैनीताल में जो लोग टैक्निकल आफेंस के अन्दर गिरफ्तार किये गये उनको उसी वक्त जमानत पर छोड़ा गया और लखनऊ में हजरतगंज, नरही, आलमबाग वगैरह में जो पकड़े गये, जो टेक्निकल आफेंस के अन्दर बिलकुल साफ थे । जिसको कि मंत्री जी ने कौंसिल में एडमिट किया और यहां भी ऐडमिट किया तो उन्होंने रात में क्यों आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया और उसमें आदेश क्यों नहीं दिया कि जो टेक्नीकल नेचर के केसेज पकड़े गये हैं उनको छोड़ दिया जाय ? इसके अलावा, होलसेलर्स जो इस ब्लैक मार्केट की जड़ हैं और मेनली रिस्पांसिबिल हैं उनके यहां तलाशी न लेकर के छोटे दूकानदारों को जिनको होलसेल डीलर्स के यहां दौड़ना पड़ता है और बगैर पैसा दिये उनको माल नहीं मिलता, उन के लिये मंत्री जी ने क्या आदेश दिया, क्या हाउस को बतलायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारे आदेश हैं कि सख्ती से और अपने विवेक से काम करो ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

जहां तक व्यापारियों को छोड़ने की बात है मंत्री जी की निजी राय है कि उनको नहीं छोड़ना चाहिये था । मैं जानना चाहता हूं कि चोरबाजारी को रोकने के लिये सरकार ने जो कदम लखनऊ में उठाया है क्या पूरे प्रदेश में उसी तरह का कदम उठाने की कृपा करेंगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आपने देखा होगा कि कल भी पकड़े गये और वह छोड़े नहीं गये हैं । १८ जिलों से मेरे पास ऐसी सूचनायें आयी हैं । न वे छोड़े गये हैं और न छोड़े जायेंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय खाद्य मंत्री के पास रात में किसी शख्स ने टेलीफोन किया था कि इन लोगों की जमानत मंजूर कर ली जाय और उस पर आपने उनको यह जवाब दे दिया था कि वे इस मामले में पड़ने वाले नहीं हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतावेंगे कि वह टेलीफोन करने वाले शख्स कौन थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

एक दो आदमी नहीं शाम को मेरे पास कई व्यक्ति आये मैं उनको जानता नहीं हूं । मैंने उनसे कहा कि आप चले जाइये, मैं इस मामले में नहीं पड़ता । मैंने रात के लिये अपने शैडो से कह दिया था, रात को घंटी बजती रही, कि टेलीफोन उठाओ मत । मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या किया ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वह इस बात से सहमत हैं कि व्यापारियों को छोड़ा गया वह ठीक नहीं है । मैं भी यही समझती हूं और इस आदरणीय सदन की भी राय है कि उस वरिष्ठ अधिकारी ने जनतंत्र की भावना के विरुद्ध कार्य किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी उस अधिकारी के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैंने तो कह दिया है कि अगर कोई इम्प्रोप्राइटी होगी उसको हम देख लेंगे और जो कुछ कार्यवाही करना है वह तो करेंगे ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ६४ आदमियों की गिरफ्तारियां हुई तो क्या कारण है कि सिर्फ २९ की जमानत ली गयी ? साथ ही, इस बात को देखते हुये कि साधारण से साधारण कानून का उल्लंघन करने पर जिसकी गिरफ्तारी होती है उसकी जमानत की मांग की तसदीक तहसील या किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाती है, तो क्या इन मामलों में भी तफतीश किसी तहसीलदार से या मैजिस्ट्रेट से कराई गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को संतोष हो जाय तो फिर तहसीलदार से तफतीश कराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

(श्री नवल किशोर का नाम पुकारे जाने पर) नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने यह सवाल दे रखा है । आपने मुझे केवल एक सवाल पूछने की इजाजत दी है जब कि नवलकिशोर जी को तीसरी बार मौका दिया जा रहा है । आप यह व्यवस्था दें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

मेरा खयाल है कि नवलकिशोर जी ने अभी तक जितने प्रश्न किये हैं वह आपके मन के विपरीत नहीं किये हैं ।

श्री नवलकिशोर---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस समय यह छापे मारे गये उस समय ६ मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पर थे तो क्या उनको डैफिनिट हिदायत थी कि किन किन अफेन्स के लिये इनको गिरफ्तार किया जाय या जिस तरह से चाहो जिसको पकड़ लो और बन्द कर दो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह हिदायत थी कि जिसने प्राइस लिस्ट न टांगी हो, जो लिस्टेड प्राइस से ज्यादा चार्ज करता हो, जिसने स्टाक न दिखाया हो उनको पकड़ा जाय ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

कल जो गिरफ्तार हुये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी मैजिस्ट्रेट को उनकी जमानत पर रिहा करने के लिये क्यों नहीं भेजा इसको बताने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है । यह तो उनकी मर्जी पर है ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि जहां पर गड़बड़ हुई है उसमें हम जांच करेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

६४ व्यापारी गिरफ्तार किये गये । उनमें २९ को जमानत पर छोड़ा गया जिनके केस को सरकार ने बहुत कमजोर माना । मैं जानना चाहता हूं कि जिन ३५ को जमानत पर नहीं छोड़ा गया उन पर किस प्रकार का अभियोग है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यदि उस मामले में उन सब की जमानत की दरख्वास्त आती तो सब को छोड़ दिया जाता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

पंजाब मोटर वर्क्स के प्रोप्राइटर को गिरफ्तार किया गया । उसका जिम्मेदार उनका मुलाजिम है जो पुलिस की देखरेख में रजिस्टर उठाकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वह अदालत में अपना डिफेन्स दे सकते हैं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

हम लोग जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं उन सब ने इस बात की कसम खायी है कि देश के साथ और प्रदेश के साथ ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे । तो मैं आप से इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो रोज थूक चाट, नये अहकामात होते हैं तो वह क्या हैं ?

रोज इस शहर में हुकुम नया होता है,

कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है।

श्री अध्यक्ष—

शायरी तो होती है और कुछ होता है या नहीं होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप के जरिये मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इस प्रकार व्यवसायी भ्रष्टाचार और चोरी करके जो कानून को तोड़ते हैं उन के साथ कोई अधिकारियों की सहानुभूति नहीं होनी चाहिये अन्यथा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विस्फोट होगा जिसमें यह सरकार खत्म हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि कल जो लोग पकड़े गये हैं उन में कोई छोड़ा नहीं गया है और न छोड़ा जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे बलिया से इत्तिला मिली है कि जो कल गिरफ्तार हुये उन की १२ बजे रात तक जमानत जिलाधीश ने की है। तो क्या यह सूचना सरकार मंगाने की कृपा करेगी कि और सही सूचना हाउस को देगी ? नहीं तो विशेषाधिकार का सवाल उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

इस को वह ध्यान में रखें। यह ध्यान रखने की बात है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैनेजर सिंह जी को शुबाह हो गया है कि सरकार की मर्जी के विपरीत ए० डी० एम० जमानत ले रहे हैं।

विधान सभा के मुद्रण कार्य को राजकीय मुद्रणालय द्वारा बिलम्ब से सम्पादित करने के संबंध में सरकार से प्राप्त नोट

श्री अध्यक्ष—

ऐशबाग प्रेस के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठा था उस के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि मैंने सरकार को अपने विचारों के सम्बन्ध में एक लम्बा सा पत्र भेजा था और उस के परिणाम-स्वरूप जो जवाब मुझे मिला है वह मैं समझता हूं कि सन्तोषजनक है। उन्होंने इस में तीन बातें रखी हैं कि अगर विधान मण्डल की छपाई के कारण अन्य किसी छपायी के कार्य को समय से ऐंश-बाग प्रेस से पूरा न किया जा सके तो उस हालत में या तो उस कार्य की छपायी इलाहाबाद प्रेस से करायी जाय या संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण को भी अधिकार हो कि वह छपायी प्राइवेट प्रेस द्वारा पूरी करा सकें और प्राइवेट प्रेसों द्वारा पूरा करानें के लिए पर्याप्त धनराशि उन के पास उपलब्ध रहेगी।

२—ऐशबाग प्रेस में हिन्दी के कार्यों की छपाई की सुविधायें बढ़ायी जायें और ऐसा करने के लिए और जिन मशीनों तथा आदमियों की आवश्यकता होगी वे उपलब्ध की जायंगी।

[श्री अध्यक्ष]

३--विधान मण्डल के सचिवालयों तथा संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण के परामर्श से एक कार्यसूची बनायी जायगी, जिस के अधीन छपायी का कार्य समय तथा सुविधा से हो सके।

तो मैं समझता हूं कि इस को मन्त्रिमण्डल ने स्वीकार किया है। माननीय मुख्य मन्त्री ने भी स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि अब अपना कार्य ठीक से हो सकेगा।

विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर विवाद के विषय में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

एक जानकारी और करना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के सम्बन्ध में आप ने एक निवेदन करने के लिए बंशीधर पांडेय जी को कहा था कि वे आप का सन्देश मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा दें ताकि उस पर सदन में बहस हो सके अन्यथा आप सीधे उस को अपने नोट सहित महामहिम राज्यपाल को भेज देंगे। मैं समझता हूं कि यदि उस के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई सूचना आयी हो तो आप बतला दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकार जब आश्वासन देती है तो उस की पूर्ति के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और आप ने भी आश्वासन दिया था उस दिन कि माननीय बंशीधर पांडेय जी अगर सरकार से पूछ कर उस के लिए कार्यक्रम नहीं रखेंगे, तो आप उसे गवर्नर साहब के पास सीधे भेज देंगे। तो सरकार से तो कहते कहते हम लोग थक गये, अब आप अपने आश्वासन की पूर्ति करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं जो वचन दूंगा वह पूरा करूंगा। मैंने इस आदरणीय सदन में निवेदन किया था कि यदि सरकार किसी कारणवश इस की बहस के लिए समय नहीं दे सकेगी, तो मैं अपनी टिप्पणी सहित उस रिपोर्ट को गवर्नर महोदय के पास भेज दूंगा। मैंने यही बात मुख्य मन्त्री जी को लिख कर भेज दी है।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कल आप से इस विषय में मैं बात कर लूंगी। अभी तक मुझे फुरसत नहीं मिली थी।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है।

मंत्रियों के आचरण कोड को सदन में रखने के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अब आप वक्तव्य करा दीजिये मन्त्रियों के कोड के बारे में। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल वक्तव्य देने को कहा था।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। वह मैं अभी कराये देता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप मुख्य मन्त्री जी को आदेश दे दें कि वह बैठी रहें, नहीं तो चली जायंगी।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। जब उन्होंने वक्तव्य देने को कहा है तो वह वक्तव्य देंगी। इस तरह की बात कहना गलत है। सदन में बैठ कर एक दूसरे की नीयत पर हमला करना ठीक नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस में नियत पर हमला करने का कोई सवाल नहीं है।

फीरोजाबाद में मजदूरों की हड़ताल के कारण चूड़ी उद्योग में उत्पन्न संकट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब फीरोजाबाद के मजदूरों के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

मुख्य मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

दिनांक २९ जूलाई, १९६६ को फीरोजबाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा यह अफवाह उड़ा दी गयी कि जे० पी० ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद के सेवायोजकों ने दो श्रमिकों को मार कर उन के शवों को गायब कर दिया। इस पर दिनांक ३० जूलाई, १९६६ की प्रातः १ बजे श्रमिकों की एक भीड़ ने कारखाने को घेर लिया और बलपूर्वक फाटक को खोलकर कारखाने में काफी तोड़ फोड़ की और भट्टी तोड़ डाली। प्रातः ४ बजे तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी और सेवायोजकों से जो कि रक्षार्थ एक कमरे में बन्द थे, पूछ ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दो श्रमिकों के साथ मार पीट हुई थी जो स्थानीय अस्पताल में हैं। इस बीच पुलिस को एक और समाचार मिला कि स्थानीय कैप्रीहन ग्लास वर्क्स में सेवायोजकों ने एक श्रमिक को मार पीट कर रस्सी से बांध दिया है। पुलिस तुरन्त वहां पहुंची और एक आदमी को बंधा हुआ पाया। यह बताया गया कि उस ने केमिकल्स की चोरी की थी। पुलिस ने कारखाने के एक मुनीम तथा गेटमैन को गिरफ्तार कर लिया और पुनः जे० पी० ग्लास वर्क्स पहुंची और वहां कांच उद्योग कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष व उन के दो भाइयों और कारखाने के पार्टनर व एक मुनीम को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली ले गये। श्रमिकों की एफ भीड़ कोतवाली के पास एकत्रित हो गयी और यूनियन के अध्यक्ष को छोड़ने की मांग की। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप ३० जुलाई, १९६६ को प्रातः काल बाजार बन्द हो गयी किन्तु प्रातः १० बजे तक स्थिति सामान्य हो गयी। उस रात सब कारखाने बन्द रहे। दूसरे दिन साप्ताहिक अवकाश का दिन था फिर भी २ कारखानों में आंशिक रूप से कार्य हुआ। दिनांक ३१ जुलाई, १९६६ व १ अगस्त, १९६६ को रात्रि में २ और कारखानों में आंशिक रूप से कार्य आरम्भ हुआ। शेष कारखाने बन्द रहे। मेसर्स बिशम्भर ग्लास वर्क्स में जब कार्य चलाने की कोशिश की गयी तब श्रमिकों की एक भीड़ ने वहां धरना दिया। फलतः वह कारखाना चल न सका। दिनांक १ अगस्त, १९६६ व २ अगस्त, १९६६ की रात्रि में ११ कारखानों में आंशिक रूप से कार्य हो सका। दिनांक २ अगस्त, १९६६ व ३ अगस्त, १९६६ की रात्रि में कुल मिला कर २९ कारखानों में कार्य चल गया था किन्तु श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी। दिनांक ३ अगस्त, व ४ अगस्त, १९६६ की रात्रि में भी कार्य केवल २९ कारखानो में आंशिक रूप से चला। इन सब कारखानों में श्रमिकों की उपस्थिति लगभग ५० प्रतिशत रही। कारखानों में पूरी तरह से कार्य न हो सकने के कारण केवल यह था कि श्रमिक स्वयं पूरी संख्या में कार्य पर उपस्थित न हुये।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

२—उक्त घटना से पूर्व फीरोजाबाद में ४४ चूड़ी के कारखाने चालू हालत में थे, जिन में १३ कारखाने भट्टी टूट जाने के कारण पहले ही बन्द हो गये थे । २९ कारखानों में कार्य आंशिक रूप से चल रहा है। केवल दो कारखानों में, मेसर्स जे० पी० ग्लास वर्क्स तथा मेसर्स कैंप्रीहन ग्लास वर्क्स, जहां उक्त घटनायें हुयी थीं, कार्य नहीं चल सका है।

३—यह भी उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में रक्षाबन्धन के निकट चूड़ी के सभी कारखाने प्रायः बन्द हो जाते हैं। यदि श्रमिक कार्य पर निकट भविष्य में नहीं आते तो इन कारखानों के अभी से बन्द हो जाने की सम्भावना है ।

४—उपर्युक्त तथ्यों से यह विदित होगा कि यह मामला शान्ति और व्यवस्था से सम्बन्धित था जिस पर जिला अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही की। कोई श्रम सम्बन्धी विवाद इस समय नहीं है।

जे० के० काटन मिल्स, कानपुर के मजदूरों को बोनस न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जे० के० काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर के श्रमिकों ने १५ सितम्बर, १९६४ को १९६२ और १९६३ वर्षों के बोनस भुगतान की मांग को लेकर यकायक हड़ताल कर दी थी । श्रमिकों की मांग थी कि बोनस कमीशन की संस्तुतियों को जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है उसी आधार पर उन को १९६२ और १९६३ का बोनस दिया जाना चाहिये। २१-९-६४ से हड़ताल समाप्त होने के साथ ही दिनांक २२-९-६४ को एक आपसी समझौता हो गया, जिस के अन्तर्गत दोनों पक्षों ने सन् १९६२ और १९६३ की बोनस मांग को श्रमायुक्त, उ० प्र० को अनौपचारिक पंच निर्णय के लिए सुपुर्द कर दिया। श्रमायुक्त ने अपने फैसले दिनांक ८-१०-६४ के द्वारा सेवायोजकों को निर्देश दिया कि वे वेतन के ४ प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक वर्ष १९६२ और १९६३ के बोनस का भुगतान कर दें। वर्ष १९६३ का भुगतान दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक और १९६२ का भुगतान होली तक हो जाना था। सेवायोजकों ने वह भुगतान कर दिया। श्रमायुक्त ने अपने फैसले में यह भी निर्देश किया था कि यदि प्रस्तावित बोनस ऐक्ट में कोई परिवर्तन होता है तो सेवायोजक उस परिवर्तन के अन्तर्गत १९६२ व १९६३ के बोनस का पुनः हिसाब-किताब लगाकर जो कुछ भी समायोजन (ऐडजस्टमेंट) किया जा सकता है, कर सकते हैं ।

२—बोनस अध्यादेश १९६५, मई, १९६५ में लागू हो गया जिस के अन्तर्गत बोनस का भुगतान उस आर्थिक वर्ष से प्रारम्भ होता था जो कि १९६४ के किसी भी तारीख से प्रारम्भ होता है। सेवायोजकों ने १९६४ का बोनस उक्त अध्यादेश के अनुसार वितरित करने की नोटिस लगा दी किन्तु उन्होंने सन् १९६४ के बोनस का हिसाब ४ प्रतिशत देते समय १९६२ और १९६३ वर्षों के भुगतान किये हुये धन का मुजरा कर लिया और १९६४ साल का देय बोनस धनराशि, ३,२४,००० रु० में से केवल ४,७०० रु० २६५ श्रमिकों में वितरित किया।

३—प्रति श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर, ने अपने पत्र दिनांक ९ सितम्बर, १९६५ द्वारा मिल के डाइरेक्टर इन्चार्ज को सूचित किया कि सेवायोजकों ने श्रमायुक्त के पंच निर्णय का जो आशय (इन्टरप्रिटेशन) लगाया है वह सही नहीं है और वे १९६२ और १९६३ के सालों के बोनस का किसी प्रकार १९६४ के बोनस में मुआवजा नहीं कर सकते हैं। अतः वे १९६४ का बोनस अपने श्रमिकों को भुगतान कर दें। उसी तारीख को डाइरेक्टर इन्चार्ज और मिल मैनेजर को बोनस अध्यादेश के उल्लंघन करनेके लिए स्पष्टीकरण के लिए "शो काज नोटिस" भी दिया गया। एक और "शो काज नोटिस" दिनांक २१ सितम्बर, १९६५ को चेयरमैन

बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को भी दिया गया कि बोनस अध्यादेश के उल्लंघन के लिए उन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाय। चेयरमैन बोर्ड आफ डाइरेक्टर, डाइरेक्टर्स इन्चार्ज और मिल मैनेजर ने उन को दिये गये "शो काज नोटिस" का जवाब दिया और साथ ही उक्त "शो काज नोटिस" के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक नोटिस भी दिया।

४—साधारणतया रिट की नोटिस मिल जाने के बाद बोनस कानून के उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया। ज्ञात हुआ है कि सेवायोजकों ने रिट की नोटिस देने के बाद किसी कारण वह रिट दाखिल करना मुनासिब नहीं समझा।

५—शासन ने श्रमायुक्त को यह निदेश दे दिया है कि १९६४ के बोनस के इस विवाद को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत अभिनिर्णय के लिए भेज दें।

६—जहां तक वर्ष १९६५ के बोनस का प्रश्न है, वह ३१-८-६६ तक देय है।

राम गंगा परियोजना, कालागढ़ के कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन से संबंधित १६ मार्च, १९६६ को नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

रामगंगा परियोजना, कालागढ़ के कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन से सम्बन्धित, १६ मार्च, १९६६ को नियम ५२ के अन्तर्गत सदन में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह सूचित किया गया था कि आन्दोलन से सम्बन्धित गोली कांड की जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। यह जांच उस समय नहीं हुई थी, किन्तु जांच ४ मई, १९६६ से जिलाधीश, सहारनपुर द्वारा आरम्भ की गयी।

मंत्रियों के आचरण कोड को सदन में रखने के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस आचार संहिता को केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्रालय ने १९६४ में तैयार किया था और केन्द्रीय मन्त्रि मण्डल ने उस को स्वीकार किया था। उसके बाद सारे प्रान्तों को उसको भेजा गया, हमारी राय तथा मंजूरी के लिये। हम लोगों ने उस आचार संहिता को नवम्बर, १९६४ में मंजूर किया। उसके बाद उन्होंने यह भी सलाह दी कि इस को सदन की मेज पर (फ्लोर आफ दि हाउस) रख दिया जाय। १९६५ के फरवरी के सेशन में माननीय मुकुट बिहारी लाल के एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में, प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत, यहां रख दिया गया। माननीय मुकुट बिहारी लाल जी का इस सदन में और श्री पालीवाल जी का ४ नं० क्वैश्चन उस सदन में फरवरी के सेशन में रखा गया था और उसी समय कई प्रश्न भेजे गये थे। इस लिए यह ख्याल था कि जो जरूरत है वह पूरी कर दी गयी। सदन में जो रखने का कायदा है उसको भी मैंने रख दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझा हूं कि सन् ६४ में उसे आपने स्वीकार कर लिया था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् ६४ के अन्त में।

श्री अध्यक्ष--

और फरवरी, ६५ में माननीय मुकुट बिहारी लाल के प्रश्न पर सदन की मेज पर रख दिये गये थे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अगर यह ख्याल हो कि बाजाब्ता नहीं रखे गये हों तो अब रख दिये हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, सदन की मेज पर यह आचार संहिता आ गई। किसी माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर देने में और सदन के मेज पर रखने में भिन्नता है। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने उसे अपनी ओर से रक्खा हालांकि उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुये। क्यों कि प्रश्नों द्वारा आचार संहिता पर विचार नहीं हो सकता, इस लिए नियम ३०१ के अन्तर्गत इसमें परिवर्तन अपेक्षित है....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी, इन्होंने लिखा है कि ऐसी दशा में यह प्रश्न पैदा होता है कि उक्त कोड के कार्यान्वित करने का दायित्व किस का है। कोड सदन की सम्पत्ति हो चुकी है उसमें अनेक संशोधन भी किये जाने की आवश्यकता है। उसके अधीन जो भी प्रति माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दी जाती है उसे आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। तो यह कहते हैं कि इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यह आचार संहिता समस्त भारतवर्ष के लिए एक बनी है और केन्द्र ने बनाकर यहां भेजी है। इस में हर प्रान्त अपने-अपने अलग-अलग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर इनका कोई सुझाव है तो वह मुझे दे दीजिये मैं उसे केन्द्रीय सरकार को भेज दूंगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, ये जो चीजें लागू हुई हैं, यह कैसे लागू होंगी? क्या किसी वक्त लागू हुई और इसके अनुरूप मंत्रियों ने कोई स्टेटमेंट दाखिल किया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सभी मन्त्रियों ने किया है। मार्च तक अपनी रिपोर्ट देते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैंने यह पूछा है कि अगर यह लागू हुआ तो कब और किन-किन मंत्रियों ने अपने-अपने स्टेटमेंट दिये?

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने कहा कि ६४ के अन्त में हमने स्वीकार कर लिया था, प्रश्न यह रहता है कि किन-किन तारीखों में...

श्रीमती सुचेताकृपालानी--

किन-किन तारीखों में भेजे, वह मुझे मालूम नहीं है। मार्च-अप्रैल तक सब के स्टेटमेंट आ-जाते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैंने भी इसी सम्बन्ध में नियम १०६ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था। जैसा कि कोड आफ कान्डक्ट के सिलसिले में माननीय मुख्य मन्त्री कह रही हैं, कि यह लागू हो गया है परन्तु मुझे डेफिनिट तरीके से पता है कि यह अभी लागू नहीं हो पाया है। प्रश्न मेरा यह है कि अगर यह लागू हो गया है तो क्या वे इस आदरणीय सदन को अवगत करायेंगे कि अब तक जितने मंत्रियों ने लिखकर दिया है उनका पूरा सम्पात्ति का ब्योरा इस सदन में पढ़कर सुनायेंगी जो उन को चल या अचल सम्पत्ति है? मुझे पता है कि माननीय बनारसीदास की पत्नी के नाम से एक फर्म है...

श्री अध्यक्ष—

जो मंत्रियों ने विवरण दिया है वह सदन को पढ़कर सुनाया जाय, आपका यही कहना है न? यह दूसरी चीज आप क्या कह रहे हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या ऐसे विवरण भी मंत्रियों ने दिये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो ब्योरे मंत्रियों से हमारे पास आते हैं वह कान्फिडेंशियल डाकुमेंट्स हैं। वह मंत्रिगण चीफ मिनिस्टर को देते हैं और चीफ मिनिस्टर गृह मन्त्री को भेजते हैं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

पहले श्री रामसुन्दर पांडेय पूछ लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जब से यह आचार संहिता लागू की गयी है और मंत्रिगण अपनी चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा मुख्य मन्त्री को भेजते हैं तो सदन के सदस्यों द्वारा जिन मंत्रियों के विषय में आक्षेप हुये हैं क्या उन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जो कोई इन्क्वायरी करा रही हैं? करा रही हैं, तो कब से?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आक्षेप होते हैं, जो मुनासिब होता है वह किया जाता है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

ए० आई० सी० सी० ने सन् ६२ में ही कांग्रेस पार्टी के हर मेम्बर और मिनिस्टर के लिए कानून बना दिया है और उसके अनुसार हर एक को हर साल एकाउन्ट देना पड़ता है। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं श्रीमन्, और आप अपनी व्यवस्था दें कि यह जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जिन के लिए उन के दलों की आचार संहिता कोई अभी तक नहीं आयी है, उनके लिए भी क्या कोई कोड आफ कानडक्ट बनाया जा सकता है और जो उधर तमाम बंगलिंग और उलटा सीधा काम होता है पैसे का, उसके लिए आचार संहिता उन पर लागू की जाय। इसके लिए आप कोई हमारी मदद कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि कांग्रेस दल की तरह उनकी भी असेट्स और लायबिलिटीज हमारे सामने आयें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस आचार संहिता के पीछे क्या सैंक्शन है, किस ने इसको बनाया है? क्या यह लोक सभा में उपस्थित की गयी थी, वहां से इस की स्वीकृति हुई या नहीं और अगर हो गयी तो क्या संविधान के अनुसार यह मान लिया जाय कि वह उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गयी? इसका वह उत्तर दें कि इसकी सैंक्शन क्या है, यह कौन-सा कांस्टीटशूनल रिक्वायरमेंट पूरा करती है?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न आप कानूनी पूछ रहे हैं, आप इसको खुद स्टडी कर लें, वह जो पास हुआ उसकी सैंक्शन यहां कैसे हो सकती है?

श्री भानुप्रतापसिंह--

यह लोकसभा में भी पास हुआ है या नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वहां पास नहीं हुआ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

तो फिर कांग्रेस के अन्दर की चीज को यहां सदन में लाने की क्या आवश्यकता थी? कोड आफ कान्डक्ट कांग्रेस के अन्दर की चीज थी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह आचार संहिता सदन के अन्दर रखी गई और उसके बाद वह सदन की प्रापर्टी हो गई, तब फिर उसके अनुसार जो कार्यवाही यहां की गई उसको सदन के सामने रखने में माननीय मुख्य मंत्री को क्या आपत्ति है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह तो केवल इनफार्मेशन के लिये रखी गई है। यू० पी० सरकार इस मामले में अपना कोई अलग रास्ता नहीं रख सकती। जो रास्ता केन्द्रीय सरकार ने बनाया है और जो आदेश दिया है मंत्रिमंडल का उसके अनुसार काम होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि ऊपर के आदेश के अनुसार उसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रस्तुत होने के बाद वह सदन की प्रापर्टी हो गई, तो उसके अनुसार जो कार्यवाही की गई है वह सदन के सम्मुख न आने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रही हैं कि केन्द्र में ऐसा नहीं किया गया है और वही व्यवहार हम यहां कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

यहां तो रख दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

खाली कोड आफ कंडक्ट रखा गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

हमारा अधिकार है कि उसके अनुसार जो कार्यवाही यहां हो उसकी जानकारी हमें कराई जाय । तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप इस पर मेरी व्यवस्था चाहते हैं तो जो बात माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने कही है, उसको मैं स्टडी कर रहा हूं कि वे हमारे लिये कानून बना सकते हैं या नहीं । यह एक विचारणीय विषय है, लेकिन इसके बारे में मैं अपनी निश्चित राय तभी दे सकता हूं जब मैं इस पर विचार कर लूं ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

श्रीमन्, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया है । श्रीमन्, यह चीज बिलकुल अनियमित है और रिडण्डेन्ट है आप कृपया इसको स्टडी करके अपनी व्यवस्था कल देने की कृपा करें । हम किसी कोड आफ कंडक्ट को यहां नहीं रख सकते हैं जिसकी कोई सैंक्टीटी न हो ।

श्री अध्यक्ष--

सैंक्टिटी और सैंक्शन में फर्क है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से सदन का एजैन्डा बनता है । माननीया मुख्य मंत्री ने अपनी नीतियों को वक्तव्य में प्रस्तुत करने के लिए आप से आज्ञा लेकर सदन के सामने अपनी नीतियों के अन्तर्गत आचार संहिता को प्रस्तुत करती हैं । मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत-सी नीतियां आपकी आज्ञा से सदन में प्रस्तुत की जाती हैं, तो फिर माननीय भानुप्रतापसिंह जी का नाकारात्मक प्रश्न कैसे उठ सकता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

यही मैं देखूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, सदन की मेज पर जो चीज रखी जाती है वह सदन की प्रापर्टी हो जाती है और डिबेटेबिल हो जाती है उस पर प्रश्न हो सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर सरकार को देने चाहिये । जब इसको माननीय मुख्य मंत्री ने टेबिल पर रख दिया तो माननीय मुख्य मंत्री का यह कहना कि हम मंत्रियों के कन्डक्ट के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते, कहां तक मुनासिब है ? अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि इस को टेबिल पर ले करना ही व्यर्थ है और उस सूरत में यह नहीं समझ में आता कि इसको ले करने की क्या जरूरत थी ? यह तो मौरेल की बात है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह तो आल इंडिया के आधार पर फैसला हुआ है । जैसा सारे प्रान्तों में काम हो रहा है, मैं भी वैसे ही काम कर रही हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह कांग्रेस पार्टी के अन्दर का मामला है । केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय ने उसे तैयार

[श्री चन्द्रजीत यादव]

किया और मंत्रिमंडल ने विचार किया है। वह किसी पार्टी का अन्दरूनी मामला नहीं है। भारत सरकार ने यह आदेश भी दिया कि इसे पूरे देश के विधान मंडलों के सामने रखा जाना चाहिये जिसकी मंशा यह है कि आम जनता को यह विदित हो सके कि मंत्रिगण इसके विपरीत आचरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न वे लोग देते हैं अगर वह कांफिडेंशियल हो तो आम पब्लिक को कैसे ज्ञात होगा कि कौन कौन इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसका समन्वय कैसे होगा, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी--

इसका समन्वय तो केन्द्रीय सरकार के साथ होगा। उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने नियंत्रण लगाये हैं। वे ही पब्लिक को जानकारी भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रजीत यादव का इतना कहना है कि जो प्रश्न हुआ वह ठीक है। यह विडम्बना हो जाती है कि आप एक कोड आफ कन्डक्ट बनाये भी, उसके अन्दर एक नियम है तो उस नियम का पालन कैसे हो रहा है, यह कैसे मालूम हो सकता है। उनका (मुख्य मंत्री जी का) कहना यह है कि अगर यह प्रश्न हो सकता है तो केन्द्र में हो सकता है। हम लोग तो जो उन्होंने नियम बनाये हैं, उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी प्रश्न उपस्थित हो गया है। जब माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि मंत्री हमको अपना वार्षिक हिसाब देते हैं और यह कांफिडेंशियल है, तब तो यह मामला मुख्य मंत्री और मंत्री के बीच का हो जाता है। तब तो इस में भ्रष्टाचार की और गुंजायश हो सकती है। क्योंकि मुख्य मंत्री बारी-बारी से मंत्रियों को अपने पक्ष में रखने के लिये एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगी और कहेंगी कि तुम ऐसा-ऐसा करो, नहीं तो हम पब्लिक में इस चीज को आउट कर देंगे। तो यह बराबर मुख्य मंत्री के लिये भ्रष्टाचार फैलाने का हथियार बन जायगा। अगर यह मामला माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रियों के बीच का रहा तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि इस से भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अभी माननीय चन्द्रजीत यादव ने सवाल उठाया। उसका जवाब यही है कि यह बहस तो आप केन्द्र में करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अभी इतना सुनने के बाद जैसा कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा, ऐसा लगता है कि यह मामला माननीय मुख्य मंत्री और उनके मंत्रियों के बीच का है। तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि जो रिटर्न उनके सामने पेश होगा उसकी वैरीफिकेशन मशीनरी क्या होगी कि जो कुछ लिख कर दिया गया है वह सच है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक खिलवाड़ सा किया जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ बात होगी उसे किस तरह से कहा जायेगा ? श्रीमन्, मेरी तो आप से विनम्र प्रार्थना है जैसा कि माननीय दुबे जी ने कहा कि कोई चीज हाउस के सामने रख देने पर वह हाउस की प्रापर्टी हो गयी। इस पर डिबेट के लिये आप कुछ समय नियत करें ताकि उसके सम्बन्ध में हम यहां कुछ डिस्कशन कर सकें। हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, जो कुछ कहना होगा, कह लेंगे। उससे एक लाभ यह होगा कि जो कुछ हम कहेंगे हो सकता है कि उसी की रोशनी में ये काम करें।

श्री अध्यक्ष--

अब तो सिर्फ इतना ही रहा कि आप यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये आप को कुछ समय मिले ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, माननीय मुकुट बिहारी लाल के प्रश्न के उत्तर में फरवरी, सन् ६५ में ही आचार संहिता हाउस के सामने रख दी गयी थी और तब से वह सदन की प्रापर्टी है । उस सम्बन्ध में हम सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । तो उसकी सुविधा देने से आप क्यों इंकार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई इंकार नहीं कर रहा हूं । अगर आपने गवर्नमेंट से कोई प्रश्न पूछा होता और उसे मैं डिसएलाउ कर देता तब तो आप यह कहते । इस वक्त तो आचार संहिता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगने की बात थी और मैंने माननीय मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण मांग लिया । अब उस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल का यह सुझाव है कि उस पर विचार करने के लिये आप कुछ समय दे सकते हैं या नहीं । उस सम्बन्ध में मैं विचार करूंगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

उसी सिलसिले में मेरा निवेदन है कि जब माननीय मुकुट बिहारी लाल के सवाल का जवाब सदन के सामने था तो उस पर प्रश्न करने का हमारा पूर्ण अधिकार है । आपका काम है कि हम को जानकारी दिलावें और सरकार का काम है कि वह जानकारी दे । तो मैं जानना चाहता हूं कि आप उसमें हमारी क्या सहायता करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यही सहायता हो सकती है कि उस पर कुछ विचार हो जाय । मैं इस पर कुछ सोचूंगा ।

अनेक सदस्य--

देखिये डेढ़ बज गया, इसी में ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह भी सदन का काम ही हो रहा है । ऐसा तो है नहीं कि यह सदन का काम न हो । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके पहले ८ तारीख को माननीय नेता विरोधी दल और हमारे दस्तखतों से नियम ३०१ के अन्तर्गत एक प्रार्थना की गयी थी कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जो आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे, निर्णय लेंगे और सदन को उससे सूचित करेंगे, तो इतने वर्ष हो जाने के बाद भी मुख्य मंत्री की ओर से इन वरिष्ठ मंत्रियों के सम्बन्ध में जो आक्षेप इस सदन में और सदन के बाहर किये गये हैं, मैं उन बातों को फिर यहां दोहराना नहीं चाहता, कल भी आपने आश्वासन दिया था कि जब कोड के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री का बयान हो जाय तो हम इस पर निर्णय देंगे । अब तो कोड के सम्बन्ध में माननीया मुख्य मंत्री का बाकायदा बयान हो गया और श्रीमन्, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस पर वरिष्ठ मंत्रियों पर आक्षेप हो और कई वर्षों तक उत्तर न मिले, तो ऐसी जनभावना हो रही है कि यह आक्षेप सही हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री से कहूंगा कि ३०१ के अन्तर्गत सूचना को स्वीकार करें और इस पर बहस हो जानी चाहिये नहीं तो फिर सदा के लिये . . .।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त हो गया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मैं श्रीमन्, इस विषय में जानकारी चाहता था . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह मैं समाप्त कर लूं तब होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

इसी विषय पर जानकारी चाहता हूं कि जैसे कोड आफ कंडक्ट टेबिल पर ले हो गया तो यह माना जायगा कि मंत्रियों का आचरण उस कोड के अनुरूप है । लेकिन अगर शिकायत है तो क्या मंत्रियों का आचरण डिबेटेबिल होगा कि नहीं ?

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, माननीय काशीनाथ मिश्र के साथ ही हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जब काशीनाथ जी ने प्रश्न पूछा कि क्या मंत्रियों की हैसियत और उनकी सम्पत्ति का विवरण सदन में रखा जायगा । तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वह कानफीडेंशियल है, जनहित में नहीं है । तो मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सदन में जनता के सेवकों की हैसियत का विवरण पाना किस प्रकार से जनहित में नहीं हो सकता ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सूची कुछ बातों की सामने रखी गयी है अगर उसको देखेंगे तो पायेंगे कि यह नही लिखा है कि किस की तरफ से जारी की गई है, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अथवा प्रदेशीय सरकार ने लिखी है । मैं जानना चाहता हूं कि यह संहिता जो बनायी है किसने बनायी है और किसके द्वारा जारी की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर इतना बड़ा विवाद होने के बाद आपको यह नहीं मालूम हुआ, तो मैं क्या कहूं ? जो प्रश्न अभी उठाये जा रहे हैं कि जनहित में नहीं होगा ये बातें उस वक्त आयेंगी जब प्रश्न बाकायदा जिस तरह से सदन में पूछे जाते हैं उस तरह से पूछा जायगा, तब हम देखेंगे कि वह जनहित में उचित है कि नहीं । इस समय तो केवल ३०१ में वह एक स्पष्टीकरण दे रही थीं । अब आप बाकायदा जब पूछेंगे और हमारे सामने प्रश्न आयेगा तो हम तय करेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह--

मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर आप देने जा रहे थे और आप बीच में रुक गये । अब कोई बीच में टपक पड़े और आप जवाब न दें तो यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या जनहित में है, यह मैं उस समय तय करूंगा जब बाकायदा प्रश्न होगा और हमारे सामने आयेगा । इस समय वह प्रश्न मैं नहीं ले रहा हूं ।

श्री रघुनाथसिंह--

यह तो कोई कानूनी बात नहीं है, कामनसेंस (सामान्य बुद्धि) की बात है । मंत्रियों की हैसियत औ उनक सम्पत्ति की जानकारी करना कोई कान्फीडेंशियल नहीं है । न बतायें तो कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

सामान्य बुद्धि की यह भी बात है कि जब अध्यक्ष अपना कोई निर्णय देते हों तो माननीय सदस्य चुपचाप बैठे रहें और सुन लें । जब प्रश्न हमारे सामने आयेगा तो मैं निश्चय करूंगा कि यह कांफ डेंशियल या जनहित में गोपनीय है कि नहीं । इस समय वह प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरी बात यह मंत्रियों के आचरण के बारे में माननीय दुबे जी ने जो कहा, उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि जब मंत्रियों के आचरण के सम्बन्ध में कोई प्रश्न आयेगा तब तय करूंगा । ये सब काल्पनिक बातें हैं जिनके ऊपर मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यहां पर मंत्रियों के सम्बन्ध में कोई बात होगी तो उसका फैसला केन्द्र का मंत्री करेगा। आप कोड के पेज ३ पर देखें.....

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल बाद में कर लीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

तो गलत उत्तर क्यों दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

जो उसमें लिखा हुआ है वह देख लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मंत्री महोदय ने तो गलत उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा है कि कोई ऐसी बात कहनी हो जो इस संहिता के अनुरूप न पड़ती हो तो वह बात केन्द्र में कही जा सकती है, क्योंकि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। यह उनकी मंशा है।

*उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

श्री जगदीशप्रसाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मुझे यह निवेदन करना है कि यह बिल आज ४ बजे तक समाप्त होने को है। मैं यह चाहता हूं कि आज यह समाप्त न किया जाय जब तक कि कार्यमंत्रणा समिति इस बात का निर्णय न ले ले, उस समय तक क्लोजर मूव करने से रोका जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप देखें कि आप इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, उप नेता भी हैं। अभी कोई क्लोजर का सवाल नहीं आया है। क्लोजर का सवाल जब आये तब यह बात पैदा हो सकती है। अभी से क्यों सोचें कि क्लोजर आ रहा है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक क्यों नहीं बुला ली जाती है और संसदीय मंत्री के कहने मात्र से ही विधेयकों के लिये समय क्यों निश्चित हो जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

नियम २२५ है। कार्य मंत्रणा समिति में केवल समय निर्धारित होता है। इसमें तो आप जब तक बहस करना चाहें, करते रहें, कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

---

*५ अगस्त, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।
†८ अगस्त, १९६६ की कार्यवाही से।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

कार्य मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव होता है वह इस सदन में पास होने के लिये रखा जाता है। माननीय सदस्य अगर ज्यादा व्यग्र हैं तो सदन की राय ले ली जाय कि कितना समय इस पर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

आप वहां मौजूद नहीं थे। कार्य मंत्रणा समिति ने कोई समय निश्चित नहीं किया है तो अनिश्चित काल तक इस पर बहस हो सकती है जब तक कि सदन अन्यथा निर्णय न करे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं ने उद्योग मंत्री के समक्ष यह बात रख रहा था कि जहां तक खादी बोर्ड के कार्य का सम्बन्ध है उसके संचालन में बहुत शिकायतें रहीं। माननीय सदस्यों ने बतलाया कि रिबेट का दुरुपयोग किया गया और रुपया व्यर्थ नष्ट हुआ और उसका कार्य ईमानदारी से नहीं चलाया गया। अधिकारियों तथा सरकार द्वारा चलाये गये कार्य के सम्बन्ध में तो कह देते हैं कि सरकारी कार्य ऐसे ही चलते हैं, लेकिन यही धारणा अगर असरकारी संस्थाओं के विषय में बन जाय कि वहां भी भ्रष्टाचार होता है, अपव्यय होता है, रुपये का दुरुपयोग होता है तो यह बात हमारे जनजीवन के लिये बहुत अलाभकर होगी। रिबेट का भी दुरुपयोग हुआ तो उसे बन्द करके कताई अब दी जाने लगी है, लेकिन उसका भी दुरुपयोग हो रहा है।

(इस समय १ बजकर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

मेरी जानकारी में है कि कताई की नहीं गयी। एक बार की कताई पर ४, ५ बार कताई दिखाई गयी और इस प्रकार एक बार की कताई पर बार-बार कताई दिखा दी गयी। इसकी जांच बहुत साधारण है और इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सब जगह यह होता है, लेकिन ऐसा होता है। मेरी तहसील में सघन क्षेत्र जितने हैं कदाचित् किसी अन्य तहसील में उतने सघन क्षेत्र न हों। इसलिये मुझे उनका बहुत कटु अनुभव है। इसकी जांच तो ऐसे हो सकती है कि यदि कोई इंक्वायरी करना चाहें वह यह देखे कि इस सेन्टर पर इतना सूत काता गया तो वह रुई कहां से आयी। रुई बिल्कुल नहीं आयी और उस क्षेत्र में रुई पैदा नहीं होती।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

ऐसा तो नहीं है कि रुअड़ और रजाई से निकली रुई को काता गया हो ?

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)---

यह बात मेरे दिमाग में थी लेकिन रुअड़ से भी बार बार नहीं कतता। रुअड़ केवल एक बार ही कत सकता है। मैं दरअसल की बात कहता हूं। तो माननीय मंत्री जी खादी बोर्ड द्वारा संचालित कार्य का मूल्यांकन करने के लिये कोई समिति नियुक्त करें, जिसमें कुछ सरकारी लोग चाहे हों लेकिन असरकारी सदस्य जरूर हों, जो यह देखें कि जिन क्षेत्रों में रुपया दिया गया उसका क्या कार्य हुआ। वह सदस्य ऐसे हों कि जिनको इस विचारधारा में आस्था व विश्वास हो और कार्य का चाहे भले ही अन्दाजा न लगाया जा सकता हो, लेकिन मैं जानता हूं कि एक कार्य का अन्दाजा आज भी लगाया जा सकता है कि जहां दस साल से केन्द्र चल रहा है वहां साल भर के अन्दर क्या हुआ जैसा मैंने कल अम्बर चर्खा का जिक्र किया था, मेरे क्षेत्र में हजारों हो सकते हैं इतने में ही, लेकिन ८-९ सौ तो जरूर हो सकते हैं। इतने अम्बर चर्खे देहातों में पड़े हुये हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है जैसा कि मैंने बताया था, मैंने १२ रुपये में एक अम्बर चर्खा मंगाया था। मैं हाथ में कष्ट के कारण स्वयं सूत कातता नहीं, लेकिन मैंने केवल इसलिये मंगाया था कि कार्य करने वालों को दिखाऊंगा कि जो अम्बर चर्खा १२ रुपये में बिक रहा है उसका क्या उपयोग हुआ। तो वह अन्दाजा लगाया जा सकता है।

खादी और गृह उद्योग का सम्बन्धविश्वास से बहुत है। जैसा कि कल यहां पर जिक्र हुआ कि मूल्य बढ़ गये, हम कैसे पहनें। मैंने कल बताया था कि खादी वह नहीं पहन सकता जो खादी में आस्था नहीं रखता या जो स्वयं सूत नहीं कातता। पहले खादी हमारी राष्ट्रीयता का सिम्बल था। लेकिन खादी हमारा प्रतीक मात्र ही नहीं थी, उसके पीछे एक विचार है, एक अर्थ शास्त्र है कि एक बुनकर को इतना दिया जाय और यह जोर जबर्दस्ती का चीज नहीं थी बल्कि उन व्यक्तियों के लिये थी जिनको इसके अन्दर आस्था हो। अतः मेरा सुझाव है कि एक ऐसी मूल्यांकन समिति बनायी जाय।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और जो संशोधन आये हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक को मैं कई दृष्टियों से देखता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि यह परमावश्यक था कि इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जाय। कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अपने सम्मानित सदस्यों के विचार सुन कर। एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि खादी बहुत महंगी पड़ती है। यही नहीं बल्कि यह भी कहा कि खादी में काम करने वाले आज हवाई जहाज पर चलते हैं, उनकी कोठियां बन गई हैं, कुछ ऐसी भी आलोचनाएं की गई थी जिसको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ था। खादी के पीछे जैसा कि माननीय जगदीश प्रसाद जी ने निवेदन किया है, सही बात है, एक विचारधारा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है और इस विधेयक पर विचार करते समय हमें इन प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिये। खादी को क्यों हम अपनाएं और क्यों राष्ट्रीय बाना इसका बनाया? हमें इसको हमेशा दृष्टिगोचर रखना चाहिये, खादी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है जब हम इस पर विचार करने के लिये उपस्थित हों। तो हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिये इसके पीछे सिद्धान्त रहे और क्यों हम खादी को अपनाने का प्रयास करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खादीके उत्पादन से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। हमारे यहां दोहरी घाट में एक संस्था हरिजन गुरुकुल के नाम से है जिसे बाबा राघवदास ने स्वामी सत्यानन्द से मिलकर स्थापित किया था। मैं इस समय उसका अध्यक्ष हूं। खादी के उत्पादन से मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। आज स्थिति यह है कि पहले जहां हम एक लाख की खादी उत्पन्न करते थे वहां अब हमारी संस्था दस लाख की खादी का उत्पादन कर रही है और छोटे-छोटे केन्द्रों का एक जाल-सा बिछ गया है। खादी उत्पादन में क्या होता है, इसके संबंध में कल सम्मानित सदस्यों के भाषण सुन कर हमें आश्चर्य तथा दुख हुआ था। मालूम होता है कि खादी का उत्पादन और वितरण कैसे होता है और कौन-कौन उससे लाभान्वित होता है, यह सवाल उनकी दृष्टि से ओझल हो गया है। खादी का उत्पादन रुई पैदा करने से लेकर कपड़े के रूप में पहुंचने तक कौन-कौन लोग लाभान्वित होते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मिश्र जी, वैसे जो बात आप कह रहे हैं सही है, पर मैं आपसे ही नहीं बल्कि सब से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह है कि पहले डायरेक्टर इसका संचालन करते थे, अब खादी बोर्ड को ही अधिकार दिया जा रहा है। इसलिये इन सब बातों पर विचार करना कहां तक ठीक होगा, इसको देखना चाहिये।

श्री बृजबिहारी---

मैं भी यही कह रहा हूं कि कल जो कहा गया था वह इसके विरुद्ध था। आप सही कहते हैं। हमने उस प्रश्न का ओझल कर दिया जो मुख्य बात थी। कल जो माननीय सदस्यों ने असंगत बातें कही थीं मैं उनका जवाब दे रहा था। ऐसी बातें कही गई जिससे भ्रांति उत्पन्न

[श्री बृजबिहारी]

हो सकती है इसलिये उसके निराकरण के लिये मैं चन्द बातें कह रहा था। आज आपने मुझे टोका, कल ही आपको उन सदस्यों को रोक देना चाहिये था। मैं निवेदन कर दूं कि इसमें किसको लाभ होता है नीचे से ऊपर तक। इससे सारी जनता, जो लोहार हैं, बुनकर हैं, सबको लाभ पहुंचता है। मैंने उन सम्मानित सदस्यों का जवाब दिया। अब उन्होंने कहा कि खादी बहुत महंगी पड़ती है। असल बात यह है कि अगर हमारे माननीय सदस्य इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ लेते तो समझ लेते और आपत्तियां उपस्थित नहीं करते। इस विधेयक उद्देश्य और कारण साफ है कि इस विधेयक को लाने का क्या कारण है। उसमें दिया हुआ है कि बोर्ड अपनी योजनाओं को स्वयं कार्यान्वित करने के बजाय उद्योग निदेशक के माध्यम से कार्यान्वित करता था। आयोग की तरफ से यह मांग की गयी कि वह स्वयं कार्यान्वित करे। बोर्ड के संचालन का भी प्रश्न आया करता था। यह प्रस्ताव है कि बोर्ड का सभापति उद्योग मंत्री को होना चाहिये। पहले जिस वक्त मेरे सामने विधेयक का मूल रूप आया था। मैंने इसको समझा था कि यह एक तरह से अच्छा नहीं हो रहा है कि उद्योग मंत्री को इसका सभापति बना दिया जाय। कारण उस समय यह समझा था कि इसको सरकारी रूप दिया जा रहा है, लेकिन जब मैंने पूरा विचार किया, मैं इस राय से सहमत हुआ हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है जिसके द्वारा उद्योग मंत्री इस बोर्ड के सभापति होंगे यह आवश्यक प्रतीत होता है। पहले सभापति नान-आफिशियल हुआ करता था। विधेयक में यह प्राविजन रख कर एक तरह से अच्छा ही किया गया है।

दूसरा यह संशोधन किया गया है कि बोर्ड का उपसभापति गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया जायगा। उद्देश्य और कारणों में जैसा दिया गया है, यह भी इष्टकर प्रतीत होता है कि बोर्ड को ऐसा प्राधिकार दिया जाना चाहिये जिससे कि वह एक निश्चित सीमा तक अपने देयों को बट्टे खाते में डाल सके। बहुत सा बकाया रुपया पड़ा रहता है। परेशानी होती है कि क्या किया जाय। आप बैलेंसशीट उठा कर देख लीजिये रकम पर रकम बकाया दिखलायी चली जाती है। अब अधिकार दे रहे हैं कि बट्टाखाता द्वारा इन रकमों को समाप्त किया जा सकता है। कल इसमें कुछ सम्मानित सदस्यों ने आपत्ति की थी। कहा गया कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पक्षपात किया जाय। हो सकता है कि किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के प्रति फेवरटिज्म का जरिया इसको बनाया जाय, यद्यपि उचित यही होगा जैसा कि नियम में रखा गया है कि जो बेकार बकाया चला आता है उसको समाप्त कर सकें। उसमें कुछ ऐसा प्राविधान जरूर होना चाहिये कि जब बट्टा खाता करने को हो तो बोर्ड के दो तिहाई सदस्यों की सहमति हो कुछ ऐसा ही प्राविधान रखना चाहिए कि दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से ही बट्टाखाता कर सकें। इसमें एक गन्ध आती है और हो सकता है कि आपत्ति हमारे सम्मानित सदस्य कर रहे हैं, वह सत्य भी हो कि फेवरिटिज्म में कोई किसी के खाते में कोई रियायत कर दे इसलिये इसके अन्दर यह प्राविधान होना चाहिये कि दो तिहाई सदस्यों से अधिक के बहुमत होने पर ही कोई रकम बट्टे खाते में रखी जा सकेगी।

एक चीज इस विधेयक में बहुत अच्छी आयी है कि अब इसके बकाये की वसूली मालगुजारी की वसूली की भांति हो सकेगी। इससे जो परेशानी पैसे की वसूली में होती थी वह खत्म हो जायगी और इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधयक को पेश करके जो समस्यायें खादी के उत्पादन में या बोर्ड के संचालन में आती थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने रखा है उस पर सरकार ध्यान रखेगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को पढ़ने और उसके उद्देश्य और कारणों के नीचे सुचेता कृपालानी जी का नाम देखने से आशा बंधी कि बिखरी हुई सपत्ति संवारी जा सकती है। सुचेता जी उन कार्यकर्त्तियों में से रही हैं जिन्होंने खादी के प्रचार में अपना खून और पसीना एक किया

है। इनके साथ ही, आचार्य कृपालानी इस समय भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में तनमन धन से जुटे हुए हैं और उन्होंने अपने कधों पर खादी रख कर गांव में घूमकर बेंचा और उसका प्रचार किया है। उन्होंने खादी का अलख जगाया है। ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने के कारण सुचेता कृपालानी द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन तुरन्त एक निराशा की लहर भी छा गयी। जब मैंने उद्देश्य को पढ़ा और यह देखा कि अब बोर्ड स्व-निर्मित कार्यक्रम को स्वयं कार्यान्वित करेगा; उद्योग विभाग के निदेशक द्वारा कार्यान्वित नहीं होगा; वहीं पर धारा ७ में यह देखकर कि बोर्ड का सचिव और संयुक्त राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से होंगे, बड़ी निराशा हुई। श्रीमन्, इस धारा से एक अजीब सी स्थिति हो, गयी है। जिस पुनीत उद्देश्य को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसी को इस धारा से भ्रष्ट कर दिया गया। इसके द्वारा नाक को सीधा न पकड़ कर उलटा पकड़ने की कोशिश की गयी है। श्री ढेबर भाई ऐसे कार्यकर्त्ता जिनकी प्रतिष्ठा इस देश में है और खादी के कार्य में जिनकी रुचि किसी से कम नहीं है उनके आग्रह से यह बिल लाया गया है किन्तु इस विधेयक में उनकी मंशा के विपरीत कार्यक्रम और उसका कार्यान्वय सरकारी सचिव बनायेगा और करेगा, यह दुख का विषय है। इस नियम को अपनाकर माननीय सुचेता कृपालानी ने वही किया जो सन् ६० के अधिनियम में था। घुमा फिरा कर उन्होंने वही रखने का प्रयत्न किया है, केवल उसके रूप को बदल दिया है। अब सचिव और संयुक्त सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार अपने अधीन काम करने वाली अधिकारियों में से करेगी तो निश्चय है कि उसमें उद्योग निदेशक अवश्य शामिल होगा और उसके होते हुए वह स्वयं अथवा उसका डेपुटी बोर्ड का सचिव अथवा संयुक्त सचिव होगा।

गृह उपमंत्री (श्री शिव प्रसाद गुप्त)—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा माननीय सदस्य ख्याल कर रहे हैं ऐसा नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं उपमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया किन्तु धारा ७ (क) को पढ़ने के बाद मेरी धारणा निश्चित रूप से सही है। मैं उप मंत्री जी से कहूंगा कि यदि वह धारणा ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति भी नहीं है तो इस उपधारा को निकाल देना चाहिये और निश्चित रूप से कहना चाहिये कि सचिव और संयुक्त सचिव गैर सरकारी सदस्यों में से ही होंगे। यदि वह यह स्वीकार करने को तैयार है तब तो मुझे कुछ भी कहना नहीं है और यदि वह स्वीकार नहीं करते तो यह धारा उद्देश्य के विपरीत लायी गयी है और इससे विधेयक का उद्देश्य निरर्थक हो जायगा। अतः निकाल दी जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

श्रीमन्, सदन में गणपूर्ति नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—

मैं यह कह रहा था कि इस बोर्ड का निर्माण निरर्थक हो जायगा क्योंकि १९६० के अधि नियम के तहत में काम करने का जो अभी तक अनुभव हुआ है उसको देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि उद्योग निदेशक के माध्यम से काम लाभदायक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर राज्य कर्मचारियों में से किसी को नियुक्त करना, यह एक ऐसी बात होगी जो इस विधेयक की मंशा के विरुद्ध होगी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछला बोर्ड जो इस समय चल रहा है उसके जो सचिव हैं वह राज्य कर्मचारियों में से एक हैं। वह बोर्ड का काम न करके अपना काम करते हैं। उन्होंने अपने कुछ उद्योग खोल रहे हैं और उन उद्योगों में वह अपना सारा समय लगाते हैं। मैं आपसे कहना

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

चाहता हूं कि उन्होंने अपना एक नीरा उद्योग, दियासलाई उद्योग, हाथ कुटाई उद्योग, विकास केन्द्र आदि ३–४ उद्योग संचालित कर रखे हैं जिनके वह स्वयं पदाधिकारी हैं और बोर्ड के भी सचिव हैं। सचिव के नाते वह इन संस्थाओं को लाखों रुपया देते हैं। उन संस्थाओं के पदाधिकारी होने के नाते उनसे लाखों रुपया प्राप्त करते हैं और उसको मनमाने ढंग पर इस्तेमाल करते हैं। उनका काम यह है कि वह बोर्ड के सदस्यों को खुश करने के लिये उनको भी अनुदान देते हैं। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने स्वयं उद्योग संचालित कर रखे हैं। उनके संचालन में सचिव से गलत तरीके से मदद लेकर उससे लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिये वह उसका पृष्ठपोषण करते हैं। यह एक विवादग्रस्त वृत्त बन गया है जिसकी वजह से सप्रदेश को किसी तरह से राहत न मिलने की संभावना पैदा हो गई है। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर राज्य कर्मचारियों में से किसी को सचिव या संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया तो इस विधेयक की भी वही दशा होनेवाली है जो सन् १९६० के अधिनियम की हुई है या हो रही है। इस स्थिति में मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि जैसा अभी उन्होंने आश्वासन दिया है उसकी वह पूर्ति करें। निश्चय ही आने वाले बोर्ड का सचिव गैर सरकारी सदस्यों में से नियुक्त किया जायगा जिसकी देशभक्ति और खादी प्रेम प्रमाणित हो चुकी हो . . .

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने यह आश्वासन नहीं दिया कि वह सरकारी कर्मचारियों में से नहीं होगा। मैंने कहा वह तो बोर्ड के परामर्श से होगा। अगर बोर्ड चाहेगा तो सरकारी कर्मचारियों में से होगा और अगर बोर्ड नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अगर बोर्ड नहीं चाहता है तो वह दूसरों में से कर लें। वह बोर्ड की इच्छा पर होगा कि जिसको वह चाहे नियुक्त कर ले।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

धारा ७ में यह दिया है कि राज्य सरकार बोर्ड का सचिव तथा एक संयुक्त सचिव राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों में से नियुक्त करेगी। बोर्ड का एक लेखा अधिकारी भी उन्हीं कर्मचारियों में से नियुक्त किया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार और बोर्ड में कोई अन्तर होगा या नहीं। मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि सचिव की नियुक्ति बोर्ड की सहमति से होगी।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसकी नियुक्ति बोर्ड के परामर्श से होगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

बिल में इस तरह की बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मैं मानता हूं आप आश्वासन दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह बात जो वह कह रहे हैं बिल से स्पष्ट होती है या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं यह कह सकता हूं कि यह नियुक्ति बोर्ड के परामर्श से होगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

इसमें यह लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय "(१) राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर जो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें :

बोर्ड का एक सचिव, इत्यादि..." यह इसमें निश्चित रूप से दिया गया है कि यह राज्य सरकार के विवेक पर होगा कि वह जिसे चाहे, सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, नियुक्त कर सकती है। उसको बोर्ड की सम्मति अथवा सलाह की कतई आवश्कता नहीं। माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर यह प्रश्न उसी समय उठा था कि विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक हम लोगों को मिलना चाहिये था ताकि उसके आधार पर हम अपने संशोधन द सकते। जब उनकी ओर से वह वितरित नहीं हुआ तो उस की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। यह गलती सरकार की ही है। लेकिन जैसा मंत्री जी ने कहा है, अगर वैसी स्थिति है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन अगर सरकार सरकारी कर्मचारी को संयुक्त सचिव अथवा सचिव नियुक्त करेगी तो वह निश्चित रूप से मंत्री जी के अंगूठे के नीचे रहेगा और अगर बोर्ड के कर्मचारियों में से किसी कर्मठ व्यक्ति को सचिव बनाया जायगा तो वह खादी के हित को सामने रख कर कार्य करेगा।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि धारा ४(४) में कहा गया है कि यदि कोई शिकायत होगी दिवालियेपन की अथवा चरित्र भ्रष्टता की अथवा अन्य बुरी बातों की तो गैर सरकारी सदस्यों को हटा दिया जायगा। उनसे जवाब तलब किया जायगा और उस अवधि में उनको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के नियम सरकारी कर्मचारियों के बारे में नहीं दिये गये हैं जब कि वे पदेन अथवा उनके द्वारा मनोनीत होकर बोर्ड के सदस्य रह सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सरकारी कर्मचारी तो ऐसे कोई रह ही नहीं सकते जो पागल हो गये हों अथवा दिवालिये हो गये हों। उनको तो नौकरी से बरखास्त कर दिया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

बोर्ड का सदस्य होने के बाद वे दिवालिये, पागल या बदमाश हो जायं तो उनको निकालने के लिये आप के पास वही कायदे कानून होने चाहिये जो गैरसरकारी सदस्यों के लिये हैं।

बट्टेखाते का जिक्र किया गया है। बट्टेखाते डालने की बात उनके हिसाब से सही हो सकती है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें मजबूर होकर रकम बट्टे-खाते में डाली जाय लेकिन कानून में एसी धारा लाकर इन्होंने निश्चित रूप से उन अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है जिनको खादी से कोई प्रेम नहीं है, केवल पैसे से प्रेम है। आज खादी और ग्राम उद्योग में काम करन वाले एसे लोग ह जिनको कोई रुचि उसम नहीं है, जिनको उसका कोई तजुर्बा नहीं है, किसी प्रकार तरक्की वह उसमें कर ही नहीं सकते ह, लेकिन ऐसे लोगों को भी ग्रामोद्योग के नाम पर अनुदान दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी ग्रामोद्योग के नाम पर सघन क्षेत्र खोले हैं, लाखों रुपया दिया गया है। उनमें आप जायं तो मुश्किल से एक आध चरखा चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, केवल इसलिए कि जब कोई आडिटर निरीक्षण के लिए चला आए, तो उन्हीं स्थानों पर ले जाकर वे लोग उसे दिखला देते हैं और खाना-पीना खिलाकर भगा देते हैं अन्यथा कोई काम नहीं होता है।

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

अम्बर चर्खे की बात जगदीशशरण जी ने कही। उसका बड़ा शोर-शराबा था, लाखों रुपया कन्द्रीय सरकार ने खर्च किया, उत्तर प्रदेश न भी खरीद करके लाखों रुपया खर्च किया और आज उसकी वही दशा है जैसे पाकिस्तान में पैटन टैक्स की हुई है। सब ढहे हुए हैं, कोई चलान वाला नहीं है। यह बिल्कुल नाकारा लोगों के हाथों में चला गया और सबकी आस्था खत्म हो गयी है। यही बहुत बड़ा कारण है कि देहात में खादी के ऊपर आस्था उठती जा रही है। जो मुख्य सचिव हैं जिनके चारों ओर रचनात्मक कार्यकर्ता चक्कर लगाया करते हैं, वह एसी जहनियत क ह जिसका खादी की जहनियत से कोई मेल नहीं खाता है। केवल इसलिए कि उसको नौकरी करना है और वह माननीय मुख्य मन्त्री का प्रिय है इसलिए उसको तौसीअ पर तौसीअ देते चले जा रहे हैं। उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। उन्होंने स्वयं ४-५ उद्योग लगा रखे ह, ५-१० लाख की जायदाद है, मन्त्री जी की कृपा है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

बोर्ड को अधिकार है निकालने का।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय--

लेकिन जब तक बोर्ड बनेगा तब तक तो वह बना रहेगा।

"मरतीहु बार कटक संहारा" तब तक तो बहुत कुछ खत्म हो जायगा। उसकी दवा क्या है? मैं कहता हूं कि ऐसे आदमी को आप अविलम्ब हटा दें और उनके खिलाफ जांच बैठा दें। अगर चीज सही हो तो उचित कार्यवाही उनके खिलाफ करें।

दूसरी बात मैं बट्टे-खाते के बारे में कह रहा था। उसके साथ-साथ धारा १७ को भी देखें जिसमें वसूली का जिक्र है। धारा १७ देखेंगे तो सारा अर्थ समझ में आ जायगा। बट्टे-खाते म भेजने का किसी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और न उस आदमी को अनुदान प्राप्त करने का हक हासिल होगा जो खाऊ-कमाऊ है। लेकिन १७ धारा के रहते हुए जिसके द्वारा मन्त्री जी वसूली मालगुजारी की तरह से कर रहे हैं, वहां बट्टे-खाते में डालने की बात निरर्थक हो जाती है। मैं कहूंगा कि ऐसे काम स्वविवेक, स्वेच्छा से होते हैं, ऐसे कामों में इस तरह का विष बो देना अवांछनीय होगा, यह विष फैलकर सारे अंग को नष्ट कर देगा।

एक माननीय सदस्य ने गांधी आश्रम को ईस्ट इंडिया कम्पनी का नाम दे दिया, उनकी कोई धारणा रही होगी। उसका प्रसार और प्रचार है लेकिन आपने एक रिबेट देकर जो पाप पैदा किया है उससे वह संस्था बदनाम हो गयी है, उसके कार्यकर्ता भ्रष्टता की ओर उन्मुख हुए हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अब रिबेट बन्द है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मुझे मालूम है। कागजी तरीके पर सारी खरीद-फरोख्त हो गयी और रिबेट दिया गया। कुछ दिनों तक वह मोअत्तल रही, बाद को विचित्र नारायण शर्मा जी की कृपा से फिर वह बहाल हो गयी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत प्रलोभन देकर, यह बट्टे-खाते का प्राविजन करके, कोई ऐसा कदम न उठाइए जिससे यह संस्था बदनाम हो और लोगों को श्रद्धा इसके लिए न रहे।

(इस समय २ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता रामायण राय पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आडिट होता है, मगर उसकी रिपोर्ट सदन में कभी प्रस्तुत नहीं होती। मन्त्री महोदय इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो और यहां उस पर चर्चा हो। ६ वर्ष हो गए, इन्हें इतनी फुरसत नहीं मिली कि आडिट रिपोर्ट को यहां रखते। मुझे तो शक है कि आडिट कराया भी है या नहीं? माननीय गुप्ता जी तो सीधे-सादे आदमी हैं, उन्हें इससे कोई मतलब भी नहीं है, उन्होंने तो मन्त्री होने के नाते विधेयक को यहां प्रस्तुत

कर दिया है वैसे उन्हें कोई इससे दिलचस्पी नहीं है। श्रीमन्, इसका लेखा-जोखा यहां न आने से लोगों के मन में भ्रम पैदा होने लगा है, अनेकों धारणाएं बनने लगी हैं। जो लोग कताई-बुनाई का कार्य करत हैं उनके प्रति भी आज जनता उंगली उठाने लगी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

बोर्ड के संगठन की बात कही गयी है। श्रीमन्, उद्योगमन्त्री उसके सभापति होंगे। आप कहते हैं मद्रास के पटर्न पर इसको बना रहे ह। खादी म उनकी श्रद्धा है और आगे भी रहेगी, मगर अगर कल को माननीय हरिनाथ तिवारी—जनसंघ की सरकार बन गयी तो क्या होगा? इन्होंने तो अपने मैनीफेस्टो में ही यह कहा है कि वे खादी को समाप्त कर देंगे। इसलिए उद्योग मन्त्री जी की जगह आप यदि किसी कर्मठ कार्यकर्ता को रखते जो उसका अध्यक्ष पूरे समय के लिए होता तो वह अधिक अच्छा रहता और वह कुछ अच्छा काम भी कर सकता। उद्योग मन्त्री को इतनी फुरसत कहां होगी कि वह उसको देख सके। मैं तो कल से देख रहा हूं उद्योग मन्त्री यहां बैठी ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनः विचार कर लें। खादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपनी गांठ में बांध कर घुमा फिरा करेंगे। यह ऐसी चीज है जिसको जनता में बिखेरना होगा, इसको फलने-फूलने देना होगा जिससे जनता को राहत मिले और वह लाभान्वित हो। अभी आपने कहा कि मैं उसमें नहीं हूं। उद्योग मन्त्री सभापति हैं। उसमें उप उद्योग मन्त्री का भी नाम रक्खा हुआ है। उद्योग मन्त्री जब सभापति हैं तो उपउद्योग मन्त्री की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आप समझते हैं कि आप आजन्म मन्त्री बने रहेंगे? हो सकता है कि आप उद्योग मन्त्री हो जायं, हो सकता है कि आप मुख्य मन्त्री हो जायं, हो सकता है कि आप आगे आयें ही नहीं....

(व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा था कि इसमें उद्योग मन्त्री हैं तो उप उद्योग मन्त्री को सदस्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषकर उस स्थिति में जब कि उद्योग मन्त्री स्वयं सभापति हैं, इसको आप निकाल दीजिए।

उसके बाद श्रीमन्, सात से नौ सदस्य गैर सरकारी हैं और पांच सदयस्य सरकारी हैं। मेरा कहना यह है कि पांच सरकारी सदस्यों के बजाय केवल तीन ही रखिए, उद्योग, सहकारी और प्लानिंग विभाग के सचिव. ये तीन ही ऐसे विभाग हैं जिनको जीवित सम्बन्ध इस बोर्ड से होना चाहिए, ऐसा है भी और आगे भी रहेगा। इसके अतिरिक्त जो दो बचते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें वित्त विभाग की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है कि उद्योग मन्त्री स्वयं सभापति हैं। यदि कठिनाई पड़ी तो वे फौरन सम्पर्क स्थापित करके ठीक कर सकते हैं। वे शोभा बनाने के लिए बैठे रहें, यह ठीक नहीं है। उन दो कर्मचारियों को हटा करके ७ के बजाय आप ९ और ९ के बजाय आप ११ अर्थात् कम से कम ९ और ज्यादा से ज्यादा ११ गैर सरकारी सदस्यों को उसमें रक्खें जिससे आपका बोर्ड बिल्कुल स्वायत्त शासी बोर्ड हो सके। गैरसरकारी बोर्ड हो सके, उसकी शक्ल उजली और निखरी हुई रक्खी जा सके। उसमें भद्दा न लग सके, उसमें टैरिलीन की बुशशर्ट पहिने हुए बाबू न हों। आप गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ाइए और सरकारी सदस्य जो अत्यन्त आवश्यक हों उनको ही रक्खें, औरों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं खादी के बारे में है। वह बिल से सम्बन्धित है। खादी आजादी के पहले क्या थी, उसकी क्या शान-शौकत थी और उसकी जितनी ताकत थी, उसका अहसास हमको और सारी दुनिया को है। खादी ने, श्रीमन्, आपको याद होगा मैंचेस्टर और लंकाशायर जैसे महान व.णिज्य नगरों के घुटने टेका दिए थे और उसी का प्रताप है कि आज हम आजाद होकर जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और महात्मा गांधी के चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन आज माननीय उप मंत्रीजी के राज्य में उसकी शानोशौकत कम हो गई है, वह नष्ट हो गई है। वह भिखारिन हो गई है और लंकाशायर और मैनचेस्टर का क्या कहना, वह तो आज अहमदाबाद और कानपुर के सामने घुटने टेकती चली जा रही है। आज उस खादी को ऊपर उठाने के लिए अगर आपको त्याग, बलिदान करना पड़े, और प्रतिष्ठा से जरा

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

नीचे भी उतरना पड़े, तो आप उतरिए और जनता को और इस बोर्ड को अवसर दीजिए कि वह भले ही वह कुछ गलतियां करे लेकिन आगे तो बढ़े। आप खादी के बारे में छानबीन करावें। कतिपय माननीय सदस्यों ने मूल्यांकन के बारे में कहा। आप इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करें वरना खादी दिन प्रति दिन खराब होती जायगी और उसकी प्रतिष्ठा घटती जायगी। आप यह न सोचें कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी प्रतिष्ठा भी घटती चली जायगी। आज गांधी आश्रम में आपको देखने को मिलेगा बिक्री के लिए टाई मिलती है। गांधी जी का उद्देश्य था कि खादी मानव के लिए है, लेकिन आज मानव खादी के लिए हो गया है। सारा सिद्धांत उलट गया है। अगर मानव को जरूरत है कि वह चुस्त कुर्ता पहने तो निश्चय ही वह उतने ही कपड़े का प्रयोग करे। लेकिन आज स्थिति यह है कि चाहे आदमी कितना ही दुबला पतला हो, झख मारकर उसको उसी कुर्ते को इस्तेमाल करना होगा जो उसकी नाप का नहीं है। गांधी आश्रम में टाइयां, कोट, पैन्ट, बुशशर्ट, ब्लाउज बनेंगे तो गांधी आश्रम की वह प्रतिष्ठा नहीं रहेगी जो आजादी के पहले थी। जितने सघन क्षेत्र और इकाइयां खुली हुई हैं, जिन्हें आप अनुदान देते हैं वह अपना एक गिरोह या संघ बनाकर अपने हित की बात सरकार से कराना चाहते हैं। इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी सघन क्षेत्र के कार्यकर्ता को यह संचालक को डांट सकें इसलिए कि उसने भी आपकी तरह से तपस्या, त्याग और बलिदान किया है। लेकिन जमाने की रफ्तार के साथ जैसे सरकार भ्रष्ट हो गई वैसे ही वे भी भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए आपको कोई ऐसी एजेन्सी खोलनी पड़ेगी कि इन कार्यकर्ताओं को कैसे रिहैबिलिटेट करें, कैसे इनको पुरानी प्रतिष्ठा पर लावें जिससे खादी का उद्योग पनपे।

सरकार ने एक धारा संक्रमण कालीन बनाई है जिसमें व्यवस्था के नाते कुछ काम करने की बात है। जिस समय मन्त्री जी इस धारा को लागू करें उन्हें अपने कर्मचारियों को नहीं भूलना चाहिए। उन कर्मचारियों के बारे में जो बोर्ड में या उससे सम्बन्धित संस्थाओं में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और जिनका भविष्य अनिश्चित है, सरकार को उनके बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। यह लिखा हुआ है, मैं पढ़े देता हूं। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवायें उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत ५ वर्ष से अधिक हो गई हों उन्हें बोर्ड में स्थानान्तरित करने के पूर्व स्थायी घोषित किया जाय। ऐसे सभी राज्य कर्मचारियों को जिन्हें बोर्ड में स्थानान्तरित किया जाय उन्हें सभी वे सहूलियतें दी जायं जो भविष्य में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली ह। यदि किन्हीं सरकारी परिस्थितियों में बोर्ड का कार्यालय लखनऊ या अन्यत्र कायम किया जाय उस समय कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के पूर्व उनके आवास की सहूलियत राजकीय स्तर पर उनकी क्षमता के अनुसार न्यूनतम किराए पर देने की व्यवस्था की जाय'। क्योंकि एक जगह से हटाए जाने पर और कोई प्रबन्ध न किए जाने पर उनके आवास की स्थिति बहुत ही भयावह हो जायगी और वे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे। बोर्ड में स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने के पूर्व यह ध्यान रखा जाय कि उन्हें जो सहूलियतें जैसे मेडिकल, वेतन, भत्ता, आदि, सरकार देती है उन्हें वे वहां भी पाते रहें। मतलब यह है कि संक्रमण कालीन स्थिति में कुछ उलझनें पैदा हो जाया करती हैं। उनमें बड़े अफसर तो ज्यादा परेशान नहीं होते ह लेकिन छोटे कर्मचारियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाया करती है, और खास कर आजकल की मंहगाई में, जिसे आप रोक नहीं पा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि जब आप बोर्ड का गठन करें तो यह बात ध्यान में रखें कि अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी रचनात्मक कार्य में जब कोई काम करने की बात सोचते हैं तो महिलाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। सन् ६० के बोर्ड के अनुसार मेरा खयाल है कि कोई भी महिरला कार्यकर्ती उसमें नहीं है। इत्तिफाक है कि इस बिल के अनुसार मुख्य मन्त्री ज. स्वयं महिल हैं, वे इसकी सभापति हो जावेंगी। यह स्थिति तो ऐसी ही है कि या आप चलते नहीं हैं और अग र चलते हैं तो सिर पर पैर रख कर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जमीन और आसमान के बीच

एक संतुलन स्थापित करें। महिला कार्यकर्त्रियों को भी प्रोत्साहन और अवसर दें जिससे वे आपके साथ हाथ बंटा सकें और देहातों में कार्य करने की उनको प्रेरणा मिले। आज तक उत्तर प्रदेश में सभी सघन क्षेत्रों में और इकाइयों में सभी पुरुष हैं। महिलाओं का कोई स्थान वहां नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से महिलाओं को भी इसमें स्थान दें। कम से कम १ या २ की शुरूआत आप करें, यद्यपि एक तो हो ही गई हैं; लेकिन एक और रखने की कोशिश अवश्य करें।

गांधी जी का एक तरीका खादी के चलाने में यह था कि श्रम से किसी को घृणा नहीं करनी चाहिए। हर आदमी को श्रम करना चाहिए, चाहे वह ऊंचे से ऊंचा हो या छोटे से छोटा हो। इस आधारभूत सिद्धांत को मानकर बड़े से बड़े लोगों ने सूत कातना शुरू किया और उसके साथ उनकी निष्ठा देश के प्रति जागी। और इस हद तक जगी कि वे देश के बड़े से बड़े कर्णधार बन गए। हमारी स्थिति आज सामान्य है कोई विशेष स्थिति नहीं है। हमारी सामान्य स्थिति यह है कि आज ऐसे-ऐसे लोग उन कामों को करने के लिए आगे आते हैं, जिनकी आस्था उनमें नहीं थी जैसे ब्राह्मण, ठाकुर। उन्होंने चमड़े का भी काम आरम्भ किया। पैसा उन्हें सरकार से मिलता है लेकिन अनुभवहीनता के कारण नहीं सीझा जाता, हां, सरकार का चमड़ा जरूर थोड़ा-बहुत सीझ जाता है। ऐसे लोगों को सुविधा देने से कोई लाभ न होगा। बल्कि जिनके यहां परम्परागत कार्य होता चला आया है जैसे सुअरपालन का काम, एक जाति विशेष करती है, तो आपको उस काम के लिए उन्हीं लोगों की पैसे से मदद करनी चाहिए। गांधी जी ने खादी को ही एक माध्यम बनाया था जिससे छोटे लोग ऊपर उठाए जा सकें और खद्दर की प्रतिष्ठा और साथ ही श्रम की प्रतिष्ठा भी प्रतिष्ठित हो ऐसा करने में वह सफल हुए। जब आज सामान्य स्थिति है तो जो पुराने पेशे वाले लोग हैं उनको ही निश्चित रूप से वह काम देना चाहियें क्योंकि उनको एक खानदानी तजुर्बा होता है, एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, वह काम करने के आदी होते हैं और वह उस कार्य विशेष को सक्षम रूप से और होशियारी से कर सकते हैं। नए लोगों को अगर पैसे के प्रलोभन से इन कामों में लगाया जायगा तो वह पैसा भी बरबाद होगा और वह काम भी ठप्प हो जायगा। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपको पेशेवर लोगों से कराना चाहिए।

स्विटजरलैंड में घड़ी का काम घर-घर होता है, उसके सारे पुर्जे घर-घर बनाए जाते हैं और उनको एक एजेन्सी असेम्बिल करती है। इस तरह से उनका गृह उद्योग एक वृहद् उद्योग में परिणत हो जाता है। आज हमारे गांवों में कितने काहिल पड़े रहते हैं। हमारे स्वर्णकार हैं जो स्वर्ण नियन्त्रण कानून के कारण बेकार हो गए हैं। यह लोग कलाकार हैं जिनको औजार चलाने का तरीका मालूम है। अगर ऐसे लोगों से इस तरह के काम चलवाए जायं तो आप छोटे उद्योगों से ही बड़े उद्योगों में पदार्पण कर सकेंगे।

(इस समय २ बज कर ४४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

एच० एम० टी० का बंगलौर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहां पर अच्छी घड़ियां बनती हैं, देश और विदेश में उनका अच्छा नाम है। मैं भी वहां गया था। १०४ रुपए की एक घड़ी मैं भी वहां से लाया, वह एक अच्छा उद्योग है। मैं चाहता हूं कि आप उसको एक जगह केंद्रित करने के बजाय चारों तरफ उसका एक जाल बिन दें, कुछ उसके पुर्जे कहीं बनें और कुछ कहीं बनें। आप उसको न्यूकलियस मानकर चारों तरफ उसके पुर्जों के निर्माण का जाल बिछा दें तो कम्पनी में काम करने वाले लोगों के मुकाबले में ऐसी व्यवस्था से ५ गुना लोग उस कम्पनी से मुस्तफीज होंगे और उससे देश की काहिली और अकर्मण्यता दूर हो जायगी।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसके लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। आपने अपने इस बोर्ड में कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि कुछ लोगों को आप आमंत्रित करेंगे। बोर्ड का गठन होगा, उसके कुछ सदस्य होंगे और कुछ को आप आमंत्रित करेंगे। यह आमंत्रित

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

किए हुए लोग उसमें हाजिर होंगे, उनको बहस करने का अधिकार होगा लेकिन वे मत नहीं दे सकेंगे। यह ठीक है, लेकिन एक छोटा सा हमारा संशोधन है। साधारणतः आमंत्रित वह लोग होते हैं जो आपके आसपास मंडराया करते हैं। जो आपकी निगाह में ज्यादा चढ़े रहते हैं, ऐसे लोगों को ही आप आमंत्रित करते हैं। ये लोग बोर्ड के एक तरह से सदस्य हो जाया करते हैं। नतीजा यह होगा कि वे हर मीटिंग में आयेंगे, हर जगह टांग अड़ाया करेंगे। अगर वे खादी के एक्सपर्ट हैं तो तेल उद्योग में टांग अड़ायेंगे और अगर वे तेल के एक्सपर्ट हैं तो वे चमड़े के काम में हाथ लगायेंगे। वे ही आगे चल कर बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं और उनका प्रभाव इतना हो जाता है कि वे हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। भले ही आप ऐसे लोगों को रखें लेकिन उनको मीटिंग में उसी विषय पर बहस करने की आज्ञा होनी चाहिए जिसके बारे में उनकी जानकारी हो और उस विषय के समाप्त हो जाने के उपरान्त वे वहां पर न बैठने पायें। यदि इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें आमंत्रित करेंगे तो उक्त खतरा, जिससे आप भी बदनाम होते हैं, कार्य भी नहीं चल पाता है, हमेशा के लिए समाप्त हो जायगा और बोर्ड का काम भी अच्छी तरह से चलेगा।

इन शब्दों के साथ में माननीय हरिनाथ तिवारी और माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, आपके सामने जो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ आया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, इस विधेयक पर कल से हुई बहस को मैं सुन रहा हूं। मैंने देखा कि खादी के प्रति माननीय सदस्यों के दिलों में कितनी आस्था कम हो रही है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने ही नहीं, बल्कि हमारी तरफ के सदस्यों ने भी इस पर बड़ा कटाक्ष किया है। सबसे पहले मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि यह जो खादी बोर्ड है उस पर प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं। इस ५ करोड़ रुपए में १ करोड़ रुपया अनुदान में देते हैं और शेष ४ करोड़ रुपया कर्जे के रूप में दिया करते हैं। १५ संस्थायें ऐसी हैं जिनको शनैः शनैः यह दिया जाता है। इन सब में लगभग ३ लाख व्यक्तियों की परवरिश होती है जिनमें बुनने वाले, रंगने वाले, धुनने वाले आदि सम्मिलित हैं। यदि ५ करोड़ रुपए का खर्चा करके ३ लाख आदमियों की परवरिश होती है तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में और कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो इतने रुपए में इतने लोगों की परवरिश कर सके। इसके सिलसिले में यहां पर एक बहुत बड़ा आक्षेप यह लगाया गया कि बोर्ड के लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हवाई जहाज से सफर करता हो। अभी आंकड़ों के द्वारा मैं बताऊंगा कि आपके यहां बोर्ड में एक डायरेक्टर हैं जो साल में कितना रुपया टी० ए० में खर्च करते हैं। इसमें करीब-करीब ३५ इन्स्पेक्टर हैं जो कार्य कर रहे हैं। वे महीने में २० दिन दौरे पर रहकर अपनी रिपोर्ट सब्मिट करते हैं। जो टी० ए० के आंकड़े हैं, उनको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। गजटेड आफिसर्स के लिये कुल ६ हजार रुपये के टी० ए० का प्राविजन है। खादी अम्बर के लिये ३ हजार रुपये का प्राविजन है, आडिट के लिये कुल ४ हजार रुपये का, कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये ३ हजार रुपये का और काटेज ऐंड आयल इंडस्ट्रीज के लिये १२,५०० रु० का प्राविजन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैंड पम्पिंग के लिये ३,१२० रुपये का, बी० कोपिंग के लिये ९५० रुपये का, लेदर इंडस्ट्री के लिये ४ हजार का और गोबर गैस प्लान्ट के लिये ३ हजार का प्राविजन रखा गया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, माननीय सदस्य क्या वहां का बजट पेश कर रहे हैं।

श्री ईश्वरशरण—

जो आपने कहा कि वे लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि वे हवाई जहाज में सफर नहीं करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। आडिट रिपोर्ट तो आज तक ६ वर्ष के बाद भी नहीं बनी है, लेकिन जब हिसाब-किताब माननीय सदस्य पेश कर रहे हैं तो माननीय सदस्य कृपया यह भी बतलावें कि जो हिसाब-किताब है वह किस प्रकार का है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

जितना उनको मालूम है, वे बतला रहे हैं।

श्री ईश्वरशरण—

मैं आपके सामने आडिट के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। उसका आडिट एक तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से होता है। वहां से बराबर आदमी आते हैं और उसका आडिट करते हैं। दूसरी आडिट यहां से प्राविंशियल लेबिल पर हुआ करता है, यानी डबल आडिट होता है। इसके अलावा जो स्थानीय संस्थायें हैं वे प्राविंशियल सरकार से आडिट कराती रहती हैं।

दूसरी बात यह है कि जो इसका बैलेंसशीट बनता है, वह हमेशा किसी रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्ट से चेक कराकर तब पास किया जाता है, तब मंजूर किया जाता है, वरना अगला कर्जा या अनुदान उनको नहीं दिया जाता है। यह कहना गलत है कि आडिट नहीं होता है और ६ वर्ष तक कोई आडिट नहीं हुआ, यह बिलकुल गलत है। मैं इस चीज को साबित करने के लिए तैयार हूं और अगर आप कहेंगे तो मैं इस चीज को पेश भी कर सकता हूं कि आडिट बराबर हुआ करता है और उस आडिट के आधार पर ही उन संस्थाओं को मदद दी जाया करती है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय सदस्य सदन को गलत सूचना दे रहे हैं। धारा ३० में दिया गया है कि "बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की जायगी।"

मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि आडिट रिपोर्ट के बारे में इस विधेयक में इसका प्राविधान है कि प्रत्येक वर्ष वह सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा। जब ६ वर्ष से कोई आडिट रिपोर्ट सदन के सामने आयी नहीं, तो मैं समझता हूं कि कोई आडिट हुआ ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

वे कहते हैं कि आडिट होता है, यहां पेश न हुआ हो तो वह दूसरी बात है।

श्री ईश्वरशरण—

मेरे कहने का मतलब यह था कि आडिट के सम्बन्ध में जो आक्षेप किया गया है वह सब गलत है। यह तो तीन-तीन मर्तबा देख कर तब उन को अनुदान और कर्जा दिया जाता है।

[श्री ईश्वरशरण]

खादी के बारे में लोगों ने कहा कि वह बहुत महंगी पड़ती है । मैं आपसे कहता हूं कि खादी वह पहने जो काते और पहने, जो पहने और काते, उसे खादी सस्ती पड़ सकती है । वरना जिस तरह से टेरिलिन या और दूसरे कपड़े बाजारों में महंगे मिलते हैं उसी तरह से आपको भी खादी महंगी पड़ सकती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खादी उनको सस्ती पड़ेगी जो कर्मठ होंगे । खादी तो उन्हीं को सस्ती पड़ेगी जो खुद अपने हाथ से कातेंगे । मिसाल के तौर पर खादी के बारे में यह कहा गया कि जितना सूत कात कर देंगे उतना ही कपड़ा मिल जायगा । सिर्फ मेहनत आपकी है । अम्बर चर्खे के बारे में बार बार लोगों ने यह कहा कि हमारे यहां बेकार पड़े हुये हैं । इसकी तीन महीने की ट्रेनिंग होती है और उस के बाद हर वर्कर इस बात कोशिश करते हैं कि अगर साल भर बराबर कातते रहेंगे तो उनको वह अम्बर चर्खा मुफ्त हो जाता है और उनकी स्पीड इतनी हो जाती है कि १ घंटे में एक गुंडी कात सकते हैं और साल भर में उसको ८० गज कपड़ा मुफ्त मिल जाता है जो मेरी राय में इतना ज्यादा है कि कोई इतना नहीं पहनता है । इसलिये यह कहना कि खादी महंगी पड़ती है, ठीक नहीं है । जो कपास अपने यहां बोये, उसने अपने यहां अगर २५ पेड़ लगा दिये तो सवा पाव रुई रोज मिलेगी और उसे रोज कातते रहेंगे तो कम से कम ४ गज कपड़ा रोजाना तैयार कर सकेंगे । इसलिये यह कहना कि खादी महंगी पड़ती है यह गलत बात है ।

१० हजार रुपया जो एक मुश्त माफ करने की बात कही गयी इस के ऊपर लोगों ने आक्षेप किया । मैं कहना चाहता हूं कि आप यह देखिये कि जो और आफिसेज हैं या जो और तरीके पर रुपया बांटा जाता है उस में कितना परसेंटेज रुपया माफ किया जाता है । जो यहां माफ करने की बात है वह आफिसेज से कम पड़ता है । इसलिये इस पर आक्षेप करना उचित नहीं प्रतीत होता है । और आफिसेज में माफ करने का तरीका इससे कहीं ज्यादा है । जितनी रकम आप चाहते हैं कि वसूल हो उतनी रकम वसूल नहीं हो पाती और आप को मजबूरन उसे माफ करना पड़ता है । तो मैं कहना चाहता था कि खादी का काम जो यहां चल रहा है और इसके अधीन जो और काम किये जा रहे हैं, जो अभी मैंने आप के सामने १५ और इंडस्ट्रीज के नाम लिये इनको अगर ठीक से चालू रख सकेंगे तो, जैसा हमारे पांडेय जी ने कहा था कि, स्विटजरलैण्ड की तरह डीसेन्ट्रेल ईज कर दिया जाय तो अच्छा होगा । मेरा कहना है कि यह तो हमारे यहां है ही । कहीं सूत काता जाता है, कहीं बुना जाता है, कहीं छापा जाता है और कहीं बेचा जाता है । और उसके बाद सबको इकट्ठा कर के हम बेचते हैं । जो विचार गांधी जी को इसके बारे में पहले से था वैसा ही आज भी हो रहा है ।

मुझे एक बात और कहनी है कि जो यह कहा गया है कि ९ सदस्य नामीनेट किये जायेंगे और ५ उस में अफसर होंगे, एक सचिव होगा और एक उप सचिव होगा, तो मतलब यह हुआ कि १६ आदमी होंगे । इस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि इसको बढ़ा कर २१ कर दें, जैसे और स्टैंडिंग कमेटीज में हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा । उसके साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि ये १४ आदमी जिनके लिये मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की है, उन संस्थाओं की तरफ से राय लेकर उनमें जो मेजारिटी में आयें उनको रखा जाय तब यह संस्था बड़ी अच्छी तरह से चल सकेगी और छोटी-छोटी संस्थायें हैं वे भी पनप सकेंगी । इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अध्यक्ष महोदय, अभी व्यवस्था दे चुके हैं कि इसके लिये कार्य मंत्रणा समिति ने समय निश्चित नहीं किया है और अनिश्चित समय तक इस पर विवाद चल सकता है । जब कार्य मंत्रणा समिति दिन निश्चित कर लेगी तब समय निश्चित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति की बात दूसरी है । हर एक सदस्य को ऐसी अवस्था में यह भी अधिकार है कि वह क्लोजर मूव कर सकता है । मैंने यह देखा कि कल भी और आज भी बहुत कम लोग खड़े हुए विशेष कर विरोधी पक्ष की ओर से ।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

मैं इस क्लोजर का विरोध करता हूं । अभी भी कुछ लोग इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वश्री ऊदल तथा शिव सम्पत्ति शर्मा जी बोल लें । इसके बाद में क्लोजर ले लूंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी शीतल प्रसाद जी ने कहा कि इधर से जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे बिलकुल गलत हैं । मैं यह कहूंगा कि जो संशोधन विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है उसके उद्देश्य और कारण में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड को यह अधिकार होगा कि १० हजार रुपये तक किसी संस्था का अगर वह चाहे तो बट्टे खाते में डाल दे और इस प्रकार इस संशोधन विधेयक के द्वारा इन संस्थाओं को सरकार ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट बनाना चाहती है । उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है "इसके अतिरिक्त यह भी इष्टकर प्रतीत होता है कि बोर्ड को ऐसा प्राधिकार दिया जाना चाहिये जिससे कि वह एक निश्चित सीमा तक अपने देयों को बट्टे खाते में डाल सके यदि उसकी राय ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो।" अब आप खुद बतलावें कौन चाहता है रुपया ले कर उसे देना पड़े । माननीय फूल सिंह जिस वक्त लघु उद्योग मंत्री थे उन्होंने लघु उद्योगों के ऋण की जांच की थी तो यह बताया था कि ५० फीसदी रुपया लोगों ने दूसरे कामों पर लगा दिया है और वह वसूल नहीं हो रहा है । इसलिये १० हजार रुपये को बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था उचित नहीं है । उसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि मूल अधिनियम की धारा २५ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय "बोर्ड किसी अकेले मामले में एक हजार रुपये तक की और किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिला कर दस हजार रुपये तक की धनराशि को जो उसे देय हो बट्टे खाते में डाल सकता है यदि उसकी राय में ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो।" मेरा अपना खयाल यह है कि यह इसी लिये किया जा रहा है कि संस्था के पदाधिकारी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सरकारी पक्ष के होते हैं । आप बुरा न मानें, आप देखें कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर इस बोर्ड के द्वारा क्या-क्या काम होता है जो अनुदान और ग्रान्ट दिया जाता है उस से । तेल घानी उद्योग, चावल कुटाई उद्योग, साबुन उद्योग । क्या आज तक बोर्ड ने या सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि जिन बहुत सी संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चलाया जाता है क्या वे सचमुच कायम हैं या फर्जी हैं ? एक संशोधन इसमें यह किया जा रहा है कि सरकार के जो बड़े-बड़े पदाधिकारी होंगे वह इस बोर्ड के सदस्य होंगे । श्रीमन्, आपको ताज्जुब होगा कि इस विभाग के सचिव और जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं की अपनी-अपनी संस्थायें कायम कर ली हैं और ज्यादा से ज्यादा रुपया उन्हीं को दिला दिया है । कभी सरकार ने इसकी जांच की है ? मैं आपकी आज्ञा से बताता हूं कि उत्तर प्रदेश ताड़ गुड़ उद्योग सहकारी संघ लि०, कानपुर के पदाधिकारी कौन हैं । एक हैं उप निदेशक उद्योग, (ग्रामोद्योग), पदेन सभापति, उद्योग निदेशालय, कानपुर । दूसरे हैं श्री राम प्रताप सिंह, प्रतिनिधि, ताड़गुड़ सहकारी समिति लि०, देवपुरा, कानपुर, उप सभापति । तीसरे हैं ताल वस्तु विकास अधिकारी, उद्योग निदेशालय, कानपुर, पदेन मंत्री ।

[श्री ऊदल]

अब जो ऋण और अनुदान दिया गया इस संस्था को वह सुनिये। १९६३–६४ में १,०५,००० रु० ऋण और १,०३,००० रु० अनुदान दिया गया। १९६४–६५ में ४,५५,००० रु० ऋण और १,५०,००० रु० अनुदान दिया गया। कुटीर दियासलाई संघ लि०, कानपुर नामक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। जहां से मंत्री जी आते हैं वह एक संस्था आगरा फुट वियर सिन्डीकेट, आगरा के नाम से है। इसको भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने एक साल रुपया ऋण दिया है और अनुदान कितना दिया है, यह मुझे मालूम नहीं। तो यह संशोधन विधेयक है इसको पेश करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि माननीय शीतला प्रसाद जी ने कहा कि इस आयोग द्वारा ४ करोड़ रुपया ऋण और १ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है उसके बारे में एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता थी कि इस रुपये का किस तरह से इस्तेमाल हो और यह भी सर्वे करने की आवश्यकता थी कि किस उद्योग को कौन से लोग चला सकते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कुटीर उद्योग दियासलाई संघ लिमिटेड जिसमें आप देखेंगे कि उस निदेशक ग्राम उद्योग और अधीक्षक कुटीर उद्योग निदेशालय कानपुर है उसको इसी तरह से ऋण और अनुदान दिये गये हैं।

अब मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि डेवर जी, जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के चैयरमैन हैं, उन्होंने प्रांतों को एक पत्र भेजा कि खादी बोर्ड का कोई भी मेम्बर किसी संस्था का पदाधिकारी न बने। यह उन्होंने लिखा है लेकिन इसका पालन करने के लिये आज कोई तैयार नहीं है। ढेबर जी ने यह भी कहा है कि किसी संस्था के पदाधिकारी को इस खादी बोर्ड का मेम्बर न बनाया जाय लेकिन इसका उल्टा हो रहा है और उपनिदेशक और अधीक्षक ग्रामोद्योग इस बोर्ड के मेम्बर हैं। इसी लिये आजकाल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का हालत दिन व दिन खराब होती चली जा रही थी। मेरा निवेदन यह है कि जो छोटी-छोटी संस्थायें है, जो काम करती है और करना चाहती हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में नहीं है। इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये लेकिन उसने नहीं किया है। छोटी-छोटी संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें रख दिये जायं तो इनका भी पता हो जायेगा और बोर्ड की भी हालत सुधर जायेगी।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सरकार इस पर विचार करे कि जो रुपया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया गया है और जिन संस्थाओं को दिया गया है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करें और देखें कि उस रुपये का सदुपयोग हुआ है या नहीं या जिस काम के लिये लोगों ने रुपया लिया है उसमें वह खर्च हुआ है या नहीं। ढेबर जी ने जो ध्यान दिलाया था वह विचाराधीन प्रश्न है। जो सरकारी पदाधिकारी इस बोर्ड के मेम्बर हैं उनका एक असर होता है और किसी भी संस्था में वे पहुंचेंगे तो रुपये का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। जैसा ताड़ उद्योग और दियासलाई उद्योग जिसका संचालन पदाधिकारियों का हाथ है उसको लाखों रुपये का अनुदान और ऋण दिया गया है। यह विचारणीय प्रश्न है और सरकार को इस मौलिक प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि किसी भी सरकारी संस्था के पदाधिकारी को इस बोर्ड का मेम्बर नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, इस बोर्ड के बारे में यह रखा गया है कि सेंट्रल से इसके हिसाब का आडिट कराया जायगा। लेकिन अब तक इसका कोई भी हिसाब-किताब न तो सदन के सामने है और न बोर्ड के सामने है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जल्दी निर्णय लेना चाहिये कि जो रुपया लोगों को दिया गया है उसका ठीक से आडिट होना चाहिये ताकि आगे के लिये कोई रास्ता निकल सके। मान्यवर, माननीय मंत्री ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बोर्ड को आर्थिक नुकसान होगा। इसमें भारत सरकार की तरफ से जो अनुदान, आल इंडिया खादी ग्राम उद्योग कमीशन की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया जाता है उसका दुरुपयोग इस संशोधन विधेयक के माध्यम से होने जा रहा है। इससे

भ्रष्टाचार पनपेगा। इसको रोकने के लिये जरूरी है कि इस संशोधन विधेयक को ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय। उसमें व्यापक तरीके से जो सदन में सुझाव आये हैं उस पर विचार किया जाय और इसको ज्यादा वृहद रूप भी दिया जाय ताकि खादी और ग्राम उद्योग का काम अच्छी तरह से चल सके। इन शब्दों के साथ में ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवसम्पति शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक लाये हैं उसको मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। सिर्फ इतनी बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जो आवश्यकता खादी और ग्राम उद्योगके लिये है जिसके लिए इस बिल की जरूरत थी इस बिल से पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग की जो सम्भावनाएं हैं उसके लिए ऐसा रूप देने की आवश्यकता है जो पूर्ण रूप से खादी और ग्राम को उद्योग को पूरा कर सके। मद्रास का जिक्र किया गया। यह विधेयक मद्रास और उत्तर प्रदेश दोनों की खिचड़ी है। यह जो हमारी मांग थी और मौजूदा कानून था दोनों की बीच का यह संस्था है। लेकिन यह बिल उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि ऐसा रूप खादी और ग्राम उद्योग का होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में जो सम्भावनाएं हैं उनको जरूरत से ज्यादा तरक्की दे सके।

एक दूसरी बात भी है जो माननीय सदस्यों ने कही खास कर गांधी आश्रम और खादी संस्थाओं के सम्बन्ध में कि यह व्यापारिक संस्थाएं हैं और ऋण और अनुदान पर जीवित हैं। वह भाई ऐसे हैं जो खादी और ग्राम उद्योग में निष्ठा नहीं रखते। उन्होंने राजनीतिक लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ काम नहीं किया है। बीच में आकर असेम्बली के मेम्बर हो गये। अगर उनमें भावना होती तो यह बात नहीं कह सकते कि खादी में वह भावना नहीं है जो गरीब को रोटी और रोजी दे सके। जो आज स्थिति पैदा हो रही है उसमें अगर ग्रामउद्योग की तरफ नहीं बढ़ी तो जो तरक्की होने वाली है उसका ह्रास हो जायगा। मैं कृपालानी जी का बड़ा आभारी हूं कि उनकी अध्यक्षता में इस प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग को जीवनदान मिला। कार्यकर्त्ताओं के सामने बड़े-बड़े प्रलोभन रहे, बड़े-बड़े पदों को त्याग कर १५–२० रुपये की तनख्वाह पर गांवों में मारे-मारे फिर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि खादी बोर्ड ग्रांट और लोन ले कर जीवित है मैं उनकी भावनाओं का प्रतिकार करता हूं। अगर इस तरह की भावनाएं जाग्रत हुई तो ग्राम उद्योग की भावनाएं पनपेंगी नहीं, मर जायंगी।

अभी ऊदल जी ने कहा कि उद्योग निदेशक, उपनिदेशक और दूसरे अधिकारी दूसरी संस्थाओं के पदाधिकारी होकर लाखों रुपया ले लेते हैं। उन्होंने आंकड़े भी सुनाये। अगर बिना पूरी जानकारी किये असेम्बली में इस तरह की बात की जायेगी तो बाहर क्या होगा। जो अधिकारी हैं वह तो पदेन सदस्य होते हैं, वह उनकी व्यक्तिगत संस्थायें नहीं हैं। अगर उद्योग निदेशक के पास करोड़ों रुपये हैं। उनमें से ४ लाख या २ लाख उद्योग के प्रचार के लिये दे दिये जायं और वह उसमें से अपना निजी फायदा करने लगे तब तो काम हो गया। मैं इस बात को नहीं समझ पाता। यह अपने आप अपना उपहास करना है। मैं कहता हूं कि यह सारी बातें निर्मूल हैं और बिना जानकारी की हैं।

श्री ऊदल—

मैंने तो जो बातें सरकार ने अपने जवाब में कही हैं उससे आंकड़े दिये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

सरकार का जवाब हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कानपुर की जिस संस्था का आपने जिक्र किया है वह गैर सरकारी संस्था नहीं है। बोर्ड बना है खादी का, अगर उससे उसके अध्यक्ष पद से मुख्य मंत्री जी को अलग कर लिया जाय तो क्या उससे यह समझा जायगा कि पदेन सदस्य होने के कारण उन्होंने अपना व्यक्तिगत लाभ कर लिया? इसी तरह से डाइरेक्टर उद्योग विभाग उसका पदेन सदस्य होगा। वह कैसे मान लेगा कि वह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गयी?

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि उद्योगों में कुछ भी तरक्की नहीं हुई। और ४ या ५ करोड़ रुपया जो बांटा जाता है वह सब लोग खा जाते हैं। मैं इस रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो माननीय मंत्री जी ने काफी पहले छपवाई थी और जिसको मैंने तीन महीने पहले पढ़ा था। बिल के आने से पहले यह रिपोर्ट माननीय सदस्यों में बट जानी चाहिये थी, लेकिन वह बांटी नहीं गयी। आप इसके आंकड़ों को देखिये तो पता चलेगा कि इसका एक बटे ८ काम हुआ है। सन् १९६१–६२ में कुल २ लाख ५१ हजार रुपये का काम था और सन् १९६६–६७ में यह काम अब ४ लाख ८२ हजार का हो गया है। ये आंकड़े ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि काम होता है। मैंने गांधी आश्रम की रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की। कल आपने पढ़ा होगा कि वहां के कुछ आंकड़े प्रकाशित हुये हैं। करीब ४ करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ, करीब ५ करोड़ रुपये का माल सेल किया गया और दो या ढाई लाख रुपया इन्होंने मजदूरी दी। उसमें ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर कोई सन्देह कर नहीं सकता। विचित्र नारायण शर्मा, राजाराम जी, कृपालानी जी ऐसे व्यक्तियों के रहते हुये उन संस्थाओं पर हमारे माननीय सदस्य कीचड़ उछालें, हमारे माननीय मिश्र जी का कुछ कहना अपने आपको अपमानित करना है।

श्री उबल—

मैंने तो उस पर कोई लांछन नहीं लगाया है। मैंने तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

मैंने आपके लिये कहा भी नहीं है। हमारे भाई मिश्रा जी ने गांधी आश्रम की तुलना ईस्ट इंडिया कम्पनी से की। क्या आप इन दोनों के रूप को मिला सकते हो?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्यों ऐसा कहते हैं?

श्री शिवसम्पति शर्मा—

प्रजातन्त्र में संविधान की २६वीं धारा के अनुसार जो सुविधा मिली है हाउस के अन्दर उसका यह उपयोग है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण होता तो इस तरह की बात कहने का कोई औचित्य था। एक बात जरूर है कि इस बिल के अन्दर जो सदस्यों का निलम्बन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसको संशय की दृष्टि से देखता हूं। दिवालिये होने पर उसको निलम्बित कर दिया जायगा, वह धारा तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आया कि प्रतिकूल काम करता है तो उसको मुअत्तल किया जा सकता है...

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि जो धारा मुअत्तल करने के लिये रखी गई है वह उचित सी नहीं मालूम होती है। जिन सदस्यों को आप इसमें मनोनीत करेंगे वह प्रदेश के सम्मानित सदस्य होंगे। वे खादी और ग्रामोद्योग में रुचि रखने वाले सदस्य होंगे। सरकार ही उनको मनोनीत करेगी। उनके ऊपर जो आरोप आयेगा उसका वह जवाब देंगे। आप उनको बरखास्त कर सकते हैं। उनसे यह कह दिया जा सकता है कि आप त्यागपत्र दे दीजिये, लेकिन उनको बीच में ही मुअत्तल करना इस तरह की परिभाषा है जिसके लिये हमारा खयाल कि वह खादी के स्तर के अनुसार नहीं है। उससे खादी की जो भावना है उसको सहायता नहीं मिलती है। वह खादी की भावना के अनुरूप नहीं है। इसलिये आप इस बात पर विचार करें और इस मुअत्तली की धारा को निकाल दें और अन्तिम वाली को रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि इसमें २५१ लाख लिखा हुआ है। वह करोड़ नहीं है। इसको शुद्ध कर लिया जाय। इतनी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि खादी के प्रति जो हमारी भावना है उसके अनुरूप बिल होना चाहिये। आप यह बिल बना रहे हैं। ५ करोड़ रुपया इस पर खर्च करते हैं, लेकिन उसके लिये कोई भी तेल का इन्तजाम नहीं है। खास कर सरकार अपने यहां ग्रामोद्योग की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करती है। एक तरफ तो सरकार ४, ५ करोड़ रुपया लोन, ग्रान्ट और सहायता के रूप में खर्च करती है, दूसरी तरफ उसके द्वारा उत्पादन किये हुये सामान को इस्तेमाल करने के लिये तैयार नहीं है। सरकार मिल के बने सामान को इस्तेमाल करती है। यदि सरकार इस तरह से उसको सहायता देती है और अपने यहां आफिसों में खादी का प्रयोग नहीं करती तो उससे अधिक लाभ खादी उद्योग का होने वाला नहीं है। ग्रामोद्योग का सामान जो दफ्तरों में काम आ सकता हो उसका प्रयोग सरकार को करना चाहिये।

इसी के साथ-साथ यह भी एक विचार करने की बात है कि कौन सा क्षेत्र ग्रामोद्योग के लिये रखें और कौन सा क्षेत्र मिल के लिये रखें जिससे यह निश्चित हो जाय कि मिल कहां पर काम करे और ग्रामोद्योग के सामान का क्षेत्र कहां पर हो। जिस प्रकार से खादी का काम चल रहा है वह इस तरह से बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। यदि सरकार इतना रुपया उसकी मदद के लिये खर्च करती है तो उसको अच्छी तरह से चलाइये और उसके अनुरूप ही इस बिल को बनाइये। खादी को पूर्ण संरक्षण दीजिये और ग्रामोद्योग के लिये और मिल के लिये अलग-अलग एरिया तैयार कीजिये और दोनों को अलग-अलग पनपने का मौका दीजिये जिससे ग्रामोद्योग के लिये जो आप खर्च करते हैं उसका उपयोग हो सके। इन शब्दों के साथ में इस बिल का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को खादी ग्रामोद्योग की भावना के अनुरूप होना चाहिये और विरोधी दल की तरफ से समिति में भेजने का जो प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप के पूर्व माननीय अध्यक्ष यहां पर पीठासीन थे और प्रातःकाल जिस समय यह विवाद प्रारम्भ होने वाला था उस समय मैंने एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय के सामने रखा था कि कार्य मंत्रणा समिति में हम लोगों ने इसके लिये तीन दिन मांगे थे सामान्य विवाद के लिये तो उस समय यह कह दिया गया था कि तीन दिन तक इस पर क्लोजर आने की कोई सम्भावना नहीं है और बाद में भी जब फिर बैठेंगे तो विचार कर लेंगे। आज प्रातःकाल

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

भी जब मैंने यह प्रश्न उपस्थित करना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि क्लोजर आ जायगा। इसलिये मैं इस प्रश्न को अभी नहीं लेता हूं। जब कोई क्लोजर मूव करेगा तो आप अपनी बात सामने रखियेगा। मेरा निवेदन यह है कि इस समय हमारे हितों की रक्षा आप कर सकते ह और उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है। आपने उन लोगों को अवसर दिया ह बोलने का। मैं आपके द्वारा सरकारी पक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर चार बजे तक यह विवाद चल जायगा तो उसमें यह विधेयक समाप्त नहीं हो सकता और अगर नहीं चलेगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको को इसे अभी क्लाज बाई क्लाज लेना है और उसमें समय लगेगा। इसलिये यह क्लोजर बेकार है। हम लोग इसमें अधिक समय नहीं लेना चाहते।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

पहले ही एनाउन्स हो चुका था कि दो दिन का समय इसके लिये है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि नियमों के अनुसार क्लोजर मूव हो सकता ह और हुआ ह। पहला क्लोजर जब मूव हुआ था तो मैंने दो सज्जनों को बोलने के लिये कहा था और उसी कारण उसको उस समय नहीं लिया था, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई सदस्य ऐसा नहीं है सिवाय एक को छोड़ कर कि जो बोलने के लिये खड़ा हुआ हो और उसे अवसर न प्राप्त हुआ हो।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

आप उस कार्य मंत्रणा समिति में थे?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं था।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

वहां पर बनारसीदास जी ने आश्वासन दिया था कि तीन दिन तक इस पर जनरल डिबेट चलेगी...

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप की यह बात वह मान लें तो कोई बात नहीं है।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

कल मैंने जब एनाउन्स किया था तो दो दिन के लिये मैंने इस हाउस में एनाउन्स किया था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह बहुत जबरदस्ती की बात है। जिस समय उन्होंने कार्यक्रम एनाउन्स किया था उसी समय मैंने आपत्ति की थी और आज यह हो भी नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आज पास नहीं होगा। क्लाज बाई क्लाज तो आप इसको कल ही पास करेंगे। इस आश्वासन के साथ आप इसको मान लें।

श्री केसरीप्रसाद पांडेय—

आज माननीय अध्यक्ष ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि यह बिल अनिश्चित काल तक चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात समझ में नहीं आयी। इस तरह से तो यह पचास वर्ष तक चल सकता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा है तो मेरी हिम्मत तो है नहीं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि यह अनिश्चित काल तक चल सकता है,, क्योंकि इसमें कोई समय निर्धारित नहीं हुआ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

यह धमकी दे रहे हैं कि कल तक मालूम हो जायगा। इसे वह वापस लें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैंने यह कहा कि बिल जो चलेगा यह कल तक नहीं खत्म होगा। यह इनकी समझ में नहीं आता है।

श्री रामायण राय—

मुझे आप से कम समझ नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आप तशरीफ रखिये। इनको बैठाइये, उपाध्यक्ष जी!

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उस दिन समय निश्चित नहीं हुआ था मीटिंग में, अध्यक्ष जी ने कहा था कि समय निश्चित नहीं हुआ, और बातें हो चुकी हैं। इसलिए यह चलता रहेगा। इसके अलावा केवल अब २५ मिनट रह गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

२५ मिनट का टाइम तो यूटिलाइज होना चाहिए। वह आज हो जायगा। बाद में अगले दिन लिया जायगा। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

लेकिन क्लोजर मूव करना तो केवल दुराग्रह है। कोई वरिष्ठ मंत्री नहीं है जो इनको रोके। ये सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५८।

विपक्ष में—२१।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और विशेषकर माननीय जे० पी० मिश्र, माननीय हरीसिंह, और माननीय जगदीश प्रसाद और जगदीश शरण जी का जिन्होंने मेरा काम बहुत हलका कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इस बोर्ड के मातहत जितनी संस्थायें चल रही हैं वे ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह हैं। मान्यवर, नयनतारा सहगल जो माननीया विजयलक्ष्मी पंडित की पुत्री हैं उनका एक लेख है जिसमें उन्होंने कहा है कि—

"In December, 1773 a group of irate colonists dumped a cargo of the East India Company's tea into Boston harbour as a protest against having to buy British-owned tea."

उनका कहना है कि जितना पैसा हम खादी पर खर्च कर रहे हैं वह व्यर्थ जा रहा है। मान्यवर, उस समय मैन्चेस्टर तथा लंकाशायर जैसी मिलों को बन्द करने के लिये खादी के प्रति एक आन्दोलन सा चलाया गया था। आज परिस्थिति दूसरी है। आज तो अपनी मिलें ही काम कर रही हैं। आज यह आवश्यक नहीं है कि खादी पर इतना पैसा नष्ट किया जाय। माननीय मिश्रा जी और हरीसिंह ने भी कहा कि इतना पैसा नष्ट होने पर भी खादी हमें मिल के कपड़े की तुलना में महंगी पड़ती है। श्रीमन्, इस आर्टिकिल में एक बात और कही गयी है और वह है—

".....Where once it was an inspiration it is now an obligation something one must wear apparently in order to prove one's fidelity to a party and a cause....."

लेकिन इस समय खादी बोर्ड का जो विषय चल रहा है यह कहां तक उपयुक्त है, चलना चाहिये या नहीं चलना चाहिये। जब सेंट्रल खादी कमीशन को "आन अकाउन्ट्स आफ खादी ऐण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ६३- ६४' की...

श्री उपाध्यक्ष—

रिप्लाई में नई बात तो नहीं कही जाती।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

बात वही कह रहा हूं। कितना रुपया आप नष्ट कर रहे हैं इस पर और उससे कम उत्पादन आप करते हैं। अभी उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा, शायद माननीय जगदीश प्रसाद ने, कि ऐसी ऐसी संस्थायें हैं जो कागज पर सब कुछ हैं, पैसा ले लेती है और वहां पर कोई काम नहीं होता है। यह क्या है कि इतने का सूत लिया गया रुई का कहीं पता नहीं। इस रिपोर्ट में १७३.०९ लाख खर्च होता है। इनमें तीन आइटम्स हैं, ग्रान्ट सबसिडी और लोन। तीनों आइटमों को मिलाकर खादी एन्डविलेज इन्डस्ट्रीज हैं। १७३.०९ लाख खर्च होता है। यह ह्यूज सम है और अपने प्रान्त में भी इसी का विस्तार है। इस तरह से सोलह प्रान्तों में दस करोड़ रुपया खर्च होता होगा। तो इतना रुपया संस्थाओं आप को देते हैं, अनुदान देते हैं। जैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि किसी ने कहा कि यातीमखाने खोले हुये हैं सरकार की ओर से केवल उनको अनुदान के रूप में रुपये दिये जाते हैं, पता नहीं हिसाब किताब क्या होता है। वहां वे क्या काम कर रही हैं उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके पूर्व जब यह ओरिजिनल बिल आया था उसमें माननीय बहुगुणा जी ने यह भी कहा था कि उनको पोषण करने के लिये पैसा दिया जाता है। उस समय भी यही व्यवस्था रखी थी। बहुगुणा जी ने जो इस काम में लगे हुये हैं कहा है कि वह पैसा हमारे और दूसरे भाइयों के, जो स्वराज्य आन्दोलन की देन है, जिन्होंने काम किया, तप, तपस्या, त्याग किया था उनको खाने को नहीं मिल रहा है उसकी पूर्त्ति के लिये कर रहे हैं। यह बहुगुणा जी का विचार था १९६० में। अब जो संस्थायें हैं अगर हम यह समझें कि जिन संस्थाओं को इतना दिया जाता है और उन संस्थाओं की अगर रिपोर्ट ली जाय कि कितनी उन्होंने प्रगति की है और उसके बाद दूसरे लोन दिये जायं तो मैं समझूं कि प्रगति हो रही है। यह कहना कि खादी में हमारी बड़ी निष्ठा है और उसका काम चल रहा है, जब तक हम जितना चाहें अनुदान दें, यह ठीक नहीं है। जहां तक खादी का संबंध था उनको कहने का मौका मिला इसमें खादी ग्रामोद्योग भी है। खादी के विषय में अब उतना आवश्यक नहीं है जितना हम ४७ के पहिले समझते थे। ग्रामोद्योग की जरूरत है और उसके लिये भी वही इस समय हो रहा है कि अनुदान मिल जाता है और अनुदान मिलने के बाद वह केवल वेस्ट होता है, उसका पता नहीं कि हिसाब होता है या नहीं।

कुछ सज्जनों ने बताया कि अम्बर चरखे खरीदे गये। वे ऐसे पड़े हैं जैसे पैटन टैंक पड़े हुये हैं। एक विचार माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं इसलिये कि यह खादी कमीशन से डिक्टेट होती है। उसके विषय में भी इस आडिट रिपोर्ट को लीजिये उसमें उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते हैं। हम किसी स्टेट के खादी बोर्ड को डिस्टर्ब तनिक भी नहीं करते हैं। हम केवल फाईनैंनसिंग करते हैं। पी० ए० सी० की आडिट रिपोर्ट में लिखा है—

"The Committee desire to know the financial or administrative control of the Commission over the State Boards. The witness stated that the State Board were responsible to the State Legislature, the only authority that the Commission possess was the authority consequent on financing."

यह केवल फाइनेंसिंग का है, लेकिन मंत्री महोदय ने यहां बताया कि वह संस्थाओं को लोन के और उनके पालिसी मेटर्स में डील करते हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पालिसी डील की बात नहीं कही, मैंने कहा था कि उन्होंने परामर्श दिया कि आप मद्रास पेटर्न पर बनाये। केवल परामर्श देने की बात थी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंत्री जी कह रहे हैं तो ठीक है। माननीय जगदीश प्रसाद जी यहां नहीं हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ६७ के चुनाव की बात रखी गई और कहा गया कि उसके कर्मचारी उसमें काम करेंगे और इसीलिये वह इसका मंत्रीकरण कर रहे हैं। वह वकील हैं और आप भी वकील हैं। हमने अपना पक्ष रखा, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। बोर्ड तो पहले भी बना हुआ था क्योंकि धारा १४ में लिखा हुआ था कि उसका संचालन उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से होगा। केवल माध्यम शब्द था, बोर्ड तब भी था आज भी वह रख दिया, केवल इतना कह देते कि माध्यम समाप्त कर दिया है तब तो बात समझ में आ सकती थी। हम अपना प्वाइन्ट आफ व्यू रख सकते हैं, आप उद्योग मंत्री की जगह दूसरे को रख सकते थे। बिना उनके उद्योग नहीं चल सकता कोई दूसरा भी हो सकता था। बोर्ड बनता, किसी को उसी में से अध्यक्ष चुन लेते जो कि जनतंत्र का एक माना हुआ तरीका है। हर चीज को आप नामिनेशन कर के अपने हिसाब से तैयार करना चाहते हैं।

[श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट]

तो इस तरह से अगर आप बोर्ड बनायेंगे तो क्या जनतंत्र में जनता का विश्वास रह सकता है ? जहां तक उप मंत्री जी की बात है उनके बारे में जो लिखा है वह कौन सा आफिस होल्ड करते हैं ? वह कैसे सरकारी हो सकते हैं, डायरेक्टर को हम समझ सकते थे कि वह सरकारी हैं, लेकिन उद्योग मंत्री कैसे सरकारी हो गये ?

इसी तरह से पहले ऐक्ट में टर्म या अवधि दी हुई थी, लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि एक बार आने के बाद उनकी बपौती कर दी जायगी, वह अवधि पहले २ टर्म्स की थी, ज्यादा वह नहीं रह सकते थे। लेकिन वह हमेशा या जब तक रहना चाहेंगे रहेंगे यह उचित नहीं है। अगर कोई निश्चित काल १–२ या ३ टर्म्स का रख दिया जाता तो उचित था। हर जगह डेमोक्रेसी में अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, हालांकि आप कांग्रेस में उसका पालन नहीं कर रहे हैं, आपने अभी सभापति के लिये ३ साल का समय रखा और बाकी के लिये कह दिया कि कोई टर्म या अवधि नहीं होगी। क्योंकि उसके बाद अगर वे उपयोगी होंगे तो वहां ही रहेंगे। इसमें उप सभापति की अवधि ३ साल है।

इसमें आखिरी क्लाज जो है वह है बट्टे खाते की। आपने बट्टे खाते को इतना ज्यादा कर दिया है कि बोर्ड जितना उपयुक्त समझे उतनी रकम इस खाते में डाल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें १०हजार तक की सीमा है। इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। इस ऐक्ट में बट्टे खाते की सीमा को निश्चित कर दिया गया है कि १०,००० रुपये से ज्यादा नहीं होगा। इससे एक प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, इस १०,००० का भी प्रभाव पड़ सकता है। यह भीभ्रष्टाचार का एक तरीका है। यदि हम कानून ऐसे बनायें जिनमें भ्रष्टाचार की कोई गुन्जायश न हो तो ज्यादा अच्छा हो। पहले यह सीमा नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें सरकार ने यह सीमा बना दी है।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, जब इसमें जमानत ली जाती है तो फिर बट्टे खाते की क्या आवश्यकता थी ? अनुदान जमानत देकर ही मिलता है तो बट्टे खाते की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि इस सदन में बट्टे खाते से क्या समझा जाय। इसके संबंध में एक रूलिंग हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

बट्टे खाते में वह रकम होती है जो वसूल करने की कोशिश के बावजूद भी वसूल न हो तो उसे इसमें रख दिया जाय।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि जब जमानत दी जाती है तो बट्टे खाते का क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कभी-कभी जमानतदार भी दिवालिया हो जाता है। चलिए यह तो मैंने वैसे ही कह दिया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

इस विधेयक की धारा २५-क में दिया हुआ है कि "बोर्ड किसी अकेले मामले में एक हजार रुपये तक की और किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर दस हजार रुपये तक की धनराशि को, जो उसे देय हो बट्टे खाते में डाल सकता है यदि उसकी राय में ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो।" यदि यहां पर यह होता कि यदि किसी प्रकार से वसूल करने की कोशिश के बावजूद भी वसूल नहीं होता तो मैं यह मान लेता।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह तो सबसे पहले ही दिया हुआ है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त कर रहे हैं या बोलेंगे? अब ४ बजे हैं, यह प्रश्न समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न लिया जायगा।

अवमूल्यन का उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मैं इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने की अथारिटी अपनी तरफ से माननीय टम्बेश्वर प्रसाद को देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

लिख कर दे दें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

बहुत अच्छा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा का विषय जो कि मुख्य रूप से हमारे सामने है वह है, अवमूल्यन का उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव तथा उससे उत्पन्न दुष्परिणामों, यदि कोई हों, के उपाय"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इन १९ वर्षों के इतिहास में इससे अधिक असामयिक सरकार ने कोई अर्थ व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने वाला कदम नहीं उठाया जैसा कि राष्ट्र की एक ऐसी घड़ी में अवमूल्यन करके उठाया है जिससे इस देश के तमाम नीचे से ऊपर तक....

श्री उपाध्यक्ष—

अवमूल्यन की पालिसी पर यहां कोई बहस नहीं है, अवमूल्यन से उत्तर प्रदेश पर जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है उसी तक आप अपने को सीमित रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हमारा प्रदेश भी भारतवर्ष से बाहर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

देश से बाहर नहीं है, लेकिन इस प्रदेश पर अवमूल्यन का जो असर पड़ा है, वही आप बतलावें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं इस सदन के द्वारा केन्द्रीय सरकार को बतला देना चाहता हूं कि विदेशी प्रभाव में आकर जो यह सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था को नष्टभ्रष्ट कर दिया, उससे उत्तर प्रदेश को सब से अधिक व्यापक क्षति हुई है। अमेरिका के एक अर्थ शास्त्री ने लखनऊ में हुए अर्थशास्त्रियों के एक सेमिनार में भाषण करते हुए अवमूल्यन के संबंध में कहा था कि ऐसा ही प्रोबलम हमारे देश में भी है और इस समय उससे भी बहुत बड़ा प्रोबलम इंगलैन्ड के सामने पेश है। उस समय यहां के कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई तुम हमसे रुपये के आधार पर क्यों नहीं व्यापार करते हो तो अमेरिका के अर्थशास्त्री ने कहा कि तुम्हारा रुपया हमारे किस काम का? ये उनके शब्द हैं। उसने इन शब्दों का प्रयोग किया कि हमारे पास तुम्हारा रुपया यहां भी और हमारे देश में भी इफरात पड़ा हुआ है। फिर हम दूसरा रास्ता क्यों पकड़ें। असल बात यह है कि भारत की साख तमाम जगह थी और अमेरिका इसमें कमजोर पड़ रहा था, फिर उसने सोचा कि भारतवर्ष जैसे महान देश के रुपये का अवमूल्यन करके ही हमारी साख बढ़ सकती है। वह इस देश की साख को सहन नहीं कर सका। आप देखें कि समय समय पर यहां के अर्थ शास्त्रियों ने जो राय दी उनकी राय के खिलाफ और यहां के विद्वत् जनों की राय के खिलाफ इस देश में रुपये का अवमूल्यन किया गया। मैं समझता हूं कि समस्त देश पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक ऐसे प्रभावित हुआ कि हमारे यहां के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा, जो औद्योगीकरण की योजना थी उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा, बिजली उत्पादन की योजना पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और सबसे ज्यादा अवमूल्यन ने उत्तर प्रदेश को इसलिये प्रभावित किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी हम अपने यहां उद्योग को मजबूत नहीं कर पाये, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम अपने यहां उद्योग को मजबूत नहीं कर पाये, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी उद्योग को मजबूत नहीं कर पाये और के केन्द्रीय सरकार से जो चीजें मिली हैं, जो अन्यान्य कारखाने या प्रोजेक्ट थे उसमें भी उत्तर प्रदेश को कोई विशेष हिस्सा नहीं है। इसके आगे और जायं तो इस प्रदेश में ७० करोड़ रुपये का अमेरिकन गेहूं हमारे लिये ६६–६७ के बजट में रखा गया है जो इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने की हर प्रकार से चुनौती देता है, इस प्रदेश के व्यापार को नष्टभ्रष्ट करने की चुनौती देता है। इससे हमारे कृषि उत्पादन पर बाहर से दबाव पड़ता है—उसके बाजार को दबाता है, उसके साथ साथ हमारे कृषि उत्पादन की जो लगन हमारी सरकार को होनी चाहिये उसको नष्ट भ्रष्ट किये हुए है और वह ७० करोड़ रुपया यदि किसी प्रकार अपने राज्य की अर्थ व्यवस्था में से निकाल सकें तो कदाचित् ७० करोड़ रुपये से कृषि की जो योजनायें हैं उनको प्रभावी रुप से चलाया जाय तो ७० करोड़ से अधिक गल्ले का उत्पादन हो सकता है। बजाय इसके आज हम मोहताज हैं अमरीका के। यही नहीं आज उनके पास इस व्यवस्था के कारण और अधिक स्टर्लिंग पहुंच गया। पी० एल० ४८० के अन्तर्गत हम पर वह भी बन्धन लगाया कि आधे जहाज उनके माल ढोयेंगे और आधे जहाज हमारे ढोयेंगे और ५६ करोड़ रुपया प्रति वर्ष केवल उसका मूल्य दिया करेंगे और सबसे ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश बटायेगा क्योंकि हम सब से ज्यादा उनके गाहक हैं। आज तक इस प्रान्तीय सरकार ने इस बात से सदन को नहीं अवगत कराया कि हमारे बजट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री ने भाषण दिया और कहा कि हमारी योजनायें कम होने वाली हैं और केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि हम कुछ सहायता देंगे। लेकिन कोई स्पेसिफिक बात नहीं बतायी कि कितना बजट पर प्रभाव पड़ने वाला है, कितनी हमको

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी। करोड़ों रुपये की हमने जमानतें कर रखी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना रुपया हमको देना पड़ेगा। आज तक हमारे वित्त मंत्री का कोई वक्तव्य इस सदन में इस प्रकार का नहीं आया कि कितने रुपये से हमारी अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करता है। मैंने माना कि इस वर्ष की व्यवस्था को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने अपने कुछ बजट पेश किये हैं और वह हमको कुछ सहायता देगी ताकि हमारा यह बजट न प्रभावित हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन के लिये ऐसा केन्द्रीय सरकार कब तक करती रहेगी। यह स्थायी नहीं है। क्या हमेशा के लिये केन्द्रीय सरकार आज के अवमूल्यन की दरों से प्रान्तीय सरकार को सहायता दिया करेगी? और यदि दे भी तो कैसे देती है? उसका भार घुमा फिरा कर हमारी जनता पर ही तो पड़ेगा। जब हम ८ करोड़ लोग हैं और विभिन्न टैक्सों के द्वारा हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में आज इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत ही घातक स्थिति में पहुंच गयी है। एक पक्ष है इस अवमूल्यन का वह आपने देखा होगा। हमारी सरकार ने दरअसल अवमूल्यन के प्रभाव को बिल्कुल विभिन्न रूप से जनता उस पर बिचार न करे इसलिये दो और स्टन्ट चला दिये। दो पक्ष हैं। एक बढ़ती हुई कीमतों का और एक चोर बाजारी का। सबसे बड़ा अर्थ व्यवस्था का दुर्लक्ष्य जो है वह यह है कि हम बढ़ती कीमतों को केवल चोर बाजारी से सम्मिलित कर देते हैं। मैं मानता हूं कि टार्च के सेल्स और सीमेन्ट में चोर बाजारी हो रही है और सीमेन्ट की बोरी १०.८० पैसे की हो गई है और उसके बाद भी १८ रु० में मिलती है। तो १०.८० पैसे तक सीमेन्ट का मूल्य लाने का कौन जिम्मेदार है? इस ओर हम ध्यान नहीं देते कि क्या हमारी जनता की पाकेट में इतना पैसा है कि वह उससे अपनी जो योजनायें हैं, जो हमारे छोटे कृषकों की आवश्यकतायें हैं उन को पूरा कर सकें। तो मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बातें बिलकुल भिन्न भिन्न हैं। आप ने देखा कि अवमूल्यन का प्रभाव डालडा पर क्या पड़ा? डालडा को विदेशी कम्पनी बनाती है। आज उन के हित सुरक्षित हैं और इस हद तक सुरक्षित हैं कि उन को कितना रुपया देंगे, उनके कितने शेयर होंगे। यह सब विदेशों को चला जायगा जिन विदेशी कम्पनियों के हाथ में हमारे बहुत से सुरक्षित हैं कानपुर से ले कर गाजियाबाद और सीतापुर तक उन के हित सुरक्षित हैं। और जनता के हित असुरक्षित हैं, उन की ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है और इन प्राइसेज की बढ़ोत्तरी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को डुबाने वाली है।

मैं यह समझता था कि कल जो बजट पेश किया गया उसमें व्यापक तथा प्रभावकारी कदम उठाये गये होंगे जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है उसके सुधार के लिये, लेकिन उसमें केवल इस बात की घोषणा की गयी कि सरकार ने कर्मचारियों के लिये जो दूकानें खोलने की नीति अपनायी थी वह फेल हो गयी और माननीय बनारसीदास जी ने जो विधेयक पेश किया तो बतलाया कि हमारे उद्योग धंधे करीब करीब दम तोड़ रहे हैं? इसलिये उनको अधिकार दिये जायं कि जो बकाया रुपया है उसको सरकार माफ कर सकें। जो हैवी इंडस्ट्रीज प्लान कमेटी है जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये बनी थी उसने सिफारिश की थी कि सूती मिलों, शकर मिलों के लिये, जिनकी मशीनों से कच्चे माल का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है उनको ठीक रूप से संचालित करने के लिये तथा श्रमिकों को अच्छा वेतन देने के लिये कुछ सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है, क्या इस बजट के द्वारा जूट, जूते तथा शकर पर जो भार पड़ने वाली है आर्थिक रूप से, वहन किया जा सकता है, यह प्रदेश ऐसा है जहां पूंजी गठन भी नहीं होती जब कि दूसरे प्रदेशों में पूंजी गठन होती है। हमारी पूंजी तो वहां खिंच कर जाती है और केंद्रीय सरकार भी हमारे प्रदेश की ओर दुर्लक्ष्य करती है। इस बिगड़ी हुई अवस्था को संभालने के लिये क्या योजना यह सरकार अपनाने वाली है यही बात इस वक्त हमारे लिये परमावश्यक है।

दूसरे हमारी जनता व्यापक रूप से करों से दबी हुई है और अब किसी प्रकार उसको बढ़ाना संभव नहीं है। माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि ७२२ करोड़ रुपये की पूंजी

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

से हम दबे हुए हैं और इस प्रकार अवमूल्यन करके अर्थ व्यवस्था की पूर्ण रूपेण हत्या की गयी है। अब कृषि मंत्री तथा केंद्रीय सरकार ने भी इस बात पर बल देना शुरू किया है कि कृषि के उत्पादन में हमको आत्मनिर्भर होना चाहिये और आज समाचार पत्रों में हमने देखा कि पी० एल० ४८० भी समाप्त होने वाला है, लेकिन बजट में देखा कि गोबर गैस प्लांट की योजना कुछ लाख रुपये की केंद्रीय सरकार से आई है। मैं मंत्रि मंडल से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी योजनायें हैं। अवमूल्यन के प्रभाव से अपने को बचाने के लिये सिवा इसके कि कुछ विरोधी दलों के नेताओं को तथा कुछ व्यापारियों को पकड़ लिया गया, चूंकि उनकी दूकान पर प्राइस लिस्ट नहीं थी। यह इस समस्या का समाधान नहीं है, इसका निदान व्यापक रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत करके हो सकता है और ऐसा बजट आना चाहिये जो उद्योग तथा कृषि को बढ़ाये तथा चन्दे खाते वाला बजट न हो।

मुझे बड़ी निराशा हुई इसको देख कर जो कल प्रस्तुत हुआ और मैं बड़ा दुखी हूं कि आज हमारी सरकार हमारे अर्थ तंत्र की ओर से पूर्ण रूपेण दुर्लक्ष्य कर रही है और इसका निश्चय ही यह प्रभाव होने वाला है कि हमारी अर्थ नीति चरमरा जायगी। अवमूल्यन का यह प्रदेश घोर रूप से विरोधी करता है, केन्द्रीय सरकार की नीति का और उसक साथ साथ प्रदेशीय सरकार की ढुलमुल नीति का जिसने न तो कोई विचार व्यक्त किये और न विधान सभा क समक्ष ही कोई विचार रखे।

(वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मुझे तो आपने बोलने ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि जो साहब पहले मूव करेंगे उनको मौका मिलेगा उसके बाद वित्त मंत्री को मौका मिलेगा और उसके बाद सब लोगों को मौका मिलेगा और उसी में आपको मौका दूंगा। इसी तरह से बराबर चलता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

दो प्रस्तावकों को आप बोलने का मौका दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने तो अलग से दिया था।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

आप रूल देख लीजिये, आपके पास है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दिखा दीजिये। उसमें देख क्या लूं, वह तो साफ है। एक सवाल में अगर पांच आदमियों का नाम होता है तो पांचों को थोड़े ही मौका दिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो यही था कि माननीय सदस्यों को सुन लेता, उनके विचार आ जाते....

श्री उपाध्यक्ष—

अन्त में भी आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश—

यह तो आपकी कृपा है। इस सदन में माननीय सदस्य ने अवमूल्यन के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और चर्चा करते हुए उन्होंने अवमूल्यन का नीति का प्रश्न भी उठाया जिस पर उचित रूप में आपने संकेत किया कि यह विषय इस सदन का नहीं हो सकता, किन्तु उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी देश का एक हिस्सा है, उसका यहां प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश ही क्या, जितने प्रदेश हैं वे सब एक ही देश के हिस्से हैं और यह बात भी है कि वे सब एक ही देश के हिस्से हैं और यह बात भी बिल्कुल सही है कि जो नीति निर्धारण केंद्र पर होती है या जो और विषयों का निर्णय केंद्र पर होता है, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में उसका गहरा प्रभाव प्रदेश की अर्थ नीति के ऊपर पड़ता है। किन्तु जो कार्य उनके सीमा अधिकार में है और जो देश की अर्थ व्यवस्था उनको देखनी पड़ती है, योजनायें वे बनाते हैं, दूसरे देशों से क्या सहायता उपलब्ध हो सकती है, दूसरे देशों से किस तरीके से हमें चीजों की आवश्यकता रहती है जिससे कि अपने उद्योग क्षेत्र को बढ़ा सकें, ये सब चीजें उनके पास रहती हैं, उनको देख कर वे निर्णय लेते हैं। आज उस विषय में मैं सदन में कोई विशेष निवेदन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहां का वह विषय भी नहीं है। वैसे जानकारी माननीय सदस्यों को भी है क्योंकि केंद्र की ओर से प्रायः इस पर चर्चा होती रहती है और इस प्रदेश के जो प्रतिनिधि केंद्र में हैं उनको इस बात का अधिकार है कि वे केंद्र की नीतियों पर चर्चा करें और करते भी रहते हैं। इसलिये इसकी जानकारी कि किस तरीके से किन आवश्यकताओं की वजह से उनको अवमूल्यन करना पड़ा है उनको होगी।

एक बात यहां कही गई जो मुनासिब नहीं थी कि विदेशी दबाव के कारण इस कार्य को करने की आवश्यकता हुई जहां तक मेरी जानकारी है, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब अवमूल्यन हो रहा था तो हमारा परामर्श नहीं था, लेकिन अपनी जानकारी की वजह से अपने प्रदेश की आर्थिक नीति और आर्थिक व्यवस्था है और आगे का प्लान बनाना है और उसके लिये साधन जुटाने थे। यह भी एक बात थी कि स्वाभाविक रूप में रुपये का अवमूल्यन हो चुका था, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय साधनों की उपलब्धि करके और नियम बनाकर स्तर के ऊपर रख रहे हैं। उदाहरणार्थ जो चीजें विदेशों में भेजते थे क्या उनके लिये आवश्यकता नहीं पड़ी कि उनको कुछ सहायता दी जाय जिससे विदेशों के बाजार में हमारी चीजें भी बिकने लगें उचित मूल्य पर और उनसे कम्पटीशन कर सकें।

जैसा मैंने कहा कि मैं ब्योरे में सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह यहां का विषय नहीं है। इससे हम भी संबंधित हैं; जो नीति निर्धारण हुई जो कार्य हुआ है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक दो यह कि जो काम हमने अपने बजट में रखे जिनको आपने स्वीकार किया उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आज जो बहुत सी योजनायें, परियोजनायें हम बढ़ाते हैं, जो बहुत से उद्योग धंधे हम स्थापित करते हैं, जो फैक्टरी हम बनाते हैं और उनके लिये जो सामान मंगाते हैं, उसमें कुछ न कुछ विदेशी सामान का अंश होता है। यह तो भिन्न भिन्न योजनाओं पर आश्रित है कि किस का कितना हिस्सा होता है। लेकिन उनमें यदि विदेशी चीजों का हिस्सा है तो अवमूल्यन के कारण उनकी कीमत बढ़ेगी और अधिक रुपया देना पड़ेगा। अगर फिजीकल कल टारजेट वही रखते हैं तो हमारे बजट पर प्रभाव पड़ने वाला है।

जैसे ही अवमूल्यन हुआ केंद्रीय सरकार ने हम से मांगा कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। विभिन्न प्रदेशों ने विभिन्न आंकड़े दिये हैं और भी चिंतित रहे हैं जब से अवमूल्यन हुआ है उसी की चिन्ता में रहते हैं कि हमारे प्रदेश के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास रहा है कि जो हममे फिजीकल टारजेट्स बनाये थे उनको कम न करना पड़े। इसलिये कि पहले ही हमने वे काफी कम करके रखे थे। अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए अपने साधनों को देखते हुए जो हमने कम से कम

[श्री कैलाशप्रकाश]

रखे थे अगर उसमें भी कमी कर देते हैं तो निश्चय ही प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अतः हमारा प्रयास है परिणाम क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह हमारा प्रयास है कि हमारे फिजीकल टारजेट्स वही रहें और हम प्लान के काम को पूरा करें। स्वाभाविक बात है और माननीय सदस्य ने पूछा है कि फिजीकल टारजेट्स को रखते हुए क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो कीमतें बढ़ती और चढ़ती रहती हैं और केंद्र ने भी पूछा है कि हमारे बजट पर क्या असर पड़ेगा? हमने प्रत्येक योजना को देखकर कार्यक्रम को रखकर कि इनमें कितनी विदेशी मुद्रा का अनुपात है, इस बात का संकेत लेकर कि किस हद तक कीमत बढ़ जायेंगी, इन सबका हमने अन्दाजा लगाया है। और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करीब १० करोड़ रुपये का अधिक व्यय करना पड़ेगा अगर वहीं फिजकिल टार्गेट्स रखें। (व्यवधान)। १० करोड़ रुपये का इस साल में अधिक खर्चा करना पड़ेगा अगर प्लान उसी तरीके से रखें। श्रीमन्, जो हमारा साधारण खर्चा होता है उसमें भी कुछ न कुछ विदेशी चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में आती रहती हैं। उनमें भी खर्चा बढ़ने की सम्भावना है। हमारा अन्दाजा यह है कि २ करोड़ रुपया अधिक खर्चा हो सकता है। इसलिए १२ करोड़ रुपये का सीधा प्रभाव हमारे बजट के ऊपर इस रूप में पड़ता है।

दूसरा हिस्सा था जिसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता, न जिसका आज अनुमान ही लगाया जा सकता है वह कीमतों का बाजार में उतार-चढ़ाव है। क्योंकि दैनिक चीजों की आवश्यकता बढ़ती है अगर कीमतें बढ़ती हैं तो जिस अनुपात में कीमतें चढ़ती हैं उस अनुपात में खर्चे में वृद्धि होने की सम्भावना होती है। जब तक प्राइसेस की ठीक तरीके से गति प्रतीत न हो जाय उस समय तक उसका अनुमान लगाना कुछ इतना लाभप्रद भी नहीं हो सकेगा। इसलिए जब केन्द्रीय सरकार से हमने पूछा तो हमने वह आंकड़े जो अभी दिये हैं उनके सामने रख दिये। ठीक बात है कि जहां अवमूल्यन का एक ओर वित्तीय बजट पर प्रभाव पड़ने वाला है दूसरी ओर अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी चेष्टा है। अर्थ व्यवस्था ठीक हो सकती है, अधिक उत्पादन से। अधिक उत्पादन हो सकता अगर उत्पादन की इकाइयों को वह सामान मिले जिससे वे उत्पादन करती हैं। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, सदन में भी चर्चा हो चुकी है, इस सूबे में जो उद्योग की इकाइयां कायम की गयी हैं उनको कुछ विदेशी सामान की आवश्यकता उत्पादन करने के लिए पड़ती है जो उन को नहीं मिलता। किसी उद्योग को २० फीसदी किसी को २५ फीसदी विदेशी सामान की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन यद्यपि पूंजी लग गयी, श्रम मौजूद है तथापि चूंकि विदेशी सामान चाहिए उस की पूर्ति नहीं होती इस लिए उत्पादन नहीं हो सकता। यह भी अजीब बात है कि कोई चीज बनती है उसमें दो फीसदी भी विदेशी चीज की आवश्यकता हो और वह न मिलती हो तो ९८ फीसदी सामान चाहे जितनी तादाद में हो वह चीज नहीं बन सकती। इसलिए वह दो फी सदी वस्तु बहुत बड़ा महत्व रखती है उत्पादन की दृष्टि से। इस अवमूल्यन के कारण कुछ निर्यात और आयात की नीति को इस तरह से बदलने की चेष्टा कर रहे हैं और जिसके लिए केन्द्रीय सरकार कदम उठा रही है कि उत्पादन की चीजों के लिए साधन जुटा सके और जो हमारी पूंजी लगी हुई है उसका पूरा-पूरा उपयोग हो सके, उपभोक्ता के सामान का उत्पादन बढ़ सके जिससे मूल्य गिरें और हमारी आर्थिक स्थिति एक ऐसे स्तर पर आ जाय जिसे आफटेक एकानामी कहते हैं। हम भी इस बात की चेष्टा में हैं कि जो प्रभाव हमारे प्रदेश पर पड़े, वह प्रभाव एक तरह से यहां वित्तीय रूप में पड़ेगा दूसरी तरफ हम उसको उत्पादन बढ़ाकर चेष्टा करें कि हमारा उत्पादन बढ़ जाय जिससे हमारी क्षमता अधिक बढ़ जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री जी ने बिलकुल सही फरमाया कि गत १८ साल से, जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप था, जो हमारी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी, उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसार अवमूल्यन करना पड़ा। ७० फीसदी के लगभग हमको अवमूल्यन अपनी इस प्लान के तहत देश में करना पड़ा। उसका नतीजा कोई भी अर्थ शास्त्री यही निकालेगा कि उसका परिणाम ७० फी सदी अवमूल्यन करना ही है। २०, २५ फीसदी काफी हो सकता था, लेकिन ७०, ७५ फीसदी तक हमारा यह अवमूल्यन हुआ है। जिसका प्रभाव हमारी अर्थ व्यवस्था पर बहुत खराब पड़ने जा रहा है। इसके साथ साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो सेट अप रहा उससे यह और भी चौपट हो गया। अवमूल्यन का सबसे बड़ा यह दुष्परिणाम निकला कि हमारे यहां पिछड़े इलाकों में देहात में १०० रुपये के नोट को ६४, ६५ रुपये में भुनाना शुरू कर दिया था। सरकार ने किसी को बताया नहीं था। यहीं लखनऊ शहर में जिस रोज अवमूल्यन हुआ उसके दूसरे दिन मेडिकल और इन्जीनियरिंग की किताबों का दाम दूना हो गया था। जिस किताब का दाम १०० रुपया था उसका दाम दुकानदारों ने २०० रुपया लेना शुरू कर दिया था। रातों रात उन्होंने दाम बढ़ा दिया। दवाइयों के दाम भी लोगों ने बढ़ा दिये थे। जिस का दाम १० पैसा था उसका दाम उन्होंने ४० पैसा कर दिया था। कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया, कहीं से मंगाया नहीं लेकिन एक दिन के अन्दर उन्होंने इनको मंहगा कर दिया। बैठे-बैठे दाम बढ़ा दिये। उसका परिणाम यह हुआ कि १, २ महीने के अन्दर बाजार में चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गये। इस कदर लोगों ने एकदम से दाम बढ़ा दिये कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसा हौआ खड़ा कर दिया कि सारी जनता परेशान हो गयी। सब लोगों ने दाम बढ़ा दिये और सरकार इसको बैठे-बैठे देखती रही। हमारी आर्थिक स्थिति पर एकदम बोझ आ गया। जो कमी थी और जो उससे जो दुष्परिणाम होने वाले थे उनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो चीज आर्थिक स्थिति को दूषित करने वाली थी उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यदि उसका प्रबन्ध कर लिया जाता और इस ओर सरकार कड़ाई से कदम उठाती तो जो प्राइस बराबर चढ़ रही थी उसमें कुछ रोकथाम पैदा होती। रोजाना कीमतों का बढ़ना जारी था और सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अपने देश के अन्दर प्राइस किसी तरह से बढ़ने न पाये, सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। जब कीमतें बढ़ती हैं तो अवमूल्यन का जो सही परिणाम निकलना चाहिये वह नहीं निकलता है।

मैं आप से कहता हूं कि सबसे पहले अर्थ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह जरूरी है कि अवमूल्यन के बाद जो दुष्परिणाम निकलने वाले हों उनके ऊपर सरकार भली प्रकार से नियन्त्रण करे। अगर यह सरकार चाहती है कि देश की अर्थ व्यवस्था ठीक रूप से गठित हो तो उसके लिए यह जरूरी होगा कि आप अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में मौलिक परिवर्तन करें। आपका टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है जिसने पिछले १५ साल से इस देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव दिखाया है। पहले आप एक आदमी को कमिश्नर की तनख्वाह देते थे लेकिन आज १०, १२ ऐसे अफसर हैं जिनको आप कमिश्नर की तनख्वाह देते हैं। जितने कबाल टाउन्स हैं वहां पर भी आपने ऐडमिनिस्ट्रेटर रखे हैं। उनको आप कमिश्नर का वेतन दे रहे हैं। आपने डुप्लिकेशन आफ वर्क इतना कर दिया है जिससे यहां का वित्तीय भार बहुत बढ़ गया है। सन् १९५२ में सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन में ३ लाख कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज १९६६ में ६ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह इसी का नतीजा है कि आपने डुप्लिकेशन आफ वर्क को इतना बढ़ा दिया है कि जिसकी वजह से इतने आदमी काम कर रहे हैं। बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और न जाने कितने इस तरह के लोग काम करते हैं और न जाने कितने विभाग आपने क्रिएट कर दिये हैं। काम कुछ करने को है नहीं पर खर्चा इतना बढ़ा दिया गया है। एक आदमी के काम की जगह ३, ४ आदमी लगे हुये हैं। स्टाफ इतना बढ़ा दिया और उनके लिए काम पैदा नहीं किये। इसलिए सबसे पहले आपका यह काम है कि अवमूल्यन के प्रभाव को यदि दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के सेट-अप में आमूल परिवर्तन करना होगा। इस में आपने जो लाखों आदमी कलमघिस्सू काम पर लगा रखे हैं उनको हटाकर शारीरिक श्रम के काम में लगाना होगा। तब जाकर आप सफल हो सकेंगे।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

डिवैलुयेशन के बाद अपनी अर्थ व्यवस्था को सुधारने के दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो प्राइसेज फिक्स कर दी जायं और दूसरे आप का प्रोडक्शन बढ़े। यह जो टी० ए० और डी० ए० बढ़ाया जा रहा है, यह भी एक खतरनाक इंडिकेशन है। अगर आप अवमूल्यन के बाद बेतहासा पैसा बढ़ाते जायं तो चीजों का, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, पैसा आ जायगा और नतीजा यह होगा कि चीजों के दाम बढ़ जायंगे। आज इंग्लैंड के सामने भी इसी तरह का एक बड़ा सवाल है और उसके लिये उन्होंने पहले ही स्टेप ले लिये हैं कि वेज फ्रीज कर दिया और प्राइसेज फ्रीज कर दी जायं। जब तक आप ऐसा नहीं करते और अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये आप को पोलिटिकल सेटअप में भी तब्दीली करनी होगी और हमारे प्रदेश के लिये सब से बड़ा काम है कृषि का उत्पादन बढ़ाना। यह गेंदासिंह जी का विभाग है। सूखे की, सिंचाई की, तमाम अन्य समस्याएं पहले ही आप के सामने हैं और उसके बावजूद गेंदासिंह जी जर्मनी हो आये और वहां से लाये क्या? मुझे तो अखबार में पढ़ कर शर्म आयी "चूहा खाओ अभियान" चलाने की बात देख कर। हमारे कृषि प्रधान प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस प्रकार का बयान निकाला। क्या वह खाद्य समस्या का समाधान है? इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो कीमतें बढ़ाने वाले हैं बनिये और व्यापारी उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। सरकार की ओर से जो दलील आज सुबह दी गयी उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार अपने पहले के गलत रास्ते को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। डिफेंस आफ इंडिया रूल को बड़े-बड़े व्यापारियों पर से हटा कर अपना कानून उन पर लागू करके आप प्राइसेस के बढ़ने को रोक नहीं सकते और इससे प्रदेश की हालत बिगड़ती ही जायगी और उसका कोई इलाज नहीं निकल सकता है। इसलिये जब तक आप बढ़ती हुई कीमतों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते और उन व्यापारियों के खिलाफ कोई जोरदार कदम नहीं उठाते उस समय तक आप सफल नहीं हो सकते।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय वास्तव में ऐसा है जो वास्तविक है और उसमें संदेह नहीं कि अगर इसको ठीक से डील न किया गया तो जो इसका दुष्परिणाम होगा वह हम लोगों को बरदाश्त करना पड़ेगा। माननीय काशीनाथ जी के भाषण को सुन कर मुझे आज संतोष हुआ। वह आज व्यावहारिक रूप में बोले। अवमूल्यन के बाद आवश्यक वस्तुओं का दाम तो बढ़ जायगा और इसके परिणामस्वरूप साधारण व्यक्ति परेशानी में पड़ जायगा।

जो उपाय उन्होंने बताये वे एकेडेमिक हैं। उन्होंने बताया कि एक तो मूल्य न बढ़ने दिये जायं और इसके लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है, परन्तु श्रीमन्, मेरा विचार है कि इसके लिये सरकार ने जो अब कदम उठाये हैं वे अभी तक नहीं उठाये गये थे। मूल्य न बढ़ने देने का दूसरा जो तरीका है वह भी काशीनाथ जी ने ठीक बतलाया था कि जहां मूल्यों को फ्रीज किया जाय वहां वेजेज, भत्ते इत्यादि भी फ्रीज करने होंगे। अब तक काशीनाथ जी की कोशिश यही रही है कि वेतन भत्ते बढ़ाओ, लेकिन मूल्यों को एक स्तर पर रखने के लिए वेतन और भत्तों का फ्रीज किया जाना आवश्यक है। अवमूल्यन का सिद्धान्त क्या है? यह बिलकुल निर्भर है डिमांड और सप्लाई पर। हमें अवमूल्यन क्यों करना पड़ा? इसलिए कि पौंड की डिमान्ड ज्यादा थी और हमारे रुपये की डिमांड कम थी। क्यों ज्यादा हुई पौंड की डिमांड? क्योंकि बाहर से सामान जो मंगाते थे उसकी खपत यहां ज्यादा थी। और उन्हें रुपये की डिमांड कब होगी? जब हमारे यहां का बना हुआ माल वह खरीदेंगे, तभी उन्हें रुपये की मांग होगी और जब उन्हें रुपये की मांग होगी तो स्वाभाविकरूप से हम पौंड को ज्यादा सप्लाई कर सकेंगे। यह अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है। इसलिये उसका तरीका यह है कि उत्पादन उन चीजों का बढ़ायें जो बाहर जाती हैं जिनसे वह पौंड मिल सकता है और खपत उन

चीजों की कम करें जो हमें पौंड में मिलती है। यानी डिमांड रुपये की बढ़ जाय और पौंड की कम हो, तो डिमांड और सप्लाई का जो सिद्धान्त है उससे हम बैलेंस कर सकेंगे और उससे हमें और ज्यादा अवमूल्यन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम उन चीजों का उत्पादन करें जिनकी डिमांड पौंड वाले देशों में बढ़ जाय और उन आवश्यकताओं को कम करें जिनके लिए हमें पौंड देना पड़ता है। जो सामान इंग्लैंड से आता है, अमेरिका से आता है, जिसके लिए पौंड्स और डालर्स की जरूरत है अगर उसकी खपत भारत में कम हो जायगी तो स्वाभाविक रूप से रुपये की डिमांड बढ़ जायगी और हमारी आवश्यकता पूरी हो जायगी। इसमें बहुत लम्बा बोलने की आश्यकता नहीं है। अगर अवमूल्यन करना है तो प्राइसेज के फ्रीज के साथ बेजेज अलाउंस, भत्ते फ्रीज होने चाहिए, बढ़ने न देने चाहिए, उस चीज का उत्पादन बढ़े जिसकी डिमांड डालर और पौंड वाले देशों में ज्यादा है और उस चीज को हम कम इस्तेमाल करें जिसको उन देशों से लेना पड़ता है जिनमें पौंड और डालर प्रचलित हैं।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन् यह रुपये के अवमूल्यन का विषय जब आज कार्यसूची में देखा तो मैं इस चिन्ता में अवश्य पड़ गया कि आखिर उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस विषय पर क्या कहा जा सकता है। क्योंकि जैसा कि वित्त मंत्री ने बतलाया, यह विषय मुख्यरूप से भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन वित्त मंत्री जी ने मुझे बोलने का अवसर दे दिया। उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो यह कहा कि हमने यह कदम किसी भी प्रकार से बाहरी दबाव, किसी विदेशी दबाव के अन्दर आकर नहीं किया है। श्रीमन् सही है कि किसी देश ने नहीं कहा कि अगर अवमूल्यन नहीं करेंगे तो हम आक्रमण कर देंगे, इस हद तक तो बात सही है कि विदेशी दबाव नहीं था। लेकिन यह बात सही है कि अमेरिका और वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार से कहा कि यदि अवमूल्यन नहीं करती तो उसको आगे आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमन् अवमूल्यन के संबंध में एक पुस्तिका भारत सरकार की वित्त मिनिस्ट्री द्वारा बटी थी जिसमें अवमूल्यन के ऊपर प्रश्न तथा उनके उत्तर थे। उसमें लिखा था कि :

"This action could not be postponed as all further aid negotiations hinged on it."

इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारत सरकार इसको और अधिक समय तक स्थगित नहीं कर सकती थी क्योंकि विदेशों से सहायता प्राप्त करनी थी और वह तभी हो सकती थी जबकि भारत सरकार रुपये का अवमूल्यन करे।

श्रीमन्, ऐसी सूरत में भारत सरकार के सामने दो ही रास्ते थे। एक तो यह कि वह रुपये का अवमूल्यन करे, या दूसरा रास्ता यह था कि अपने आत्म सम्मान को रखते हुए वह कहती कि हमें इन शर्तों पर विदेशी सहायता नहीं चाहिये।

माननीय वित्तमंत्री जी ने कहा कि अवमूल्यन तो बहुत पहले ही हो चुका था, उसको तो केवल मान्यता ही प्रदान करनी थी और वह कर दी गयी। उन्होंने ऐसे लहजे से कहा कि मानो यह कोई दैवी प्रकोप था, कहीं कोई ऐसी विपत्ति आ गयी थी जिसको रोका नहीं जा सकता था। वास्तव में देश के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि सरकार की अर्थ-नीति ऐसी चल रही है कि जिसके कारण अवमूल्यन निश्चित है। अपने साधनों के बाहर खर्च करने की नीति के कारण ही यह अवमूल्यन करना पड़ा है। माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि इसके कारण इस वर्ष करीब १० करोड़ रुपये और चाहिये तथा २ करोड़ एक, कुल १२ करोड़ चाहिये। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि हम उसके कारण अपनी कुछ योजनाओं को कम करें, हम सरकारी खर्च में कमी करेंगे। यह अब भी इसी आशा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

में हैं कि भारत सरकार इसको १२ करोड़ की रकम दे देगी। भारत सरकार भी उन गलतियों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है जिनके कारण उसको अवमूल्यन करना पड़ा है। वह अपनी गलतियों को दोहराती चली जा रही है। उदाहरण के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये वह ४ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने का प्रयास कर रही है। इस कर्ज को प्राप्त करने के लिये ही भारत सरकार इस अपमानजनक शर्त को मानने के लिये तैयार हुई। मैं पूछता हूं कि जब अभी तक जो कर्जा लिया उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला तो क्यों आप ४ हजार करोड़ का और कर्ज ले रहे हैं?

मान्यवर, मंत्री जी ने अवमूल्यन का क्या प्रभाव सरकार पर पड़ेगा उसको बतलाया, पर क्या प्रभाव उसका विद्यार्थियों पर पड़ेगा, क्या आम जनता पर पड़ेगा, क्या किसानों पर पड़ेगा, उस पर कोई अपना मत व्यक्त नहीं किया। किसान को बहुत से फर्टीलाइजर तथा रासायनिक पदार्थ ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो बाहर से आते हैं। उनकी उसको बढ़ी हुई कीमत देना होगी। इसको वे कैसे पूरा करेंगे, इस पर मन्त्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला।

सबसे पहली आवश्यकता इसके लिये यह थी कि सरकारी खर्चे में कमी की जाती। अभी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में जब चर्चा चल रही थी तो माननीया मुख्य मन्त्री ने स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में २५–३० फीसदी तक कर्मचारी ऐसे हैं जो सरप्लस हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर सरप्लस स्टाफ क्यों एम्प्ला किया गया और आज जब देश पर इतना संकट आया हुआ है उस समय भी कोई स्पष्ट घोषणा अभी तक नहीं हो रही है कि अब सरकारी कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी या नये प्रोजेक्ट्स नहीं लिये जायेंगे। अभी सारी नीतियां और सारे कार्यक्रम जिस प्रकार से अन्धाधुन्ध चल रहे हैं बिना इस बात का खयाल किये हुए कि हमारे पास साधन हैं या नहीं, उसी प्रकार से चालू रक्खें जायेंगे। यह आशा करना कि अवमूल्यन से विदेशों में माल बेच कर हम इतना कमा सकेंगे कि जो हमारा गैप था उस को हम पूरा कर सकेंगे। यह भी मैं समझता हूं कि नहीं होने वाला है, और यदि हो भी जाय तो जो वस्तु यहां पैदा होती है उसकी विदेशों में मांग हो जाय और ज्यादा मात्रा में बाहर चली जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि देश के अन्दर उसका मूल्य बढ़ेगा। वास्तव में अवमूल्यन का सामना करने के लिए उत्पादन बढ़ाना ही एकमात्र साधन है और इसका कोई उपाय नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिये मन्त्रीमहोदय ने कोई ऐसा कदम जो उठाने का इरादा करते हैं उस पर प्रकाश नहीं डाला।

उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है? उत्पादन न बढ़ने के कई कारण हैं। सब से बड़ा कारण यह है कि जनता पर इतना ज्यादा टैक्स लगा हुआ है जो राष्ट्र की बचत हो सकती है वह सब सरकारी खजाने में उसका अधिकांश जा रहा है और उसका दुरुपयोग होता है वहां पहुंचकर। किसी भी देश और भारत जैसे गरीब देश में पूंजी के साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों का यदि दुरुपयोग हो तो उसका परिणाम देश के दिवालियापन के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि देश में उत्पादन बढ़े जो इस पुरानी नीति को अधिक से अधिक टैक्सों को वसूल करके और जनता के पास बचत पूंजी कोई न बचाने पाये इस नीति को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी विघ्न बाधायें हैं ये जो "लाइसेन्स, कोटा और परमिटवाद" आपने स्थापित कर रक्खा है ये भी उत्पादन के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जो उत्पादन के रास्ते में बाधायें हैं उनको भी दूर करना आवश्यक है। मंत्री जी ने उधर भी कोई प्रकाश नहीं डाला है। श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी यह बतलाएं कि आखिर जो किसानों की चीजें मिलनें वाली थीं उनके मूल्यों को कैसे नियन्त्रित रखेंगे? विदेशों से जो खादें वगैरह आती थीं उनकी कीमतें, उनके मूल्य बढ़ने न पायें उसका क्या उपाय करेंगे? सम्भव है वे कहें कि सबसीडाईज करेंगे, लेकिन आखिर वह सबसीडी भी कहां से आयेगी? सबसीडी देने के लिये जनता पर टैक्स

लगायेंगे ।

आजकल बहुत आशा दिलाई गई है कि सहकारी दुकान खुलेंगी उससे राहत पहुंचायेंगे। हो सकता है वे चार छ महीने दूकानें कुछ सस्ता माल बेच सकें । लेकिन किस कीमत पर आज उपभोक्ताओं की रहात पहुंचायेंगे ? आज यह सहकारी दूकानें खुल रही हैं और कल इन दूकानों को राहत पहुंचाने के लिये इसी सदन में बैठ कर हमसे ग्रान्ट्स मांगी जायेंगी और उन्हीं ग्रान्ट्स को देने के लिये जनता पर टैक्स लगाया जायेगा। चाहे वह टैक्सों के रूप में हो या दूकानों को सबसीडाइज़ करने के रूप में जनता टैक्स दे और बढ़े हुए मूल्यों पर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ता है जब उत्पादन बढ़े इस देश में । और उत्पादन बढ़ने की दिशा में जितनी बाधायें हैं उनको दूर कर के उस दिशा में आप क्या करने वाले हैं इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

*श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अवमूल्यन के प्रश्न को हमें अपनी आर्थिक नीति का एक पहलू समझ कर, उसका एक लक्ष्य समझकर ही इस पर विचार करना चाहिये । इसमें कोई राजनैतिक बात नहीं आनी चाहिये। अवमूल्यन एक विशेष परिस्थिति में किया जाता है। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है जिसके कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। इस अवमूल्यन को समझने के लिये हमें दो पहलुओं पर विचार करना होगा। एक तो हमारी फारेन स्थिति क्या है, हमारी फारेन इन्डैटेडलेस क्या है। दूसरे अवमूल्यन के समय कीमतों को रोकने के लिये हमने फालो-अप मेजर्स लिये या नहीं। जब तक हम अपने पिछले आर्थिक इतिहास को नहीं देखेंगे तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे ऊपर २,९१९ करोड़ रुपये का फारेन डैट था और उसमें फारेन लोन का पेमेंट करेंसी के रूप में ४००० मिलियन डालर का था। लोन्स जो दूसरी कमोडिटीज को खरीदने के बाद हमारे ऊपर रह गये थे वे २६१ करोड़ के थे। पी० एल० ४८० में हमने जो बाहर से गेहूं और चावल इत्यादि मंगाया उसके लिये ७७० करोड़ रुपया हमको बाहर पेमेंट करना था। इन तमाम चीजों का पेमेंट करने के लिये यह सब करना जरूरी था। आज तो हमारी हालत यह हो गई है कि अगर अवमूल्यन के पहले हमारे पास ५०० करोड़ रुपये का सोना होता तो हम किसी तरह से अवमूल्यन न करते। हमारे देश की आर्थिक स्थिति १८ साल में क्या हो गई है और उसके बाद हमको क्या करना होगा, ये सारी बातें सोचने की हैं। अवमूल्यन के पीछे एक सबसे बड़ी बात यह भी थी कि हमारे बहुत से ऐसे स्मगलर्स लोग जो बाहर देशों में बैठे हुए थे और निर्यात का काम करते थे जिनको सरकार ने कुछ सबसीडाइज्ड रेट में चीजों के भेजने के लिये एक्सपोर्ट लाइसेंस दे रखे थे, सरकार उनको ५० से ६० परसेंट तक बाहर की चीजों के लिये सबसीडी देती थी। बीच में जो ब्लैक मार्केटीयर्स थे, जिनके कारण चीजों के दाम मंहगे होते थे उसको रोकने के लिये भी अवमूल्यन करना पड़ा। यह कहना कि किसी राजनीतिक दबाव से ऐसा किया गया, मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह प्योरली एक आर्थिक पहलू है।

इस अवमूल्यन के समय हमारी क्या स्थिति हो गई है? १९४९ से लेकर १९६६ तक डालर की कीमत ४.७६ रुपये थी। पाउंड स्टर्लिंग १३.३० रुपये का होता था। ६ जून सन् १९६६ को अवमूल्यन के बाद ७.५० रुपये डालर में और २१ रुपये पाउंड में देना पड़ रहा है। आज हम यह कह सकते हैं कि अवमूल्यन के बगैर हमारा कोई प्लान नहीं चल सकता था। आज जो हमारी वैदेशिक और आर्थिक स्थिति पैदा हो गई गई है उसमें हमें अपनी प्लान्स की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये और छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिये ताकि उनको सहायता मिल सकें यह जरूरी हो गया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

कि अवमूल्यन किया जाय। इसी को सोच-समझ कर भारत सरकार ने अवमूल्यन किया है। इस का प्रभाव जो देश की बनी हुई चीजें हैं या हमारा खाद्यान्न है उस पर नहीं पड़ना चाहिये। लेकिन व्यापारियों ने यहां भावों को बढ़ाया और भारत सरकार ने और प्रादेशिक सरकार ने समय से उन पर कोई चेक नहीं लगाया। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ फालो-अप मेजर्स कड़ाई के अख्तयार किये जाते और देश के लोगों को सस्ते दामों पर हम उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने में समर्थ होते तो आज यह परेशानी न होती। लेकिन सरकार की यह कमी है, यह उसकी कमजोरी रही कि उन्होंने समय से इन कड़े फालो-अप मेजर्स को अडाप्ट नहीं किया। अवमल्यन की स्थिति को देखते हुये आज हमारे देश की ही बनी हुई चीजें यहां के उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर दिलाई जाय तो वह एक अच्छा कदम होगा। अगर पंजाब की तरह से यहां भी ब्लैक करने वाले व्यापारियों को खुले बाजार हथकड़ी डालकर जनता के सामने पेश किया जाय तो यह चीज़ कम हो सकती है, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अब वह समय आ गया है कि यह राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध हो सकता है और अनेक प्रकार की विवेचना हो सकती है। मैं अन्त में आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मसले को राजनीतिक इश्यू न बनाया जाय।

(इस समय ४ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विषय सदन में चर्चा के लिये प्रस्तुत है और जैसे कि कई माननीय सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया, यह सही है कि यह विषय केन्द्र का विषय है, लेकिन केन्द्रीय विषय होने के बावजूद आज प्रदेश का हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। इसलिये इसकी विधान सभा में चर्चा हो जाय यह अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ कर बात करें।

श्री रक्षपालसिंह—

आज अवमूल्यन का भार हर व्यक्ति पर पड़ा है। मैं अभी एक आर्टिकिल पढ़ रहा था। उसमें था कि ३,२९९.४४ करोड़ का कर्ज इस समय हमारे देश पर है और जो सूद हम दे रहे हैं वह भी उस का ५ करोड़ रुपये के करीब होगा जो हमें देना पड़ेगा। यदि इस कर्ज का नया मूल्यांकन किया जाय तो यह और अधिक हो जायगा। जो १२० करोड़ हमें सूद का देना पड़ता है वह बढ़कर १६१.१८ करोड़ हो जायगा। अगर कर्ज का पूरा दाम लगाया जाय तो ८० करोड़ रुपया और अधिक सालाना सूद देना होगा और इस तरह से हमें २४१.१८ करोड़ रुपया इस अवमूल्यन से कर्ज के रूप में ज्यादा देना होगा। इसके अतिरिक्त ८०० करोड़ रुपये का और कर्ज हम योजनाओं के लिये लेने जा रहे हैं, उसमें ७० करोड़ रुपया हमे अतिरिक्त देना होगा। इस तरह से ३११ करोड़ रुपया सूद के रूप में ड्योढ़ा दुगुना देना होगा और उसका प्रभाव हमारे इस बड़े सूबे, उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ने वाला है। अवमूल्यन के कारण जो स्थिति है उससे हम सब प्रभावित हैं।

यह किस तरह से हुआ, इस विषय पर यहां चर्चा हुयी। इसमें विरोधी दलों के माननीय सदस्यों और कांग्रेस पक्ष के सदस्यों में भिन्नता रही। इसके बारे में मंत्रिमंडल के सदस्यों में भी एक मत नहीं था। कामराज कितने प्रसन्न हुए और कितने नाराज हुए, यह एक आवश्यक बात है। समय समय पर जब ऐसे कदम उठाये जाते हैं तो सबसे पहले हमारा कदम यह होना चाहिये कि हम देश और प्रदेशों में ऐसा वातावरण बनायें। देश के अन्दर विश्वास हो, उत्पादन बढ़े। एक प्रकार की भूमिका बननी चाहिये। यह कुछ नहीं हुआ। अवमूल्यन के बाद जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दलों के सदस्यों को मीटिंग में बुलाया गया तो वे नहीं गये। इसके लाने के लिये न तो जनता का विश्वास लिया गया न मंत्रिमंडल के सदस्यों का और न ही विरोधी दलों के नेताओं का विश्वास लिया गया। फिर भी एक कदम ले लिया गया है। जैसा कि हमारे बड़े बड़े ज्ञानों और अर्थशास्त्रियों का कहना है जब तक देश का उत्पादन नहीं बढ़ता है, खर्चे में कटौती नहीं होती है, स्वदेशी चीजों का प्रचार नहीं होता है तब तक हम इससे निपट नहीं सकते हैं और इसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमारी जो फिजूलखर्ची की मदें हैं, उनको समाप्त करना चाहिये। अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय जनसंघ के महामंत्री ने यह कहा था कि हर प्रदेश में अधिक से अधिक मंत्रिमंडल के ६ सदस्य होना चाहिये। उन्होंने एक सुझाव यह भी दिया था कि प्रदेशों में राज्यपाल के पदों को समाप्त किया जाना चाहिये। उनका यह भी कहना था कि जितनी हमारी विकास खंडों के नाम पर विकास योजनायें चल रही है, और जो हमारी ऐसी संस्थायें है जैसे भारत सेवक समाज, या और जो समाज कल्याण की योजनायें चल रही हैं, उन्हें तत्काल समाप्त कर देना चाहिये। इसके बाद जो हमारी ऐसी योजनायें हैं जो उन्नति करने में सफल नहीं हो रही है, उन्हें कांट-छांटकर कम करना चाहिए और केवल उन योजनाओं को ही रखना चाहिये जिनसे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। बड़े-बड़े लोगों को पदों पर बनाये रखने की योजना को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये। जब हम सब सामूहिक रूप से इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे कि हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे तभी काम चलसकता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम विदेशी कार्य का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि हम विदेशी बने सामान को बिना लिये ही काम कर सकते हैं तो करेंगे।

आज जो यह मूल्यवृद्धि वाली बात है इसके बारे में कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों की तरफ से दो बातें कही गयी हैं। एक यह कि इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर २ या ४ प्रतिशत पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेढ़ गुना पड़ता है तो सरकार को इसे चैक करना चाहिये। दूसरे महानुभाव ने यह कहा है कि मूल्य वृद्धि विकास का लक्षण है। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि जितना हम विकास की ओर अग्रसर होंगे, उतना ही चीजों के मूल्य में वृद्धि होगी। एक माननीय मंत्री तो मूल्य वृद्धि की बात करते हैं क्योंकि वे बनियों पर होल्ड रखते हैं। दूसरे कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यह चाहता हूं कि इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति घोषित होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता जी, रुपये के अवमूल्यन के संबंध में इस सदन में और देश मे भी मतभेद हो, हमारे कांग्रेस दल और कांग्रेस दल के नेतृत्व में मतभेद हो, यह एक स्वाभाविक चीज है क्योंकि अवमूल्यन यदि किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव के कारण हुआ तो हमें इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमे आर्थिक परिस्थिति के दबाव के कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। हमारे देश में आजादी के पश्चात् तीन पंचवर्षीय योजनायें चलीं और करोड़ों रुपये पंचवर्षीय योजनाओं में, बड़ी-बड़ी योजनाओं में और देश की सुरक्षा में इनवेस्ट करने पड़े। स्वाभाविक चीज थी कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में और डिफेंस आदि में जो करोड़ों रुपये खर्च हुए उनका प्रोडक्टिव फायदा हम नहीं उठा सके और उस प्रोडक्टिव फायदे को न उठाने की वजह स्वाभाविक चीज है कि रुपये के मूल्य का ह्रास था। अर्थ व्यवस्था की कठिनाई केवल हिन्दुस्तान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

ही नहीं है। यदि आज आदरणीय सदन के सदस्य इंगलैंड को देखने का प्रयास करें तो वहां भी पौंड और डालर के रिश्ते को लेकर बड़ी हलचल सी मची हुई है। इंगलैंड की सरकार के सामने भी हिन्दुस्तान की तरह ही आर्थिक परिस्थिति आ गयी है। विल्सन सरकार ने अपने पौंड के रिश्ते को ठीक करने के लिये कुछ स्टैप्स की घोषणा की है। जैसे उन्होंने ६ महीने के लिये सब प्रकार के वेजेज को फ्रीज कर दिया है, उसके अलावा और भी अनेक मेजर्स एडाप्ट किये हैं। जैसे कि हमारे माननीय काशीनाथ जी ने बोलते हुए बतलाया कि यह सही बात है विरोधी दल के किसी और सदस्य ने योजनाओं के संबन्ध में कोई बात नहीं उठायी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को इस तरह का प्रयास करना चाहिये कि वेसेज और डी०ए० आदि में कोई वृद्धि न दें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी चाहिये। यानी सरकार से जो लोगों को रोजगार मिलता है या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में वेजेज आदि मिलता है उसके खर्च में कटौती करनी चाहिये। इस तरह से करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। सही चीज यह है कि अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिये ही हिन्दुस्तान को रुपये के अवमूल्यन का कदम उठाना पड़ा। इसके लिये महंगाई सबसे खराब चीज है। हिन्दुस्तान में यह एक मीनिया सा हो गया कि जब शादी ब्याह का सीजन होता है तो व्यापारी हर चीज का दाम बढ़ा देते हैं जिसका बाहर के देशों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। हमने देखा कि शादी ब्याह के दिनों में एकाएक १५–२० प्रतिशत डालडा का दाम बढ़ गया, कपड़े का दाम बढ़ गया, स्वर्ण अलंकारों का दाम बढ़ गया। इसका रुपया के अवमूल्यन से कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी जिन चीजों के दाम पर पौंड और डालर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन चीजों के दाम बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो सामान हमारे देश में पैदा होते हैं, जैसे कपड़ा हमारे देश में बनता है, डालडा हमारे देश में पैदा होता है, चीनी हमारे देश में पैदा होती है, और भी कंज्यूमर्स गुड्स हैं जो हमारे देश में पैदा होते हैं, उनके ऊपर अवमूल्यन का कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिये। हमारे हिन्दुस्तान का तो पौंड और डालर से ही रिश्ता है और उन्हीं देशों से जो चीज यहां आती है उसी पर इसका प्रभाव पड़ना चाहिये। यदि सरकार अपने यहां आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखना चाहती है तो उसके लिये आवश्यक है कि वह प्राइस पर भी नियन्त्रण रखे और जो भी व्यापारी इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं एक मिनट में इस उत्तर प्रदेश सरकार को और विशेषकर नैनीताल के जिलाधीश को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही तत्परता और आस्था से पिछले एक दो हफ्ते में ऐसे कदम उठाये जिनसे व्यापारी वर्ग सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्राइस लिस्ट बनाकर नैनीताल के हलके हलके में टांग रहा है, और जो प्राइसेज १५–२० परसेंट बढ़ गयी थी वह ऐसा लगाता है कि शीघ्र ही डाउन हो जायेगी। आज उत्तर प्रदेश सरकार को जरूरी है कि अगर अवमूल्यन का यह लाजिकल प्रभाव नहीं है और यह प्राफिटियरिंग की वजह से मंहगाई है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिलाधीशों के पास आदेश भेजे और उनके पास अधिकार रहे कि वह अपने जिले के व्यवसाइयों को कह दें कि अवमूल्यन इत्यादि बेकार की बातें हैं, उनको प्राइस लाइन पर नियंत्रण करना है। कंज्यूमर्स गुड्स की लिस्ट बनायी जानी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फालों करना चाहिए, नहीं तो मजबूती से सरकार को कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर दे तो अवमूल्यन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री मीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के लिए बहुत ही गम्भीर है। रुपये का अवमूल्यन किया गया। यह कोई हमारे देश के लिए बहुत ही प्रभावी कदम

नहीं है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था एक क्राइसिस से गुजर रही है और निसंदेह क्राइसिस में फंस कर के ही यह अवमूल्यन करना पड़ा। हमारे देश की सरकार की निर्भरता विदेशों पर होना, चाहे कच्चे माल की सूरत में, मशीनों की सूरत में, गल्ले की सूरत में या रुपये पैसे की सूरत में हो। विदेशों पर निर्भरता ने हमारे देश को मजबूर किया और इस हद तक किया कि आज रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। हमारे देश की सरकार ने अमरीका के दबाव में आकर देश के साथ विश्वासघात करके यह कदम उठाया था जाहिर है कि एक देशव्यापी नीति के कारण यह कदम उठाया गया, इसके प्रभाव भी देशव्यापी हैं और इन प्रभावों को दूर करने के उपाय भी देश-व्यापी है, वह भी देशव्यापी पैमाने पर करना पड़ेगा और उसका असर हमारे प्रदेश पर भी पड़ेगा। अवमूल्यन से कीमतें बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से बढ़ेंगी, क्योंकि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं जब उनकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी तो लामुहाला उनसे उत्पादित चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, मार्केट में कम्पैरेटिवली दूसरी चीजों की भी कीमतें बढ़ जायंगी जो हमारे देश के अन्दर भी पैदा होती हैं यह उसका दुष्परिणाम होगा। अवमूल्यन से हमारा विदेशों का कर्जा बढ़ गया। यह बहुत ही भयानक इसका परिणाम हुआ है।

इन चीजों को कैसे रोका जाय, हमारी अर्थ व्यवस्था कैसे दृढ़ हो, इसके उपाय दो-तीन ही हैं। पहला तो यह कि अपने देश के उत्पादन को बढ़ाया जाय। उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। खाली स्लोगन से, नारे-बाजी से या योजना निर्धारित कर देने से कुछ नहीं होगा। गल्ले के उत्पादन में कौन सी योजना उपयोगी हो, उस पर देश को जोर देना पड़ेगा। लेकिन आज विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें किसानों को इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि गल्ले की पैदावार वह आगे बढ़ायें। हमें अच्छे भूमि सुधार करने पड़ेंगे जिससे हम उनको उत्पादन बढ़ाने की ओर उत्साहित कर सकें, उनमें मजबूती आवे। उनको मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी, कृषि यंत्रों की खरीदारी में सहूलियत देनी पड़ेगी।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, हमारा विश्वास है कि उत्पादन के मामले में औद्योगिक क्षेत्र में हमारा देश तब तक आत्म-निर्भर नहीं हो सकता जब तक पब्लिक सेक्टर की तरफ ठोस कदम नहीं बढ़ेगा। जबतक राजकीय क्षेत्र नहीं बढ़ाया जायगा, सरकारी कोर्पोरेशन से देश का उत्पादन बढ़ाया नहीं जायगा तब तक आत्मनिर्भरता मुश्किल है। हमारे देश ने समाजवादी देशों की मदद से पब्लिक सेक्टर में बहुत से उद्योग खोले और हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी है। लेकिन हमारे देश की जो अर्थ व्यवस्था है, सरकार की नीति जो पंजीवादी विकास की ओर है, पूंजीपतियों से सरकार की सांठगांठ है जिसका नतीजा यह है कि बढ़ी हुई आय का हिस्सा पूंजीपतियों के हाथ में जाता है जनता के पास नहीं पहुंचता है। आप बैंक्स में देख लीजिये क्या हाल है सब पैसा पूंजीपतियों के खाते में ही जमा हो रहा है। हमारे देश में उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक पब्लिक सेक्टर को मजबूत नहीं किया जा सकता, जब तक सहकारिता को मजबूत नहीं करते तब तक हमारे देश की वितरण और उत्पादन व्यवस्था मजबूत नहीं की जा सकती। आज अगर सरकार कहे कि कीमतों को रोकने के लिये २० परसेंट वितरण कोआपरेटिव भंडारों से करेंगे तो यह एक हवाई बात होगी। जब तक सरकार का मजबूत नियंत्रण उत्पादन और वितरण पर नहीं होता तब तक इस चीज को चेक नहीं कर सकते। आज आपने कुछ गिरफ्तारियां कर लीं इस से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही साथ ठोस कदम उठाने होंगे। मैं सहमत हूं, अधिष्ठाता महोदय, आपसे जब आपने कहा कि प्राइस फ्रीज होनी चाहिये। लेकिन माननीय मोरार जी देसाई ने क्या सुझाव दिया है? उन्होंने प्राइस का नाम नहीं लिया बल्कि कहा है कि वेज फ्रीज होनी चाहिये, काम के घंटे बढ़ाने चाहिये। मेरी राय में यह हल नहीं है। जब तक कीमतों को फ्रीज नहीं किया जायगा तब तक कुछ काम नहीं होगा। वरना मजदूरों को और सरकारी कर्मचारियों को बेचैनी होगी। हमको अपने देश में इम्पोर्ट को घटाना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा।

[श्री भीखालाल]

लेकिन आज हालत यह है कि एक्सपोर्ट घटता जा रहा है और इम्पोर्ट बढ़ रहा है। अगर आप फीगर्स देखें पिछले सालों को तो पायेंगे कि इस समय हमारे देश में इम्पोर्ट १,३८२ करोड़ का है और एक्सपोर्ट है ८०७ करोड़ पये का। जब से हमारे देश में योजनायें रहीं तब से इम्पोर्ट बढ़ा ४१३ करोड़ लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ ७५ करोड़ ० बढ़ा। आज विदेशी मुद्रा की कमी है। विदेशी सामान खरीदने के लिये, फारेन ऐक्सचेंज के लिये कर्जा लेना पड़ता है और उस की अदायगी के लिये विदेशों से कर्जा लेना पड़ता है। फारेन ऐक्सचेंज का रिजर्व हमारे देश में कम होता जा रहा है। हमारे देश में १९४७ में जो फारेन ऐक्सचेंज रिजर्व था वह १,६१२ करोड़ था, योजनाओं के शुरू होने के पहिले १,०२९ करोड़ था। लेकिन आज १९६५-६६ में वह घटकर २९९ करोड़ है। तो हम को अपने ऐक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इम्पोर्ट को घटाना होगा और साथ ही साथ विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण भी करना होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, अवमूल्यन सामयिक है या नहीं यह भले ही सदन की बहस की परिधि के बाहर हो लेकिन अवमूल्यन को कामयाब बनाने के लिये क्या आवश्यक है और सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं इसको कामयाब बनाने में इस पर चर्चा बहुत सामयिक है। इसलिये मैं उन स्तावक महोदय को बधाई देता हूं।

अवमूल्यन एक ऐसा कदम है जो अब वापस नहीं लिया जा सकता। यह ऐसा कदम है कि जिसकी हजारों करोड़ रुपये तक कीमत चुका दी है। यह इसका सबूत है कि हमारी आर्थिक दशा शोचनीय हो गयी थी और अवमूल्यन वह कदम है जो उस दशा को सुधारने का एक मात्र इलाज है। इसलिये अवमूल्न के उद्देश्यों को सफल बनाना हर विधायक और नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने दल की भावना से ऊंचा उठ कर के अवमूल्यन के उद्देश्यों को समझे और उस की पूर्ति में सरकार जो कदम उठाये उसमें सहायक बने। जैसा माननीय भीखालाल जी ने बताया अवमूल्यन का सबसे बड़ा मकसद है कि हम ऐक्सपोर्ट बढ़ायें। पिछले १५ वर्षों से सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी प्रकार बाहर के एक्सपोर्टस बढ़ाये जायं और इसी उद्देश्य से एक्सपोर्टस को बढ़ाने के लिये करोड़ों रुपये की सरकार ने सबसीडी दी। दूसरे प्रगतिशील देश जिनकी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है उससे मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिये यह कदम उठाया कि विदेशी बाजारों में हमारी चीजों के दाम सस्ते हो जायं और हमारा एक्सपोर्ट भारी मात्रा में बढ़ जाय। हमारा लक्ष्य यह है कि १९६६ में हमारा एक्सपोर्ट जो ८०० करोड़ रुपये का है वह १९७० तक बढ़ कर १२०० करोड़ का हो जाय। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की सूची तैयार करे कि इस प्रदेश के किन-किन शहरों में कौन-कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के तौर पर दूसरे मुल्कों में निर्यात किये जाते हैं। मुरादाबाद के कलई के बर्तन, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का रेशमी कपड़ा ऐसे है जिसकी लिस्ट तैयार की जाय उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात करने के लिये। अवमूल्यन का जो मकसद है कि हमारी चीजें दूसरे देशों में जा कर सस्ती बिकें इसके लिये बहुत आवश्यक है कि चीजों के दाम न बढ़ने पायें। सरकार उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल दे, उसके दाम न बढ़ने पायें, वेजेज में बढ़ोत्तरी न होने पावे ताकि जिन दामों पर चीजें निर्यात की जाती थीं अवमूल्यन के पहले लगभग उन्हीं दामों पर वे निर्यात की जाती रहें ताकि अवमूल्यन का जो लक्ष्य तथा उद्देश्य है वह पूरा हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा बड़ा उद्देश्य अवमूल्यन का यह है कि इम्पोर्टस कम हों। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विदेशी चीजों के स्थान पर इस्तेमाल की जा सकती है। अवमूल्यन का उद्देश्य यही है कि बाहर से आई हुई चीजों के दाम बढ़ें और स्वदेशी की भावना लोगों में उत्पन्न हों, इसके लिये जो इम्पोर्टेड चीजों के सबसीट्यूट्स हैं देश व प्रदेश में उनके दाम भी किसी तरह से न बढ़ने पायें। सबसे बड़ा सवाल है फूड ग्रेन्स का। मुझे खुशी है कि पी० एल० ४८० खत्म होने जा रहा है और फ्रीडम फ्राम हंगरबिल यू० एस० सिनेट के सामने है और वह अवमूल्यन में सहायक होगा क्योंकि भविष्य में भारत में शक्ति नहीं होगी कि डालर दे कर गल्ला वहां से मंगा सके, जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो गया है। हमको कृषि के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनना है। सरकार काफी मात्रा में उसके लिये फर्टिलाइजर बाहर से मंगाया करती थी। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अवमूल्यन के बाद ये दाम और बढ़ जायेंगे। दो कारखाने फर्टिलाइजर के हैं एक गोरखपुर में और दूसरा कानपुर में। एक पब्लिक सेक्टर में है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इन दोनों कारखानों को जितनी जल्दी हो सके अच्छी तरह से काम शुरू कर देना चाहिये। कम्पोस्ट पर भी सरकार को बल देना चाहिये क्योंकि यह फर्टिलाइजर का अच्छा सबस्टीट्यूट है। इसी प्रकार सरकार के जिन महकमों के संबंध में चौधरी चरणसिंह ने अपनी रिपोर्ट दी है कि उनको एकदम बन्द कर देना चाहिये। उस तरफ भी कदम उठाना चाहिये। गुप्ता जी की मिनिस्ट्री के मुकाबले आज मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर तथा पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज के स्टाफ में भारी वृद्धि हुई है, वह वृद्धि कर दी जाय और उनके स्टाफ में स्वंय कटौती करनी चाहिये साथ ही मैं विरोधी दलों से अपील करूंगा कि देश के अन्दर उत्पादन से ही अवमूल्यन के संकट को दूर कर सकते हैं। जितने बन्द और स्ट्राइक हो रहे हैं वे देश हित के विरोधी हैं और जो उनको बढ़ावा देते हैं इतिहासकार उनको भविष्य में नहीं बख्शेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)-

अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय टम्बेश्वरप्रसाद का उन्होंने सदन का ध्यान इस देश और प्रदेश व्यापी समस्या की तरफ आकर्षित किया। अवमूल्यन के संबंध में इधर से और उधर से एक ही मत घोषित हुआ है कि सरकार की ये ढुलमुल नीतियां, भविष्य को न देख कर अपनी मर्जी के मुताबिक कदम बढ़ाना और कुछ विवेकशीलता से काम न लेने के कारण ही आज देश की यह स्थिति हुई है। अभी माननीय मंत्री जी बतला रहे थे कि हमने जो प्लान्स चलायीं और उनके कारण हमको चारों तरफ से आर्थिक स्थितियों में ऐसा घिरना पड़ा जिसकी वजह से अवमूल्यन करना पड़ा। यह एक वास्तविक बात है कि हमने जो प्लान बनायें उनमें अपनी क्षमता को नहीं देखा, जितनी हमारी शक्ति थी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ते चले गये और हमें घाटा होता चला गया। एक उदाहरण याद आ रहा है। यहां पर एक बहुत बुजुर्ग व्यापारी थे, उनसे बात हो रही थी। वे कह रहे थे कि सरकार कुछ समझती है या नहीं, हमारे रुपये की कीमत ढाई आने रह गई है और यह प्लान पर प्लान चलाते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को खत्म करते जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में कुछ बढ़ोत्तरी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इस सरकार का मन्तव्य क्या है? इस तरह से हम दिवालिया हो गये हैं और एक दिन इसका परिणाम इस देश को भी भुगतना पड़ेगा। यह एक ऐसे आदमी की बात है जो किसी एकोनामिक्स के स्कूल में नहीं पढ़ा है। जब एक साधारण आदमी इस प्रकार की कल्पना कर सकता है तो देश के शासन को चलाने वाले जब इस चीज को नहीं देख पाये तो उनकी अक्ल को क्या कहा जाय। सारा राष्ट्र इस बात को सोच रहा है कि अगर ये दिन के अन्धे आदमी अपने कदम को सोच समझ कर आगे बढ़ाते तो आज राष्ट्र को यह दिन न देखना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

पड़ता। अब अवमूल्यन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था और सरकार इस चीज को देख, प्रेशर से यकायक करना पड़ा अन्यथा जब हमें पहले से मालूम था कि हम रुपये का अवमूल्यन करने जा रहे हैं तो उसके लिये आवश्यक कदम उठाते। अवमूल्यन के पहले कीमतें बढ़ रही थीं और अवमूल्यन के बाद भी कीमतें बढ़ रही हैं। जनता के अन्दर त्राहि त्राहि मची हुई है और इससे सभी लोग दुखी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया वे भी और जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है वे तो हैं ही।

अधिष्ठाता जी, जब आप अभी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि वेज फ्रीज होना चाहिये। कल जब यहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का सवाल आया था तो सभी कह रहे थे कि कीमतों को देखते हुये उनका मंहगाई भत्ता बढ़ना चाहिये और आज कह रहे हैं कि वेजेज फ्रीज करना चाहिये। वेजेज तो अपने आप फ्रीज हो जायेंगे अगर तमाम उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर चीजें मिलने लग जायं। इसलिये कीमतों का फ्रीज होना बहुत जरूरी है। जब पहली वर्ल्ड वार चल रही थी तो हमारे पिताजी बताते थे कि मार्केट में इसी प्रकार हर एक चीज का अभाव पैदा किया गया था। लेकिन उस समय की सरकार ने अपनी दुकानें चलवायी थीं और पूंजीपतियों पर, जो जनता का खून चूसते हैं, लगाम लगा दी थी। और कम्पटीशन के कारण कीमतें रुक गई लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करती है। यह सरकार पूंजीपतियों से सांठ गांठ करती है और जब पूंजीपतियों का कोई इन्टरेस्ट आ जाता है तो यह सरकार फिर कोई कदम नहीं उठा सकती है। कोई व्यापारी पकड़ा जाता है तो इस सरकार का मैजिस्ट्रेट अपनी मर्यादा का ध्यान न रखकर उसके घर पर जाकर जमानत लेता है और गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर अत्याचार होता है। इसलिये सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्री बे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अवमूल्यन के संबंध में बहस सुनने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। विकास और परिवर्तन लाने में अगर विधान सभा की सील प्राप्त हो जाय और सहयोग प्राप्त न हो, अवाम की आवश्यकताओं की ओर ध्यान न दिया जाय, बचत के तरीके न ढूंढ़े जायं, बचत से पूरा न पड़े तो कर्जे का बन्दोबस्त न हो, ये सब बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की सख्त जरूरत है। अवाम को आवश्यकता है फर्टिलाइजर की, बिजली की, पावर की, नये टूल्स की, अच्छे मकान, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े की जरूरत है तो इनकी पूर्ति के लिये या तो बचत का प्रबन्ध हो या कर्जे की जरूरत है। दो ही तरीके हैं।

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज चौथी योजना के प्रथम चरण में है, लेकिन यह कहना कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा है, गलत है। आज ६०० करोड़ की मशीन हम बनाते हैं और ४०० करोड़ की बाहर से मंगानी पड़ती है। यही मशीनें आगे चलकर १९७२ में १८०० करोड़ की जरूरत पड़ेंगी क्योंकि मशीनों की मांग बहुत ज्यादा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब चीजें उसी समय मिल सकती हैं जब हम बचत की तरफ जायं, कर्जा मिले या फिर टैक्स आयें। अब बचत की तरफ सरकार गई या नहीं, इसको सोचना पड़ेगा कि भारतीय सरकार और प्रदेशीय सरकार इस ओर गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २० लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई और आज उसमें कितनी तरक्की हुई? यह देखना है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना अनुचित है कि अवमूल्यन से मुल्क के साथ विश्वासघात किया गया है या कुछ विरोधी पार्टियों को चोट पहुंची है या विरोधी जनता को चोट पहुंची है तो विरोधी दलों ने एक दृष्टिकोण अपनाया है और दूसरा नहीं अपनाया। यदि रुपये की कीमत विदेशों में घटी.....।

श्री उमाशंकरप्रसाद—

अवमूल्यन का हरदोई में क्या असर हुआ ?

श्री जे० पी० मिश्र—

सीतापुर में क्या पड़ा ? बड़े अक्लमंद आप हैं। आप से बड़ा अक्लमन्द उत्तर प्रदेश में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप मुझसे बात कीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं कह रहा था कि अवमूल्यन को राजनीतिक हथियार बनाने से पूरा नहीं पड़ने का था। अवमूल्यन के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि, टैक्सेज का और कर्ज का सदुपयोग अगर हुआ है और अवमूल्यन को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से, उत्पादन की वृद्धि के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार का कदम जस्टीफाइड है।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अवमूल्यन का जहां तक सवाल है इसके साथ-साथ जब हम अमेरिका की नीति देखते हैं, तो अमेरिका कहता है कि हिन्दुस्तान अवमूल्यन का किस प्रकार मुकाबला करेगा बढ़ती हुई जो कीमतें हैं और हमारे देश के कोने-कोने में जो असंतोष है इसका मुकाबला हिन्दुस्तान किस तरह से करता है, इस चीज को देखने के बाद हम कर्जा दे सकेंगे। एक चीज समझ में आती है। ऐसी अवस्था में जब हमारे हिन्दुस्तान में हो तो जरूरी हो जाता है कि निर्यात अधिक से अधिक करें और आयात कम से कम करें। जब अधिक से अधिक निर्यात होगा तो अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विदेशों में जब हमारी चीजें जाती हैं तो कम्पटीशन में महंगी पड़ती हैं इसलिये विदेशी नहीं खरीदते। हमें विदेश के लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिये कि विदेशी चीज जो महंगी पड़ती है उसको नहीं खरीदना चाहिये और अपने देश की चीज खरीदना चाहिये। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें जैसा कि गांधी जी ने किया था तो अवमूल्यन की समस्या का किसी हद तक मुकाबला कर सकेंगे। हमारे यहां विदेश से गेंहूं आ रहा था तो शास्त्री जी ने हम लोगों को एक मंत्र सिखाया कि सोमवार को अन्न का उपयोग नहीं करेंगे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को झुकना पड़ा। मैं चाहता हूं कि अपने प्रदेश के लोगों में जागृति पैदा हो, और जो विदेश से गेंहूं और दूसरी चीजें आती हैं उनका कम से कम उपयोग करें बल्कि जितना रुपया गेंहूं मंगाने में खर्च करते हैं उतना रुपया सिंचाई के साधन में लगायें तो ज्यादा उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह कि विजिलेंस कमीशन और सदाचार समिति की जिस उद्देश्य के लिये स्थापना हुई थी उसकी पूर्ति नहीं हुई। इसका नतीजा यह है कि हम अवमूल्यन करने के लिये मजबूर हैं। जितनी चोरबाजारी और बदमाशी प्रदेश और भारतवर्ष में हो रही है अगर उसको रोकने के लिये विजिलेंस कमीशन और सदाचार समिति ने सही कदम उठाया होता तो अवमूल्यन की जरूरत न होती। एक तरफ हम उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशों से कर्जा लेते हैं और दूसरी तरफ जिसके लिये कर्जा लिया जाता है वह उद्योग स्थापित नहीं हो पाता। नतीजा यह हो रहा है कि ऋण बढ़ता चला जा रहा है और जिस सामान का उत्पादन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। जो लोन लिया जाय वह लाभप्रद उद्योगों में ही लगाया जाय और ऐसे सामानों का उत्पादन करें जो विदेशों से अधिक से अधिक मुद्रा ला सके। अगर इस तरफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

ध्यान दिया जायगा तो ज्यादा अच्छा होगा एक। बात और, पैदावार हम बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ खाद का मूल्य बढ़ात जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ५ रुपये बढ़ाती है तो राज्य सरकार १५ रुपये। उर्वरक किसानों को सस्ता मले। हमारे नलकूप और नहरें सूखी पड़ी हुई हैं उनसे पानी दीजिये जिससे हमारी पैदावार बढ़े।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जब केन्द्रीय सरकार ने देखा कि देश की अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई मुनाफाखोरी और चोरबाजारी बढ़ गयी है और विदेशों से व्यवसाय पर, आयात निर्यात पर इसका असर पड़ सकता है तो सरकार के सामने और कोई चारा नहीं था सिवाय इसक कि अवमूल्यन करें और उसने किया। अब यह दूसरी बात है कि अपने-अपने दृष्टिकोण से हम सब देखते हैं, आपका अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना है। यह बात सही है कि मुद्रास्फीति रही है। अंग्रेजों के जमाने से मुद्रास्फीति रही। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजी सरकार ने बेतहाशा नोट छाप कर फैला दिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब तो अंग्रेजों के जमाने की बात होने लगी।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मालूम है कि आप बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े विद्वान हैं। आपको यह मालम नहीं है कि अवमूल्यन क्या होता है और लोगों को डिस्टर्ब करने की आदत है। नाश करके रख दिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं आपको और आपके मंत्रिमंडल को दसियों वर्ष पढ़ा सकता हूं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

वह मुझे मालुम है। नाश करके रख दिया। तो मैं कह रहा था कि मजबूर हो कर सरका र ने अवमूल्यन किया। आज का वैज्ञानिक युग है, दुनिया सिकुड़ कर छोटी हो गयी है। आज तो टम्बेश्वरप्रसाद जी बैलगाड़ी पर नहीं चलते होंगे। दुनिया मुट्ठी भर में आ गयी है। अगर हम दुनियां से व्यवसाय नहीं करते, लेन-देन नहीं करते, मशीनरी नहीं मंगाते हैं तो क्या संभव है कि हम अर्थव्यवस्था को ठीक रख सकें? मुद्रास्फीति के कारण, चोरबाजारी के कारण, मुनाफा-खोरी के कारण यह करना ही पड़ता और कोई चारा नहीं था। आप जैसे बुद्धिमान अर्थशास्त्री नहीं हैं। देखिये श्रीमन्, इनकी कुर्सी में क्या हो गया है जो ये बैठ नहीं पा रहे हैं, बारबार चिहुंक उठते हैं, इनको उलझन पैदा हो रही है और बैठने में तकलीफ हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय बैजनाथसिंह जी को जरा आप यह दिखला दीजिये कि पंजाब में जो ८५० व्यक्ति पकड़े गये हैं ब्लैक मार्केट में उनमें से ७ सौ व्यक्ति कांग्रेसी थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता जी, वैजनाथसिंह जी ब्लैक मार्केट चोरबाजारी की बात कह रहे थे तो यह पांचजन्य अखबार है। इसमें लिखा है कि ८५० व्यक्तियों में से ७ सौ कांग्रेसी हैं। उन्होंने चोरबाजारी का नाम लिया इसलिये इन्हें बता दीजिये।

श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विषय अवमूल्यन का आज चल रहा है वह किन परिस्थितियों में हुआ और जिस नीति के कारण हुआ यह प्रश्न विचारणीय है। जैसी नीतियां आप चलाते रहें हैं और जिनके कारण यह अवमूल्यन हुआ है अगर आपने उन नीतियों में परिवर्तन न किया तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द और फिर आपको दोबारा रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा। यह हो सकता है कि बाहरी माल को अन्य देशों के माल के समान मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिये कुछ पैसा आपको खर्चा करना पड़ता रहा हो या विदेशों में रहने वाले लोगों की विदेशी मुद्रा बैंकों के द्वारा न आकर देश में ब्लैक मनी के रूप में आती रही है। किन्तु इन समस्याओं के बावजूद आज यह आदत बन गयी है कि कर्जा लेकर अपना काम चलायेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि हमने करोड़ों रुपया लिया लेकिन उस रुपये का जो सदुपयोग होना चाहिये था, जिस काम में वह रुपया लगना चाहिये था कि वह उस काम में नहीं लगा और उससे उतना लाभ नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा पर असर पड़ता गया। जितने माल की हम आशा करते थे कि हमारा उतना उत्पादन बढ़ेगा, हमारी समस्या हल होगी वह हल नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सारे प्रदेश में जब पंचायती राज शुरू हुआ था तब एक ए० डी० ओ० पंचायत सारी पंचायत का संचालन करता था और दूसरे अनेक काम वह करता था। उसके बाद, ३, ३ पंचवर्षीय योजना बीत गई और एक एक ब्लाक में १६ से २० आदमी काम कर रहे हैं करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं लेकिन वह समस्या हमारी हल नहीं हुई। आज भी यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि हम खाने के लिये मुहताज हैं। आज अगर अमेरिका हमको खाने के लिये अनाज न दे, कनाडा हमको गल्ला न दे तो हम भूखों मर जाय। यह हमारी हालत हो गई है। यह हमारी बुनियादी नीति का असर है। आज हमारी यह हालत हो गई है कि दूसरों से मांगकर हम अपनी जिन्दगी चला रहे हैं। जब तक हम अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे स्थिति सुधरनेवाली नहीं है। आज देश में अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है। देश में चोरबाजारी है। लोग श्रम नहीं करना चाहते हैं। इन बातों की तरफ यदि ध्यान न दिया गया तो इस अवमूल्यन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चाहे जितनी सहायता विदेशों से ली जाय कोई लाभ देश को नहीं होगा। हम लोगों को उन तमाम बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो हमारी मौलिक नीतियां हैं। जैसे एक हिरन जेठ बैशाख में पानी की तलाश करता और चारों तरफ लहराती धूप में भागता है किन्तु उसको पानी नहीं मिलता है तो आज उसी तरह से हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। जितनी सहायता हमको मिलनी चाहिये हर जगह से उतनी सहायता हमको नहीं मिल रही है। इस स्थिति में हिन्दुस्तान के अन्दर जो अवमूल्यन किया गया है इससे सारे देश को धोखा दिया गया है। उसका असर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। सरकार को चाहिये कि इस चोरबाजारी को देश में बढ़ने से उसी तरह से रोके जैसे शरीर के फोड़े को आपरेशन करके काट देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

सदन का समय ५ मिनट बढ़ाया जाता है।

वित्त उपमंत्री (*श्री जयराम वर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं उन सुझावों के लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं। यह जो चर्चा का विषय था इसके दो अंग हैं। एक तो यह कि अवमूल्यन क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

प्रभाव अर्थ व्यवस्था पर और बजट पर पड़ने का सवाल है उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी ने संकेत कर दिया है। हमारे बजट के खर्चे में करीब १२ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। १० करोड़ रुपये की वृद्धि प्लान्ड आइटम पर और २ करोड़ रुपये की वृद्धि नान प्लान्ड आइटम पर होगी। जहां तक नान प्लान्ड आइटम में खर्चे की वृद्धि का सवाल है उसको हम अपने खर्चे में कमी करके पूरा कर लेंगे.....

श्री हृम्बेश्वरप्रसाद—

विद्युत परिषद् सम्बन्धी वृद्धि भी इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

उस प्लान पर उसका असर पड़ता है और उसमें वह भी है। यह तो बिलकुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो अनुमान लगाया गया है वह बिलकुल सही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वे आपके सामने हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहांतक नानप्लान्ड आइटम्स पर वृद्धि हुई है उसको हम अपने ही साधनों से मीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा इस बार का प्लान बहुत छोटा है, जितनी आवश्यकता प्रदेश की है उस से भी छोटा है इसलिये अब इस प्लान को घटाना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की गयी है कि दस करोड़ की वृद्धि जो प्लान आइटम्स पर इस की वजह से होगी उसे वह कृपा कर के हमें दे जिससे हमको अपने प्लान में और कटौती न करनी पड़े और इसका जो प्रभाव दूसरी चीजों पर होगा उसको हम मीट करेंगे। इसके लिए कुछ माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार हमको कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन इसकी अधिकतर जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है और वह इसको देखेगी कि किस प्रकार इसके दुष्परिणामों को रोका जाय।

पहली बात जिस की ओर माननीय काशीनाथ जी ने संकेत किया वह है बढ़ती हुई कीमतों को रोकना जिसकी वजह से मजबूर हो कर हम को यह अवमूल्यन करना पड़ा। यदि हम इन कीमतों को बढ़ने से नहीं रोकते हैं तो हमको अपने प्रदेश और देशों में जो इस अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कमाई उत्पन्न हुई है उससे निकलने में और कठिनाई पैदा हो जायगी। इसलिये पहला काम तो यह करना है कि कीमतें रोकने के लिये अपना उत्पादन बढ़ाया जाय और यह सब से जरूरी काम है और उत्पादन उन चीजों को बढ़ाना है जिन पर जल्दी असर पड़ता है और जिन के मूल्य में जल्दी वृद्धि हो सकती है यानी खेती की पैदावार या जो वस्तुएं खेती की पैदावार पर आधारित है उनकी पैदावार बढ़ाने का खास प्रयास होना चाहिये और अगर यह प्रयास होगा तभी हम इसका वास्तविक रूप में मूल्यों को रोकने में सफल हो सकेंगे। खाद्यान्नों की कीमतों का प्रभाव दूसरी चीजों पर भी पड़ता है और इसलिये अगर हम उनकी कीमतों के दाम ठीक रख सके तो दूसरी चीजों के दाम भी स्थिर रह सकेंगे। इसलिये इसकी तरफ खास ध्यान देना है।

इसके अतिरिक्त जो हम बाहर से गल्ला मंगाते हैं उस पर भी इसका असर पड़ता है। इस अवमूल्यन के कारण बाहर से आने वाले अनाज की कीमतें भी बढ़ जानी चाहिये, लेकिन उस का प्रभाव दूसरी चीजों पर नहीं पड़ेगा इस वास्ते कि केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां तक आयातित खाद्यान्नों का सवाल है, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल है, उनकी कीमतें स्थिर रखने का केन्द्रीय सरकार का स्वयं का प्रयास है और वह इसके लिये प्रयत्नशील है कि इसके कारण खेती पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ने पाये। इस तरह से किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमतें तो उन्हीं चीजों की बढ़नी चाहिये जो चीजें विदेशों से आती हैं अथवा उनका कोई अंश विदेशों से आता है। जो चीजें हमारे देश में बनती हैं उनका कीमत तो बढ़ना ही नहीं चाहिये। कहीं कहीं कुछ चीजों के दाम लोगों ने बढ़ा लिये हैं। उसी की रोकथाम के लिये हम कन्जूमर्स स्टोर्स खोल रहे हैं। जब इनकी संख्या काफी बढ़ जायेगी तो उसका असर बाजार पर पड़ेगा और जिन चीजों के दाम लोगों ने बढ़ा लिये हैं वे कम हो जायेंगे। हमारा यह प्रयास

है कि जहां २५ हजार तक की आबादी है वहां पर भी यह खोले जाय, वैसे अभी तक ५० हजार की आबादी तक ही लिये जायेंगे। शहरी एरिया में जसको अभी हम फैलायेंगे और वहां की जिन्दगी के जरूरी सामान को देने की व्यवस्था की जायेगी और कम से कम २० फीसदी वहां की जरूरतों को कन्जूमर्स स्टोर्स से ही पूरा किया जायेगा। इस बात का प्रयास किया गया है कि हर प्रदेशीय सरकार अपना इनडेन्ट सीधे केन्द्रीय सरकार को दे और केन्द्रीय सरकार का यह प्रबन्ध है कि वह सीधे मैनुफैक्चरर को देगी और वे एक्स मिल प्राइस पर सीधे सामान हमको देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि चीजों के दाम बढ़ने से रुक सकेंगे।

जहां तक अवमूल्यन का सम्बन्ध है भारत सरकार ने ऐसा करके देश की एकोनामी को और मजबूत किया है और यह उसका एक साहसिक कदम है।

श्री अविष्ठाता —

आपका समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ अगस्त, १९६६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

सन् १९६४–६५

(१) बांध और वर्षा के पानी से कटे हुए बांध के मार्गों पर मजबूती के लिये मिट्टी के कार्य कराया गया ।

(२) बांध के कटाव को रोकने के हेतु नरकट लगाने का कार्य किया गया । इस कार्य में ५,८०० रुपया खर्च हुआ ।

सन् १९६५–६६

(१) बांध पर और वर्षा के पानी से कटे हुए बांध के मार्गों पर मजबूती के लिये मिट्टी का कार्य कराया गया ।

(२) बांध के कटाव को रोकने के हेतु नरकट लगाने का कार्य कराया गया ।

(३) बांध के बचाव के हेतु बल्ली गाड़ने तथा उनके बीच में रोरा तथा झाऊ भरने का कार्य कराया गया । इन कार्यों में ४६,९४६ रुपया खर्च हुआ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

सेवा में,

माननीय न्याय मंत्री,

उत्तर प्रदेश।

प्रिय महोदय,

अवैतनिक मैजिस्ट्रेट चुनाव कमेटी के निम्नलिखित हम सदस्यगण कमेटी के बैठक में रखने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देते हैं और निवेदन करते हैं कि बैठक की तारीख जल्दी निश्चित करें और सभी सम्बन्धित सदस्यों को सूचित करें :

"सेठ हर बिलास स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनीति में, विशेष कर स्थानीय निकायों के चुनाव में तथा विधायिका के चुनाव में सक्रीय भाग लेते रहते हैं।

वस्तुतः स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को नामित करते रहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उनको हटवाते भी रहते हैं।

बहैसियत स्पेशल मैजिस्ट्रेट के एक जन सेवक हैं इसलिये वे राजनीति में भाग लेने से बिलकुल निशिद्ध हैं। कमेटी उनके सभी कार्यवाहियों का निरनुमोदन करती है और सिफारिश करती है कि उनके मैजिस्ट्रेट के अधिकार छीन लिये जाये तथा उनकी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को दी जाय।"

(ह०) बृज बल्लभ,
(ह०) हुकुम सिंह राठौर।
(ह०) वहीद, अहमद,
(ह०) सूरजपाल सिंह।

संसद सदस्य

सेवा में,

माननीय न्याय मंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

मान्यवर,

निवेदन है कि हम लोग आपकी सेवा में यह ज्ञापन आपके विचारार्थ तथा निष्पक्ष छानबीन करने हेतु प्रस्तुत करना अपना परम कर्तव्य समझता हूं क्योंकि हम समस्त निम्नांकित व्यक्ति जिला बदायूं के हैं जहां पर कि अवैतनिक मैजिस्ट्रेट श्री हर विलास तथा श्री राम गोपाल जो कि हमारी सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

उपर्युक्त दोनों मैजिस्ट्रेट घोर पार्टी बन्दी में फंसे हुए हैं जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है अदालत में पार्टी बन्दी निभाई जा रही है और उसी के मुताबिक मुकदमों के फैसले किये जाते हैं । समय-समय पर बहुत से व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा कर सजा का भागी बनाया जाता है । कचहरी बदायूं में यह आम शोहरत है कि कुछ वकीलों के नाम पर मुकदमें छोड़ जाते हैं । जो कि इन ही पार्टी से संबंधित हैं । चुनावों के मौके पर पार्टी के आदमियों की सिफारिश की जाती है । और स्वयं हिस्सा लेते हैं । अभी कुछ दिन पहले सोने के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल के यहां जांच की गई और मैजिस्ट्रेट के असर से जांच व्यर्थ रही । इनके चुनाव के सम्बन्ध में कमेटी के किसी मेम्बर ने राय नहीं ली ।

श्री हर विलास एक बार कुछ अभियोग में मैजिस्ट्रेट पद से अलग कर दिये गये थे लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की दुबारा नियुक्ति कर दी गई । श्री हर विलास के इजलास में इनका पेशकार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और सिफारिशों से उसके मुकदमें को समाप्त कराया गया । यह घोर राजनीति में भाग ले रहे हैं । अतः निवेदन है कि उपरोक्त सभी बातों की छानबीन की जाय ।

सधन्यवाद ।

दिनांक १८-२-१९६६ ।

विनीतगण बदायूं

(ह०) जुगल किशोर, एम०एल०ए०,
(ह०) बकुम सिंह राठौर, एम०एल०ए०,
(ह०) सूरजपाल सिंह, एम० एल०ए०,
(ह०) शान्ती देवी, एम० एल०सी० ।

To

The Hon'ble Minister for Justice,

Uttar Pradesh, Lucknow.

DEAR SIR,

We, the following members of the Honorary Magistrates Committee do hereby give notice of the following resolution to be moved in the meeting of the committee for which we request you to fix an early date and notify to all members concerned.

"Seth Harbilas, Special Magistrate, first class, has been taking active part in politics specially in elections to local bodies as well as to elections in the legislature. Virtually he has been nominating to Presidents to local bodies and getting them removed whenever he likes.

As a Special Magistrate he is a Public Servant and therefore strictly prohibited to take part in politics.

The Committee disapproves of all his actions and recommended that he should be immediately divested of his magisterial powers and his action may be reported to State Government."

(Sd.) Brij Ballabh.
(Sd.) Rukum Singh Rathore.
(Sd.) Waheed Ahmad.
(Sd.) Surajpal Singh.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बी० एस० यू० पी०—ए० बी० १०५ एल० ए०—१९६६—८४६ ।